

राजभाषा तकनीकी सेमिनार

॥ खनन क्षेत्र के बदलते परिदृश्य में भारतीय खान व्यूरो की भूमिका ॥

स्मारिका



भारतीय खान व्यूरो

हिंटी अनुशासन

नागपुर

मई, 2016



भारतीय खान बूरो के हेत्रीग कार्यालय, मुमनेश्वर के नए महान का उद्घाटन
मानवीय कौन्दीय खान एवं इस्पात नंबी श्री नरेन्द्र सिंह तोमर के हुम हरते



श्री. नरेन्द्र सिंह, प्रधानमंत्री मुमनेश्वर, हेत्रीग कार्यालय, एवं श्री विजय देव साह, मानवीय कौन्दीय खान एवं इस्पात नंबी

भारत सरकार
खान मंत्रालय

राजभाषा तकनीकी सेमिनार

"खनन क्षेत्र के बदलते परिदृश्य में
भारतीय खान व्यूरो की भूमिका"

स्मारिका

मई, 2016



भारतीय खान व्यूरो
नागपुर

राजभाषा तकनीकी सेमिनार

माराठीय खाज व्यूह
नागपुर

संरक्षक

आर. के. सिन्हा
महानियन्त्रक

मुख्य संपादक

डॉ. पी. के. जैन
अधीक्षण उल्लं शूद्धिज्ञानी एवं राजभाषा अधिकारी

संपादक

प्रमोद एस. सांगोले
उप-नियंत्रक (राजभाषा)

संपादन सहायक

राजीव कुलशेष्ठ	वरिष्ठ हिंदी अनुवादक
मिलानी चट्टी	हिंदी अनुवादक
संजय आर. डोमरे	हिंदी अनुवादक
असीम कुमार	हिंदी अनुवादक

साज - सज्जा एवं टंकण

जगदीश अहरवार
प्रदीप कुमार सिन्हा

आशुलिपिक गोड - 1
हिंदी टंकक

प्रकाशन अनुभाग

ए.के.सिंह	मुख्य संपादक
एम. सुनेश	वरिष्ठ संपादक
बी.एल. यादव	सहायक संपादक
पी.एल. मसराम	वरिष्ठ तकनीकी सहायक
ए.पी. मिश्रा	कनिष्ठ तकनीकी सहायक
रुचा जी. वहाडे	कनिष्ठ तकनीकी सहायक

नरेन्द्र सिंह तोमर
NARENDRA SINGH TOMAR



संगठन एवं इकायात मंत्री
भारत सरकार
शास्त्रीय मंत्री,
नई दिल्ली-110001

MINISTER OF MINES & STEEL
GOVERNMENT OF INDIA
SHASTRI BHAWAN,
NEW DELHI-110001

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत हृषि हुआ कि भारतीय खान व्यूरो, नागपुर
अप्रैल, 2016 में एक दिवसीय राजभाषा तकनीकी सेमिनार का आयोजन करने
जा रहा है।

देश में सरकारी विभागों के संबंधों और पर्योगशालाओं में तकनीकी हिन्दी
शब्दावली के प्रचार-प्रसार की जितांत आवश्यकता है। इससे विभिन्न संघर्षों में
कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी राजभाषा हिन्दी में दक्षता हासिल कर
सरकारी कामकाज में हिन्दी के पर्योग में उत्तरोत्तर तृष्णि करने में सहान ही
सकेंगे। मेरा मान्या है कि हिन्दी एक ऐसी सशक्त और जीवन्त भाषा है जो
राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण अ़्रूपिका निभाती रही है।

मुझे विश्वास है कि भारतीय खान व्यूरो द्वारा आयोजित किये जा रहे
राजभाषा तकनीकी सेमिनार के प्रतिभागी, छलन और सबद क्षेत्रों में उपयोगी
तकनीकी शब्दावली से अवगत हो सकेंगे और सेमिनार में भाग ले रहे विभिन्न
तकनीशियलों को विचारों के आदान-पटान का सुनहरा अवसर मिलेगा।

मैं भारतीय खान व्यूरो को इस सेमिनार के सफल आयोजन की
शक्तिमन्त्रिता के साथ बधाई देता हूँ।

(नरेन्द्र सिंह तोमर)

बलविन्दर कुमार, माईएस
सचिव

BALVINDER KUMAR, IAS
Secretary



माईएस सचिव
भाषा विभाग
शासकीय बोर्ड
दि. शृंगनग प्रधान रोड
नई दिल्ली-११० ००१
Government of India
Ministry of AYUSH
Shashi Bhushan
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110 001



31.03.2016

संदेश

मुझे यह जानकार अत्यत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय खान
व्यूरो मुख्यालय, नागपुर में एक दिवसीय राजभाषा तकनीकी सेमिनार
का आयोजन किया जा रहा है। खनन क्षेत्र से संबंधित विषयों पर
सेमिनार के आयोजन से न केवल हिंदी में तकनीकी साहित्य
उपलब्ध होगा बरन् इससे राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में भी
सहायता मिलेगी।

मैं भारतीय खान व्यूरो को एक दिवसीय तकनीकी सेमिनार के
सफल आयोजन हेतु शुभकामनाएं देता हूँ।

(बलविन्दर कुमार)



आर. के. सिंह
महानियन्यक

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
खान ग्राम्य
MINISTRY OF MINES
भारतीय खान व्यापार
INDIAN BUREAU OF MINES

07 अप्रैल, 2016

संदेश

भारतीय खान व्यापार (मुख्यालय), नागपुर में राजभाषा तकनीकी सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। तकनीकी विषयों पर राजभाषा सेमिनार आयोजित किया जाना एवं इसमें तदृविषयक आलेख प्रस्तुत करना राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है।

यह और भी प्रसन्नता की बात है कि इस अवसर पर एक स्मारिका प्रकाशित की जा रही है। इससे सेमिनार की सार्थकता और उपादेयता और श्री बड़ जाती है।

मुझे विश्वास है कि तकनीकी सेमिनार के प्रतिभागी अपने आलेखों के माध्यम से काँड़ ऐसे ठोस एवं व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करेंगे जिससे न केवल राजभाषा हिंदी का विकास होगा बल्कि देश का भी हित होगा।

ही राजभाषा तकनीकी सेमिनार से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देता हूँ तथा सेमिनार की सफलता की कामना करता हूँ।

अप्रैल 16
(आर. के. सिंह)
महानियन्यक



दॉ. के. जैन
राजभाषा अधिकारी

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
खान मंत्रालय
MINISTRY OF MINES
भारतीय खान व्यूसो
INDIAN BUREAU OF MINES

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि भारतीय खान व्यूसो (मुख्यालय), नागपुर में राजभाषा तबनीकी सेमिनार का आयोजन हो रहा है। राजभाषा हिंदी की समृद्धि के लिए तकनीकी दोष में इस तरह के सेमिनार का आयोजन का अपना एक विशेष महत्व है।

इस तरह के सेमिनार के आयोजन में जहाँ एक ओर कार्मिकों द्वारा तबनीकी विषयों पर एक – दूसरे के साथ विचार – विस्तृत करने का अवसर मिलता है, वही दूसरी ओर संबंधित विषय पर राजभाषा हिंदी में उच्चस्तरीय तकनीकी लेखन कार्य को भी शोभाहरण मिलता है। राजभाषा तबनीकी सेमिनार हिंदी के विकास एवं प्रचार में अग्री विशिष्ट भूमिका निभाता है।

इस अवसर पर एक स्मारिका भी प्रकाशित की जा रही है। इसमें प्रकाशित लेखों गे प्राठकों का ज्ञानर्द्दण्ड होगा और उन्हें अपना अधिकाधिक सरकारी काम हिंदी में बरने की प्रेरणा मिलेगी।

मैं राजभाषा तबनीकी सेमिनार की नफलता की कामना करता हूँ तथा इसमें जुड़े गवर्नर प्रतिभागियों एवं संपादक मंडल को बधाइं देता हूँ।

(दॉ. के. जैन)
राजभाषा अधिकारी



प्रमोद एस. सामोइले
उष-निदेशक (राजभाषा)

संपादक की कलम से ...

भारतीय खान व्यूरो (मुख्यालय), नागपुर में दिनांक 16 मई, 2016 को 'खनन क्षेत्र' के बदलते परिवेश में भारतीय खान व्यूरो की 'भूमिका' विषय पर एक दिवसीय राजभाषा तकनीकी सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इसके पूर्व भी अनेक अवसरों पर राजभाषा तकनीकी सेमिनार का आयोजन किया गया है जो इस बात का दर्शातक है कि यह कार्यालय भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं हिंदी के प्रयोग की गति को बढ़ाने के कार्य में सक्रियतापूर्वक कार्यरत है।

वस्तुतः कार्यालय में आयोजित इस तरह के सेमिनार अथवा अन्य राजभाषा संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के पीछे हमारा उद्देश्य यह होता है कि कार्यालय में कार्य करने वाले कार्यालय - अलग - अलग विषयों पर हिंदी में सोचें, आपस में हिंदी में विचार - विमर्श करें, हिंदी में मौलिक लेख लिखें और हिंदी में ही उस पर चर्चा करें ताकि उनके मन में हिंदी में आपना कार्यालयीन कार्य करने में होनेवाला संकोच या झिझक दूर हो सके और उनकी मानसिकता बदल सके। साथ ही, हिंदी में तकनीकी / पारिभाषिक शब्दावली एवं संदर्भ साहित्य के अभाव को भी दूर किया जा सके।

देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से बढ़ाने में खनन क्षेत्र के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। आधारभूत संरचनाओं के सुइटीकरण में खनन क्षेत्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है। देश का खनन क्षेत्र तीव्र गति से विकास कर रहा है और इसे तीव्रतर गति प्रदान करने में भारतीय खान व्यूरो अपनी भूमिका निभा रहा है।

परस्तुत स्मारिक में संकलित लेखों के चयन, संपादन और प्रूफशीघर में अत्यधिक सावधानी बरते जाने के बावजूद बहुत संभव है कि न चाहते हुए भी कुछ त्रुटियाँ / अशुद्धियाँ हो सकें रह गई हों। अतः सुधीजनों से विनम्र निवेदन है कि वे इन त्रुटियों की ओर ध्यान न देते हुए इसकी अच्छाई को गहण करें।

गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है :-

"जड़ घेतन गुन दोषमय विस्तवीन्ह कर तार।
संत हंस गुन गहहि पथ परिहरि बारि विकार ॥"

सेमिनार के आयोजन में हमें जिन संस्थानों एवं व्यक्तियों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त हुआ है उनके प्रति हम आभारी हैं। आशा है कि अविष्ट में भी उनका सक्रिय सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। इस सेमिनार का आयोजन भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक, महोदय, श्री आर. के. सिन्हा के मार्गदर्शन और संरक्षण में किया जा रहा है। हम उनके प्रति आभारी हैं। राजभाषा अधिकारी, डॉ. पी. के. जैन ने इस कार्य में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया है। स्मारिका के उन्कृष्ट प्रकाशन में मुद्रणालय के श्री ए.के. सिंह, मुख्य संपादक, श्री एम. सुमेश, वरिष्ठ संपादक, श्री पी.एल. मस्राम, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, श्री अनुराग मिश्रा, कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं उनके सभी सहयोगी दल के लिए भी मैं हृदय से आभारी हूँ। स्मारिका के लिए लेखों के चयन, संपादन एवं प्रूफ्रॉड्यन कार्य में श्री राजीव कुलक्षेष्ण, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, श्रीमती मिताली चट्टी, हिंदी अनुवादक, श्री संजय आर. डॉगरे, हिंदी अनुवादक तथा श्री असीम कुमार, हिंदी अनुवादक का विशेष योगदान रहा है। लेखों के टंकण, समेकन एवं पृष्ठों की आकर्षक सजावट के कार्य में श्री जगदीश अहरवार, हिंदी आशुलिपिक एवं श्री प्रदीप कुमार सिन्हा, हिंदी टंकक ने विशेष सहयोग प्रदान किया है। एतदर्थे इन सभी सहयोगियों के प्रति भी हम आभारी हैं।

धन्यवाद सहित,

आपका



(प्रमोद एस. संगोले)

* * * अनुक्रमणिका * * *

क्र.सं.	प्रालेखों के सीधे	लेखक	पृष्ठ संख्या
1	विष्व श्रेणी तात्र अवसर (कार्यपाद क्रौंच) का सञ्जीकरण	प्रधान विष्वर पी.नी. चड्ढा विविध उभोदाह पी.नी.र. ने, कलाना कृ. संघ जान पीर लोहड़ा	1-6
2	अर्थ खबर एवं परिवहन के प्रतिशंख, विवरण तथा अवसरोपन में भारतीय खाल चूपो का बोगदाव	पीर शाह रहे	7-16
3	अंग्रेजिक छविज (चूपा पत्थर)	ज.वी. मिश एम.जी. चड्ढा कृ. संघ जान पीर लोहड़ा	17-22
4	छविज एवं खबर क्षेत्र का बदला स्थलय	ज. वी. के. नेर	23-29
5	छविज क्षेत्र के बदलते पश्चिमव राज्य में छविज अर्थशास्त्र प्रभाग की भूमिका	पीर कुमार राजी सुलील कुमार राजी विष्व कुमार राजेन्द्रा	30-40
6	छविज क्षेत्र के बदलते पश्चिमव में केन्द्रीय पुस्तकालय, भारतीय खाल व्यूले चुनौतियाँ एवं उपाय	विष्व कुमार राजेन्द्रा सलालंद परोद्य	41-48
7	जनता धारु का उत्पादक भालत ने बदलता पश्चिमव	पुष्पेन शिंदेने उमपाल गोदाने,	49-58
8	जनता अवस्क भंडारों के लाभकारी दोहन हेतु ल्लूततम येड	ज. हेन्द लाली सुलील कुमार राजी	59-68
9	भारत का क्रोमाइट भंडार एवं उसका आकालन	ज. लक्ष्मी वेळ, कृ. हेन्द अरो	69-78
10	राष्ट्रीय छविज नूची का महत्व एवं विश्लेषण	पद्मोद्ध जितानी सुलील कुमार राजी	79-91
11	लोह अवस्क एवं दृस्पाल की मांग एवं मूल्य से संबंधित मुद्दे	ज. वी. ने. के.	92-101
12	चुकिंदा क्रोमाइट - विहंगायलांकन	पीर कुमार लोहड़ा	102-108
13	खबर एवं छविज सर्विसोंकी प्रभाग का कार्यप्रणाली	पर.के. देवार्थ	109-112



निम्न श्रेणी ताप्र अयस्क (कॉपर ओर) का सज्जीकरण

प्रथमा दिवाकर,
गी. पी. पाठ्यका
भाविका रामठेके
डॉ. डी. ए. झल्ला,
डॉ. राम्या लाल,
श्रीमती इंदिरा रथीन्दन

प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र की प्रगति में उसकी खनिज संपदा एवं खनिकर्म की अहम भूमिका होती है। खानों से खनिजों का उत्पादन बढ़ाना हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। खनिज वह प्राकृतिक संपदा है जिसका पुनः स्थापन नहीं किया जा सकता; इसीलिये खनिजों का उपयोग एवं उनका संरक्षण अनिवार्य है।

खनन क्षेत्र के बदलते परिदृश्य में निम्न श्रेणी अगस्कों और खनिज अवशिष्टों द्वारा विक्री योग्य उत्पादों की प्राप्ति आज की आवश्यकता है और इस दिशा में, खनिज प्रक्रमण के द्वारा, इस उद्देश्य की पूर्ति में भारतीय खान व्यूरो की अहम भूमिका है।

सारांश

यह लेख जिस निम्न श्रेणी (Low Grade) नमूने के सज्जीकरण से संबंधित है, वह ताप्र अयस्क, राजस्थान के खेतली रो, भारतीय खान व्यूरो की खनिज प्रसंस्करण प्रयोगशाला में सज्जीकरण हेतु भेजा गया, जिसका उद्देश्य था एक उचित राजीकरण विधि का विकास करना जिससे प्राप्त सांद्र (Concentrate) में ताप्र (Cu) की मात्रा (Content) बढ़े।

मूल रूप से प्राप्त नमूने में Cu:0.52%, SiO₂:61.84%, Fe₂O₃:18.19%, Al₂O₃:9.23%, CaO:1.12%, MgO:4.92%, S(T):1.69%, Na₂O:1.73%, K₂O:0.66%, Cl:0.28%, P₂O₅:0.12%, TiO₂:0.35%, MnO₂:0.24%, और एसिङ इनसोल्यूबल: 73.99% था।

फैन फ्लवन प्रक्रिया (Froth Flotation) द्वारा, सोडियम आइसो प्रोपील डिंबेट (SIPX), तंगाहक के रूप में, पाइन ऑइल (Pine Oil) फेनक (Frother) के रूप में तथा सोडियम सिलिकेट (Sodium Silicate) अवमनक (Depressant) के तौर पर उपयोग करने पर प्राप्त अंतिम सांद्र में Cu: 22.75% भार 1.7% तथा ताँब की उपलब्धि 74.4% पायी गई। इसके साथ ही एसिड इनसोल्युबल 4.65%, SiO_2 : 2.89%, Fe(T): 34.82%, S: 32.38%, LOI: 14.97%, P_2O_5 : 0.01%, CaO : 0.3%, MgO : 0.80%, Co_2O_4 : 0.083%, NiO : 0.044%, और TiO_2 : 0.053% था।

1. नमूने के गुणधर्म (Characteristics of Sample)

- अ. भौतिक : यथावत (मूल) प्राप्त नमूने में 1 से 4 इच तक के आकार के सुरक्षित (compact) एवं कठोर (hard) पिण्डकों (lumps) का समावेश था, जिनका रग भूरा था।
- ब. खनिजिकी : यथावत नमूने में मूल्यवान ताँब का अयस्क चालकोपाइराइट (~2%) पाया गया, जिसके साथ अन्य ताँब अयस्क जैसे चालकोसाइट, मेलायाइट, कोलेनाइट कम मात्रा में थे।
- क. रासायनिक : क्वार्टज (30-35%) एम्फीबोल (20-25%), क्लोराइट (~20%), माइक्रो (12-15%), पाइरोटाइट (3-4%), मेगनेटाइट (2-3%), गारनेट (~2%), पाइराइट (1-2%) तथा अति कम मात्रा में (Traces) गोयेथाइट, लिनानाइट, इ अशुद्धिया पायी गई।
- द. रासायनिक : प्रतिदर्शित -10 मेश आगाम (साइज) के नमूने को -200 मेश तक पेशित (grind) कर उसका रासायनिक वि लेशण किया गया। परिणाम से ज्ञात हुआ कि इसमें ताँब की मात्रा 0.52% है।

2. बिलायी (क्लेंटिट) चालन प्रक्रम (Wet Sieve Analysis)

मूल -10 मेश प्रतिदर्शी (Representative) नमूने को, 30, 50, 70, 100, 150, 200 एवं 300 मेश की छाननी रो छाना गया तथा उनित भागों का रासायनिक विश्लेषण किया गया। धात्तिक परिणाम दर्शाते हैं कि नमूने के -200+325 मेश तथा -325 मेश भागों में ताँब (Cu) की मात्रा (content) अधिक थी।

3. फेन प्लवन प्रक्रिया (Froth Flotation)

प्लवन प्रक्रिया में प्रयुक्त विभिन्न प्रारूपों (parameters) को निश्चित करने के लिये जैसे मेश ऑफ ग्राइंड संग्राहक (कलेक्टर) की मात्रा, अवमनक (depressant) की मात्रा, फेनक (frother) का चयन, प्रानुकूलन समय (कन्डीशनिंग टाइम), इत्यादि पर प्लवन प्रक्रियाएँ की गईं।


4. मेश ऑफ ग्राइंड (MOG)

लगभग 2–2 किलो की 4 बैचेस लेकर बॉल मिल में उन्हें 14, 20, 26 और 32 मिनट के लिये क्रमशः पेशित किया गया एवं उन पेशित लुगदों (slurry) पर प्लवन प्रक्रिया की गई।

धारिक परिणाम दर्शाते हैं कि, जैसे जैसे नमूने जी बारीकी बढ़ती है, ताप्र की उपलब्धि (recovery) बढ़ती जाती है और अवरिट (tailings) में ताप्र की कमी होती है। 26 मिनट और 32 मिनट तक पीसे हुए द्रव्य पर की गई प्रक्रिया के धारिक परिणाम लगभग समान पाये गये अतः 26 मिनट की पिसाई (grinding) (72.6% –200 मेश) पर आगे की प्लवन प्रक्रियाएँ की गईं।

5. उचित pH का चयन

प्लवन प्रक्रिया में उपयुक्त pH के चयन हेतु अलग-अलग pH पर (6.5, 7.5, 8.5, 9.0) प्लवन प्रक्रिया की गई। यह पाया गया कि 6.5 pH पर सबसे अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। ताप्र की क्षेणी एवं उपलब्धि पर pH का प्रभाव चित्र 1 में दर्शित है।



6. फेनक (Frother) का उपयोग

प्रतिदर्शी -10 में पर अलग-अलग प्लावकों (Pine Oil, MIBC, Somsol) का उपयोग कर प्रक्रिया की गई। धात्तिक परिणाम दर्शाते हैं कि याइन आइल के उपयोग से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए।

7. संग्राहक की उचित मात्रा का निर्धारण (Optimization of Collector dosage)

संग्राहक (Collector) की उचित मात्रा निर्धारित करने हेतु संग्राहक की अलग-अलग मात्रा लेकर प्रयोग किये गये और यह पाया कि 0.015 कि/टन. की उपयुक्त मात्रा थी जिससे अच्छा संद्र प्राप्त हो सका।

8. प्रान्तुकूलन समय (Conditioning Time) का प्रभाव

प्लावन प्रक्रिया में कन्डीशनींग टाइम का प्रभाव देखने हेतु विभिन्न conditioning time देकर प्रयोग किये गये। धात्तिक परिणाम दर्शाते हैं कि 2 मिनट का समय अच्छे परिणाम के लिये उचित था।

9. पेशित द्रव्य (लुगदी) को पीसकर 24 घंटे रखने के बाद प्रभाव

एक प्रयोग में 2 किलो नमूना (-10 मेश) को 26 मिनट तक थौल निल में पीसकर उसे 24 घंटे के बाद उस पर प्लवन प्रक्रिया की गई। दूसरे प्रयोग में नमूने (-10 मेश) को 26 मिनट तक पीसकर तुरंत प्रक्रिया की गई।

दोनों प्रयोगों से प्राप्त धात्यिक परिणामों से ज्ञात होता है कि 24 घंटे को रखने से ताप्र की उपलब्धि बढ़ी किन्तु ताप्र की मात्रा घटी।

10. अवमनक सोडीयम सिलिकोट की उचित मात्रा का निर्धारण

अवमनक (depressant) की उचित मात्रा निर्धारित करने हेतु अवमनक की अलग-अलग मात्रा लेकर प्रयोग किये गये और यह पाया गया कि 0.25 कि./टन की मात्रा हारा अच्छा सांद्र प्राप्त हुआ।

11. अतिम प्रयोग

उंपरोक्त सभी प्रयोगों हारा प्रस्थापित/प्राप्त संग्राहक, फेनक एवं अवमनक की उचित मात्राएं, पेशण समय और प्रानुकूलन समय (कण्डीशनिंग टाइम) के अनुसार अतिम प्लवन प्रक्रिया की गई। इस प्रयोग में (SIPX) संग्राहक (Collector) 0.015 कि./टन, 0.25 कि./टन अवमनक (Depressant) तथा 0.015 कि./टन फेनक (Frother) का उपयोग किया गया।

रफर फ्लोट को तीन क्लीनिंग दी गई। जो तीसरा क्लीनर फ्लोट प्राप्त हुआ उसमें Cu: 22.75% भार% 1.7 ताप्र की उपलब्धि 74.4% पायी गई। इसके साथ ही एसिड इनसोल्युबल 4.65%, SiO₂: 2.89%, Fe(T): 34.82%, S: 32.38%, LOI: 14.97%, P₂O₅: 0.01%, CaO: 0.3%, MgO: 0.80%, Co₃O₄ : 0.083%, NiO: 0.044%, और TiO₂: 0.053% पाये गये।

धात्यिक परिणाम की सारणी निम्नानुसार है :

प्राप्तवाता	ताप		
	मात्रा	वैपरी	उपलब्धि
III cl. Float	1.7	22.75	74.4
III cl. Tails	0.5	1.46	1.4
II cl. Tails	0.5	2.39	2.3

I cl. Tails	6.7	0.48	6.2
R Tails	90.6	0.09	15.7
Head (calc.)	100.0	0.52	100.0
R float	9.4	4.66	84.3

12. उपसंहार

भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर की खनिज प्रसंस्करण प्रयोग पाला, एम.आय.डी.री., हिंगणा रोड, नागपुर में विकसित सज्जीकरण विधि (प्लवन प्रक्रिया) द्वारा निम्न कोटि 0.52% ताप्र अयस्क को परिशृङ्खल कर उच्च कोटि 22.75% ताप्र ओणी का सांद्र प्राप्त किया जा सका जिसका भार% 1.7 तथा उपलब्धि 74.4% थी। ताप्र अयस्क की 'फीड ग्रेड' कट ऑफ ग्रेड (1% ताप्र) से कम होने के बावजूद उससे स्मेल्टर ग्रेड का सांद्र प्राप्त करना समव द्वारा हुआ। इसके अलावा सांद्र में एसिड इनसोल्यूबल की मात्रा कम होने के कारण इसे दूसरे निम्न श्रेणी के अधिक एसिड इनसोल्यूबल निहित ताप्र सांद्र के साथ मिश्रित कर उपयोग किया जा राकता है।

धन्यवाद : लेखक माननीय गहानिंगत्रक महोदय श्री आर के सिन्हा वो हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं व्यौं कि उनकी अनुमति एव प्रोत्साहन के द्वारा ही यह अध्ययन कर, लेख प्रस्तुत कर सके। साथ ही हम राजभाषा समिति, भारतीय खान ब्यूरो को भी धन्यवाद देते हैं, जिसके अधक प्रयत्नों से हिन्दी का यह तकनीकी सेनिनार/सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित हो सका।

संदर्भ: आय.डी.एम., खनिज प्रसंस्करण प्रभाग की अनुसंधान रिपोर्ट (IBM/NGP/RJ NO.2070)

पाषाण के भीतर जी मधुर झोल होते हैं, उसमें मदिरा नहीं शीतल जल की धारा बहती है। - जयशंकर पसांद



**अैथिं खनन एवं परिवहन के प्रतिबंध, नियंत्रण
तथा अवरोधन में मार्तीय खान व्यूरो का योगदान**

श्री गिरीष मनोहर दडे
वरिष्ठ लकनौकी सहायक (ख)
गुरु खान नियंत्रक कार्यालय

पूर्वीचिका :-

इस्कीसी सदी की शुरुआत में आज से 15 वर्ष पहले भारत की मूल्यवान खनिज संपदा पर "अैथिं खनन एवं परिवहन की घटनाओं के काले बादल भंडराने लगे और भाफिया राज का जन्म हुआ। सोशल मीडिया, राष्ट्र के प्रमुख समाचार पत्र, राजाहिकों एवं स्थानीय समाचार पत्रों में इसकी बधी होने लगी। इन घटनाओं से भारत के सभी राज्य सरकारों, खनन हेतु ली बड़ी कम्पनियों एवं खान भालिकों में हड्डकम्प मच गया। खनिज भंडर की इस धरोहर पर असामाजिक तत्व हाथी होने लगे जिसके कल्पन्वरूप राज्य सरकारों के लिए यह एक गमीर चिंता और चिंतन का विषय बन गया, एवं असामजिक की स्थिति उत्थन हो गई।

अैथिं खनन, कालाबाजारी, अैथिं परिवहन एवं खनिज तरकारी से न केवल पृथ्वी परन्तु पर्यावरण एवं दून सम्पदा को नुकसान होने लगा और जलवायु एवं खेत खलिहानों पर इसका गमीर परिणाम दिखने लगा।

खनिज सम्पदा एवं खनन पट्टों का स्वामित्व खुनि अधिग्रहण का अधिकार पूर्वक्षण अनुज्ञाति परयाना, खनन पट्टों की स्वीकृति एवं वितरण, खनिज सम्पदा से प्राप्त होने वाले राजस्व मुद्राकोश राज्य सरकारों के पास होने से उन्हें "अैथिं खनन एवं परिवहन" के भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है और निरतार घटने वाली ऐसी पटनाओं से राज्य सरकारों की शक्ति, क्षमता, योग्यता, युलिस तत्र, शुरुका तंत्र, परिवहन विभाग, जनशक्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रश्न विहन निर्माण हो गया। प्रतिदिन घटने वाली इन पटनाओं से राजस्व की भारी क्षति होने लगी एवं पर्यावरण को भी काफी नुकसान हुआ।

अैथिं खनन की परिणाम :-

- (क) अनुज्ञापि के बिना खनन
- (ख) पट्टा हेतु से बाहर खनन
- (ग) रियायत अंतरण के लिए सम्बद्ध राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए बिना पट्टा हेतु में खनन करना

- (६) विशिष्ट प्राधिकार के बिना खनिजों को एकत्रित करना
- (७) मात्रा और श्रेणी के अनुसार स्वामित्र का संदाय किए बिना खनिजों को एकत्रित करना
- (८) खनन रेखांकन के उल्लंघन ने खनन
- (९) विशिष्ट प्राधिकार के बिना एकत्रित किए गये खनिजों का परिवहन
- (ज) लागू केन्द्रीय और साज्य अधिनियमों तथा तदीन नियमों के उल्लंघन में खनन और एकत्रित किए गये खनिजों का परिवहन
- (झ) खनिजों के व्यवन को सुकर बनाने हेतु उनके सदगम और त्रोत को आच्छादित करने के लिए बहु व्यापार संघरणहार करना
- (ट) पट्टा केत्र से बाहर खनन को छिपाने के उद्देश्य से भू-अभिलेखों के साथ ढेराड़ और अंतराज्यीय रीमाओं को मिलाना ।
- (ठ) खनिजों को एकत्रित करने, परिवहन, व्यापार और नियात के लिए विशिष्ट परिवहन अनुज्ञापत्रों का दुरुपयोग करना तथा लूटरचित परिवहन अनुज्ञापत्रों और अन्य दस्तावेजों का उपयोग करना ।

अवैध खनन के विभिन्न कारण :-

1. राज्य सरकारों द्वारा अपने अधिकार एवं शासन का सही ढंग से उपयोग न करना ।
2. लोह अयर्स, मैग्नीज अयर्स, ग्रेनाइट एवं रेत की बड़ती झुइ मांग और राज्य सरकार का व्यापार और निष्पादन पर नियंत्रण रखने में असफल होना ।
3. खनिज तम्बाद वाले देशों का खनन पट्टों में लही ढंग से परिवर्तन करने में राज्य सरकार की विफलता ।

भारत दर्जे के खनिज देश में ऐसी दिनांकनक परिस्थिति उत्पन्न होने से केन्द्र सरकार का उत्तरदायित बढ़ गया और इस संकट से निष्टाने के लिए राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की बीच संयुक्त रूप से विचार विभाषण एवं परामर्श आपात कालीन बैठकों द्वारा किया गया और अवैध खनन एवं परिवहन के अवशीष एवं प्रतिबंध के लिए खान मंत्रालय ने भारतीय खान बूरो का व्यवन कर इस राज्यया का समाधान दृढ़ने हेतु विधि नियमों के अंतर्गत लठोर कदम उठाने के निर्देश दिए एवं कार्रवाई को कियाशील एवं गतिशील बनाने के निर्देश दिए । इस सम्बन्ध में खान मंत्रालय के राधिक तथा राज्य सरकारों के समिय एवं भारतीय खान बूरो के तात्कालिन अधिकारियों के साथ दिनांक 07.07.2006 को बैठक ली गई जिसमें ग्यारह मूल्यवान खनिजों के स्वामीत्र वाले राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे । दिल्ली स्थित शास्त्री मदन में इस आपातकालीन बैठक में विषय वस्तुओं की घटनाओं से निष्टाने हेतु निश्चित कार्यप्रणाली को सुनिश्चित किया गया । इस बैठक में गुरुवार लोह अयर्स, मैग्नीज अयर्स, ग्रेनाइट एवं रेत का अवैध

उत्तराखण्ड, बड़ी मात्रा में इनका संग्रहण एवं परिवहन की घटनाओं पर प्रकाश ढाला गया। उपरोक्त बैठक के दरम्यान राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर कार्यबल (टारकफोर्स) का गठन करने हेतु तथा उड़नदस्ती को सधान बनाने हेतु सुझाव दिया गया। वर्तमान में कुल 22 राज्यों में कार्यबल का गठन किया गया। 1 आंध्रप्रदेश 2 असम 3 बिहार 4 छत्तीसगढ़ 5 गोवा 6 गुजरात 7 हरियाणा 8 हिमाचल प्रदेश 9 झारखण्ड 10 कर्नाटक 11 मध्यप्रदेश 12 महाराष्ट्र 13 मणिपुर 14 मिजोरम 15 नागालैंड 16 ओडिशा 17 पंजाब 18 राजस्थान 19 तमिलनाडु 20 उत्तराखण्ड 21 उत्तरप्रदेश 22 पश्चिम बंगाल उसी तरह से हर राज्य में “राज्य समन्वयन एवं अधिकार समिति” (एस सी ई आर्सी) का गठन करने हेतु भी सुझाव दिया गया एवं खनिज (विकास और नियमावली) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी के अंतर्गत पूर्ण अधिकार निश्चित कर सभी राज्य सरकारों द्वारा अवैध घोषने एवं परिवहन पर प्रतिक्रिया के लिए स्वतंत्र नियमावली बनाने के सुझाव भी दिए गए। वर्तमान में 13 राज्य सरकारों ने इस समिति का गठन किया है उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं— 1 आंध्रप्रदेश 2 छत्तीसगढ़ 3 गोवा 4 गुजरात 5 हरियाणा 6 झारखण्ड 7 कर्नाटक 8 मध्यप्रदेश 9 महाराष्ट्र 10 मिजोरम 11 ओडिशा 12 राजस्थान एवं 13 पश्चिम बंगाल। वर्तमान में कुल 20 राज्यों ने अपने स्वतंत्र नियम व नियमावली का ढांचा बनाकर उसकी एक प्रति भारतीय खान ब्लूरो को दिया है। इन राज्यों के नाम निम्नानुसार हैं—

1 आंध्रप्रदेश 2 बिहार 3 छत्तीसगढ़ 4 गोवा 5 गुजरात 6 हरियाणा 7 हिमाचल प्रदेश 8 जम्मू कश्मीर 9 झारखण्ड 10 कर्नाटक 11 मध्यप्रदेश 12 महाराष्ट्र 13 नागालैंड 14 ओडिशा 15 पंजाब 16 राजस्थान 17 तमिलनाडु 18 उत्तराखण्ड 19 उत्तरप्रदेश एवं 20 पश्चिम बंगाल।

अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रतिक्रिया एवं अवशेष हेतु खान मंत्रालय में हुई बैठक का ब्लौरा—

दिनांक 07.07.2005 को जो बैठक हुई उसके कार्यवृत्त रागीका, रणनीति एवं कार्य प्रणाली की प्रगति हेतु खान मंत्रालय के तात्कालिन संधिद, सञ्चय सरकारों के संघर्ष या प्रतिनिधि एवं भारतीय खान ब्लूरो के अधिकारियों के बीच 5 बैठके हुई जिसका कम इस प्रकार है : पहली बैठक दिनांक 03.08.2009 दूसरी बैठक दिनांक 27.11.2009 तीसरी बैठक 22.10.2010 चौथी बैठक 16.04.2010 एवं पांचवीं बैठक 21.09.2010 को सम्पन्न हुई।

“केन्द्रीय समन्वय एवं अधिकार समिति” की खान मंत्रालय के संचिव की अध्यक्षता में उपरोक्त विषय की अनुपालना हेतु दिनांक 24.07.2009 से दिनांक 28.06.2012 तक 9 बैठके हुई जिसमें भारतीय खनिज एवं खनन सम्बद्ध से जुड़े सभी विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श कर दिनांक 15.11.2007 को सभी राज्य सरकारों को खान मंत्रालय द्वारा सुझाव दिया गया कि ये अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रतिक्रिया हेतु तर वर्ष त्रैमासिक विवरण भारतीय खान ब्लूरो के सभी क्षेत्रों एवं ऑडिलिक कार्बोलयों के माध्यम से मुख्य खान नियन्त्रक कार्यालय में समव्यक्ति के अंतर्गत विना दिलम्ब प्रस्तुत करें ताकि भारतीय खान ब्लूरो उस ब्लौरे को खान मंत्रालय को भेजने की व्यवस्था कर सके। वर्ष 2009–10 से वर्ष 2015–16 (दिसंबर 16) तक राज्य सरकारों से प्राप्त त्रैमासिक विवरणियों की स्थिति निम्नानुसार है—

वर्ष	पहली लिपाई अंडॉल-सूच	दुसरी लिपाई ज़ुलैइ-लिपाचार	तीसरी लिपाई सफ्टवॉर-टिस्यावन	चौथी लिपाई ज़ब्बैट-मार्के	कुल सोग एवं औद्योग
2009-10	13	19	15	12	69 [15]
2010-11	15	17	17	15	64 [16]
2011-12	16	18	16	16	64 [16]
2012-13	14	16	16	15	63 [15]
2013-14	13	15	17	19	64 [16]
2014-15	17	18	16	17	70 [17]
2015-16 दिसेंबर तक	19	17	10	—	—

त्रैमासिक विषयरणियों का अन्याय करने के पश्चात् राज्य सरकारों द्वारा हर तिमाही में अपैद्य खनन एवं परिवहन के कुल घटनाओं की अपैद्य परिवहन की जानकारी, एक आई.आर. तथा अभियोग चलाने की जानकारी प्राप्त होती है जो कि खान मंत्रालय एवं हर वर्ष में होने वाले संसद रात्रि में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा भेजी जाती है।

भारतीय खान ब्यासो द्वारा "अवैध खनन एवं प्रदिपहन प्रतिक्रिया प्रबंधन" :-

खान मंत्रालय के सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 24.10.2007 को बैठक अनुपालन समीक्षा बैठक ही गई जिसमें अवैध खनन के बारे में नगरीलता प्रकट की गई एवं संसद में अवैध खनन के मुद्दों को उठाये जाने का सदर्द लिया गया। खान मंत्रालय के पत्र सं. कं 15/64/2008-एग वी आय दिनांक 13.08.2008 राज्यों के मुख्य सचिवों से एवं भारतीय खान व्यूरो के अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे जन-सामान्य में जागृति निर्माण करने हेतु परखबाड़ों का आयोजन करने की सिफारिश की एवं भारतीय खान व्यूरो द्वारा खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के अंतर्गत नियमित रूप से किये जाने वाले नियीकण के दरम्यान अगर कोई अवैध खनन एवं परिवहन की घटना दिखाई दें तो उस जानकारी से राज्य सरकारों को अवगत कराने की इच्छा प्रकट की। परखबाड़ के आयोजन हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सज्जों के लिए भारतीय खान व्यूरो द्वारा 11 दिन्दओं की मानांदर्शिका तैयार की गई।

भारतीय खान म्यूरो द्वारा "अवैध खनन एवं परिवहन प्रतिबंध पखदाठा" एवं नियमित निरीक्षण के द्वारा अवैध खनन की घटनाओं का विदरण निम्नानुसार है :-

सारणी - 2

वर्ष	विभिन्न वर्गीकरण का तात्पुरता	उक्त उनका की संख्या की रकम	होरीय कार्यालय ही अधिकार सेवा में आने वाले लोगों के नाम
2005-06	—	—	—
2006-07	झारुड	1	कनौटक
	गंडा	3	कनौटक एवं सोना
	हिंदुबाद	1	आदा जोशा
	कोलाहली	1	परिवन बंगले
2007-08	—	—	—
2008-09	जमालपुर	2	मध्य झेंसू
	हिंदुबाद	2	आदा प्राई
2009-10	अजमेर	1	ताजखान
	झारुड	1	कनौटक
	मुखोचर	1	ओटिङा
	जलसुर	2	मध्यप्रदेश
	हिंदुबाद	3	अप्र पट्टा
2010-11	झारुड	1	पुनौटक
	जेनाई	2	ताजखानाड़
	जबलपुर	1	ताजप्रदेश
	गंगाड़	2	महाराष्ट्र
2011-12	झारुड	1	कनौटक
	जेनाई	1	ताजखानाड़
	जलसुर	2	ताजप्रदेश
2012-13	जबलपुर	2	मध्यप्रदेश
	गंगाड़	1	ताजखानाड़
	गांगड़	1	मध्यप्रदेश

भारतीय खान ब्यूरो एवं राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से “अवैध खनन एवं परिवहन प्रतिबंध परिवर्तन” का विवरण निम्नानुसार है :-

समीक्षा - 3

सं	केन्द्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सरकारों के साथ संयुक्त रूप से	खनन की दिनांक	संयुक्त सरकार के अधिकार द्वारा लगाए गए नियमों के नाम
2009-09	बड़दुरुर लानि (म)	११. ०१.०९.०९ से १३.०९.०९	नव्यप्रदेश सरकार के सभी जिले
2009-10	अस्सीन लानि (३)	३१.०६.०९.०९ से १५.०९.०९	राजस्थान सरकार के प्रमुख नियम
	बड़दुरुर लानि (४)	२५.०३.०९	जनरल बेलारी इलामीट
	देहरादून लानि (५)	१०.०९.०९ से २४.०९.०९	लिंगार हिमाल प्रदेश
	बड़दुरुर लानि (६)	१०.०६.१०.०९ से १३.०९.०९	नव्यप्रदेश सरकार के सभी जिले
	कर्नाटक सानि (७)	१०.०३.०९	तमिलनाडु दृष्टीकोरित
		२४.०१.०९	तमिलनाडु योग्यता
2010-11	बड़दुरुर लानि (८)	०१.०१.१० से १४.०१.१०	नव्यप्रदेश सरकार के सभी जिले
	देहरादून लानि (९)	१०.११.१० से २५.१०.१०	लिंगार हिमाल प्रदेश
2011-12	—	—	—
2012-13	कर्नाटक लानि (१०)	२३.०४.१२ से १५.०६.१२	राजस्थान सरकार के महायात्रा जिले

भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विशेष कार्यबल (टास्क फोर्स) का गठन

खान मंत्रालय ने दिनांक 27.11.09 के कार्रवात पर समीक्षा बैठक हुई जिसमें माननीय खान मंत्री ने भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनियमित खनन के विषय में कार्रवाई हेतु विस्तृत विचार - विभार्ता के खान मंत्रालय के पत्र से संदर्भ १६ / १२ / २००९ एम.वी.आई. दिनांक 10.12.2009 द्वारा भारतीय खान ब्यूरो को निर्देश दिए गए कि वे अवैध खनन एवं परिवहन से प्रभावित राज्यों में ५० खानों की पहचान करे एवं उनका निरीक्षण करके दो सप्ताह के भीतर अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत करें। उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन हेतु भारतीय खान ब्यूरो द्वारा पहला कार्यबल टास्क फोर्स का गठन दिसम्बर 2009 में किया गया। जिसमें ५ बोर्डीय कार्यालय १. बंगलुरु २. कोलकाता ३. हैदराबाद ४. भुवनेश्वर ५. उदयपुर के ऊर्मीता कर्नाटक, झारखण्ड, आश्मिर्देश, ओडिशा, गुजरात इन ५ राज्यों की खानों को निरीक्षण हेतु चुना गया।

खान मंत्रालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन हेतु भारतीय खान ब्यूरो द्वारा वर्ष अप्रैल 2010, अगस्त 2010, नवम्बर 2010, मार्च 2011 एवं दिसम्बर 2011 में कार्यबल २ (फेरा १, २, ३, ४, एवं ५)

का गठन किया गया। इस कार्यबल के अंतर्गत बैगलुर, गोवा, भुवनेश्वर, कोलकाता, नागपुर, संची एवं हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लन्डक, गोवा, ओडिशा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एवं असमप्रदेश राज्यों में अनियमित खनन कार्य होने वाले खानों का निरीक्षण किया गया। कार्यबल 1 तथा कार्यबल 2 के अंतर्गत जिन खानों का निरीक्षण भारतीय खान ब्यूरो द्वारा किया गया उन खानों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है।

कार्यबल 1 तथा कार्यबल 2 (फैल 1- 6) के अंतर्गत कुल 454 खानों का निरीक्षण किया गया जिनमें से 161 खानों में निर्वित आदेश जारी किया गया जिसके द्वारा खनन प्रक्रिया को निर्लिपित किया गया। जिन खान मालिकों द्वारा कम्पनी द्वारा नियमों का पालन कर समिक्षार रिपोर्ट जिन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत किया ऐसी 161 खानों को भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रतिसंहरण आदेश जारी किया गया एवं खान प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने हेतु निर्देश दिए गए। जिन कंपनी द्वारा खान मालिकों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया ऐसी 18 खानों के खनन पट्टे रामात्रि द्वारा अनियंत्रित नियमावली 1960 के नियम 27 (1) (यु) एवं नियम 27 (5) के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों के पास ऐसी खानों की अनुशंसा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा भी गई।

स्थान मंत्रालय से अधैष खनन एवं परिवहन के संदर्भ में भारतीय खान ब्यूरो को प्राप्त हुए मंत्रालय संदर्भों का लेखा-जोखा :-

अवैश्य खनन एवं परिवहन हेतु विभिन्न राज्यों से तथा विभिन्न शिकायतकर्ताओं से ऐसी घटनाओं से संबंधित शिकायतें प्रधानमंत्री कार्यालय, अतिविधिष्ठ व्यवित्रों, केंद्रीय सरकार के सांसद तथा राज्य सरकारों के मंत्रीयों द्वारा स्थान मंत्रालय को प्राप्त होती है जो कि समय-रानव पर भारतीय खान ब्यूरो की ओर प्रेषित की जाती है जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधि के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण कर इसकी विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट अधिकारी भेजने के लिए कहा जाता है। ऐसे मंत्रालय संदर्भों की विस्तृत वार्षिक सारांश निम्नानुसार है :-

प्रधानमंत्री कार्यालय अतिविधिष्ठ व्यवित्र के संदर्भ मामाहित

वर्ष	संबंधित राज्य व्यवित्र की संख्या	संबंधित राज्य के प्रेषक की गई संख्या	बड़े संसद की घटनाओं की संख्या	संबंधित राज्य की संख्या
2008-2010	कुल योग	38	24	10
2010-2011	कुल योग	42	42	15
2011-2012	कुल योग	47	44	07
2012-2013	कुल योग	06	06	00
2013-2014	कुल योग	04	04	00
2014-2015	कुल योग	58	39	00
2015-2016	कुल योग	21	05	00

केन्द्र सरकार द्वारा न्यायमूर्ति श्री एम. बी. शाह के आयोग का गठन :-

जिन राज्यों में लोह एवं मैग्नीज अयस्क के विपुल भंडार पाये जाते हैं ऐसे राज्यों ने अवैध खनन परिवहन, तस्करी एवं संचयन की बढ़ती हुई चिनाजनक घटनाओं को देखते हुए अधिसूचना के एसओ 2817 दिनांक 22.11.2010 को केन्द्र सरकार ने भारत के राजपत्र द्वारा न्यायमूर्ति श्री एम.बी.शाह आयोग का गठन किया। आयोग द्वारा आष्ट्रप्रदेश, गोवा, कर्नाटक एवं औडिशा राज्यों में स्थित लोहआयस्क एवं मैग्नीज अयस्क की खानों का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण द्वारा खान और खनिज (विकारा और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 67, दन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 69, पर्यावरण (सुख्ता) अधिनियम 1986 की धारा 29 के उपबंधों के या तत्संबंधी जारी किए गए तथा उन्य नियमों या अनुदानियों या मार्गदर्शक शिल्पों के उत्तराधन में लोह एवं मैग्नीज अयस्क के बढ़े वैगाने पर खनन प्रक्रिया की रिपोर्ट प्राप्त हुई। भारतीय खान बूरो के अधिकारियों ने आयोग की बैठकों में हिस्सा लेकर लोह एवं मैग्नीज अयस्क की खानों में हो रही खनन अनियमितता के विषय में विचार विमर्श कर इस कार्यालय की संपूर्ण जानकारी आयोग को हस्तातरित की साथ ही साथ संबंधित राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त कर आयोग के तात्पर्य पूर्ण रूप से प्रस्तुत की।

न्यायमूर्ति श्री एम. बी. शाह के आयोग द्वारा पहला अंतरिम रिपोर्ट कार्यवाई के ज्ञापन के साथ दिनांक 14.07.2011 को संसद में प्रस्तुत किया गया जिसमें न केवल कार्यवाई का ज्ञापन है अपिलु लौह एवं मैग्नीज अयस्क का मैरकानूनी रूप से उत्तराधन, परिवहन, तस्करी, छुपे व्यापार, खनन अनियमितता इसके प्रतिबंध एवं अवरोध हेतु उपाय-उपचार के बारे में विस्तृत समीक्षा की गई है। आयोग द्वारा जो रिपोर्ट खान मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है वह रिपोर्ट खान मंत्रालय के (विभाग) पर उपलब्ध है। आयोग के रिपोर्ट में जो सुझाव तथा कार्यवाई की अनुशंसा की गई है उनका कार्यान्वयन भारतीय खान बूरो द्वारा दिनांकित खनन की एवं खानों में प्रारंभ कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप खनन पट्टे की अनियमितता, कानूनी रूप से नवीनीकरण, अनुभोदित खनन योजना के अनुसार कार्य न करने वाले खान मालिकों के विरुद्ध संघर्षित राज्यों ने उच्च न्यायालय में एवं कास्ट्रैक न्यायालय में भारी मात्रा में अपियोग दाखिल किया जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश राज्यों में खनन कार्यों को स्थगित कर दिया गया।

भारतीय खान बूरो द्वारा कार्यबल (टी.एफ.) ||| का गठन –

भारतीय खान बूरो गुरुग्राम ने खान मंत्रालय के संयुक्त संविध की अधिक्षता में दिनांक 16 एवं 17 अप्रैल 2013 को समीक्षा बैठक ली। नई जिसमें पहले कार्यबल की प्रगति का समीक्षा की गई तथा अवैध खनन, तस्करी, परिवहन, खजिनों का सम्प्रहण, लालाबाजारी एवं निर्यात जैसे घटनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। संयुक्त संविध ने इसी बैठक के दृश्यान भारतीय खान बूरो के वर्ष 2013–14 के वार्षिक निरीक्षण लक्ष्य ने 15 प्रतिशत निरीक्षण कार्यबल के अंतर्गत करने की इच्छा प्रगत कर कार्यबल 3 का गठन करने का निर्देश दिया। तदनुसार लिए भारतीय खान बूरो द्वारा जीध कार्यबल 3 का गठन किया गया जिसका निरीक्षण कार्यक्रम रिताराव 2013 से मार्च 2014 तक निश्चित किया गया। कार्यबल 3 में अजमेर, बैगलूर, चेन्नई, जबलपुर, कोलकाता, नागपुर तथा उदयपुर के अधीनस्थ आने वाले राज्यों में स्थित खानों का निरीक्षण किया गया उन खानों के विरुद्ध की गई कार्यवाई की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है।

कुल 205 खानों का निरीक्षण किया गया जिनमें से 72 खानों में खनन कार्य स्थगित करने के आदेश भारतीय खान ब्यूरो द्वारा जारी किए गए उनमें से 32 खनन पट्टालारियों द्वारा उल्लंघनों की या प्राक्धानों की घटनापूर्ति करने से स्थगन आदेश को हटाकर खनन कार्य पुनः शुरू करने के लिए प्रतिसंहरण आदेश जारी किए गए। बर्तमान में 40 खानों में स्थगन आदेश की स्थिति पूर्ववत् रूप से अस्तित्व में है। भारतीय खान ब्यूरो द्वारा कार्गिल 3 के अंतर्गत नियम 27 (1) (य) एवं 27 (5) खनिज रियायत नियमावली 1960 में खनन पट्टों लो समाज लगने हेतु दौशीय कार्यालयों से साज्य सरकारों की ओर अनुरांसा नहीं की गई।

अवैध खनन एवं परिवहन के प्रतिवध एवं अवरोध हेतु अन्य योजनाएँ:

1. खान मंत्रालय में दिनांक 21.09.2010 को बैठक ली गई जिसमें सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए कि वे खान मालिकों लो, खनिज क्षेत्र में कार्य करने वाली बड़ी-बड़ी कंपनियों व्यक्ति, व्यापारी एवं निर्यात करने वाली संस्थाओं एवं खनिज का अतिम घरण तक उद्योगों में उपयोग करने वाली बड़ी संस्थाओं को खनिज संरक्षण विकास नियमावली 1988 के नियम 45 के अंतर्गत अपने आपको भारतीय खान ब्यूरो के साथ पंजीकृत करने का कार्य अदिलंब शुरू करें।
2. सभी राज्य सरकारे अपने-अपने द्वीप में विशेष सुरक्षावाल का गठन कर उड़नदर्शी का यथाशीघ्र गठन करें।
3. अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रतिवध लगाने हेतु राज्य सरकार सेटेलाईट का उपयोग करें। बर्तमान में छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, साजरस्थान एवं तमिलनाडु में राज्य सरकार सेटेलाईट का उपयोग इस कार्य में कर रहे हैं। खान मंत्रालय ने वाली राज्यों को भी उपग्रहों का उपयोग करने के सुझाव दिए हैं।
4. होलोग्राम मार्किंग/यातायात में बारकोडिंग का उपयोग करने के सुझाव खान मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों लो दिए हैं। जर्मान में गुजरात, ग्रामखंड, कर्नाटक तथा ओडिशा उपरोक्त पद्धति का यातायात में उपयोग कर रहे हैं।
5. सभी राज्य सरकारों को खान मंत्रालय ने रुझाव दिए हैं कि वे अपने-अपने द्वीप ने अवैध खनन एवं परिवहन से प्रभावित खानों में विशेष सत्र का आयोजन करे एवं सीमा सुरक्षा दल का गठन कर सुरक्षा व्यवस्था का कंडाई से पालन करें।

भारतीय खान ब्यूरो का अंतरिक्ष प्रयोग का उपयोग करने हेतु बायसैंग (भास्कराचार्य अंतरिक्ष प्रयोग और जियोइंफरमेटिक्स संस्था) के साथ मतभेदन —

दिनांक 12 जनवरी 2015 को तल्कालीन केन्द्रीय सचिव, खान मंत्रालय की अध्यक्षता में देहक ली गई जिराकी कार्यकृत समीक्षा में अवैध खनन एवं परिवहन के प्रतिबंध एवं अवरोध हेतु अंतरिक्ष प्रयोग हेतु नया साफ्टवेयर विकसित करने के लिए भारतीय खान ब्यूरो एवं बायसैंग के बीच गठबंधन कर करारनामे पर हस्ताक्षर करने के निर्देश दिए गए। इसके अनुपालन हेतु भारतीय खान ब्यूरो के उदायपुर क्षेत्रीय कार्यालय से 2 अधिकारियों के नामित किया गया जो कि बायसैंग संस्था एवं गुजरात सरकार के साथ निलकर गुजरात राज्य में स्थित सभी मेत्र खनन पट्टों से संबंधित खराचा/कैडिस्ट्रूज नवही उपरोक्त साफ्टवेयर को विकसित करने हेतु अविलम्ब प्रस्तुत करें। खान मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले उपरोक्त पद्धति गुजरात राज्य में विकसित करने के पश्चात भारतीय खान ब्यूरो के बाढ़ी क्षेत्रीय कार्यालय के अधीनस्थ आने वाले राज्यों में इस पद्धति को अपनाकर अंतरिक्ष प्रयोग का उपयोग करें तथा उदायपुर दोत्रीय कार्यालय से इस कार्य के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एवं मार्गदर्शन लें।

उपसंहार :

भारत वर्ष की खनिज संपदा का स्वामित्र सभी राज्य सरकारों के अधीनस्थ एवं अधिकार में होने के पश्चात उनकी भूमि पर अवैध खनन एवं परिवहन के प्रतिबंध, नियंत्रण, तथा अवरोधन हेतु केन्द्र सरकार ने अविलम्ब यथाशीघ्र प्रयोजन एवं नियोजन करके ऐसे संवेदनशील विषय को भारतीय खान ब्यूरो की ओर हस्तांतरित वर इस विषय में गतिशील एवं कियाशील योजनाएं बनाने हेतु निर्देश दिए जो कि भारतीय खान ब्यूरो के समस्त अधिकारी एवं तकनीकी सहयोगियों द्वारा ऐसी घटनाओं पर राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से नियोजित, कर उत्पाद नियंत्रण बनाये रखा। भारतीय खान ब्यूरो ने “सतह कार्यस्त” की भूमिका का गरिम्य देते हुए समस्त खनिज क्षेत्र एवं खनन नालिकों को ऐसी घटनाओं से निर्भय प्रदान किया एवं खनन क्षेत्र में आत्मविश्वास निर्माण किया। पूर्व में भी भारतीय खान ब्यूरो लो किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी निभाने में हमेशा लतपरता दिखाई दिए हैं।

टिप्पणी — लेख में प्रस्तुत विचार लेखक के स्वयं के हैं। भारतीय खान ब्यूरो का गत इसरो भिन्न ही सकता है।

विकास मंडल द्वारा मूल का अंतरिक्ष नहीं पड़ता उसी द्वारा अंतरिक्ष अंतरिक्ष में इंटर के प्रकार का परिविवरण नहीं पह लकड़ा। एप्पल्यू परमहन

औद्योगिक खनिज (चूना पत्थर)

जे.पी. मिश्र^१
एम.जी. राजेन्द्र^२
डॉ.(सी.एस.) चंद्रा लाल^३
धीरजी बुनियरा रवीन्द्रन^४

किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी प्राकृतिक सम्पदों के समुचित उपयोग पर निर्भर करती है। खनिकर्म एक मूल उद्योग है। प्राकृतिक सम्पदों के दोहन में खनिकर्म का महत्व पूर्ण स्थान है। विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा नाल एवं ईंधन अधिकांशतः खानों से ही प्राप्त होता है। अतः खानों से खनिजों का अधिकतम् एवं योजना के लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन बढ़ाना हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। यह किया निरन्तर जारी रहने के कारण उत्पादन बढ़ाना हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। यह किया निरन्तर जारी रहने के कारण इसका पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। खनिजों को हमेषा सीधे तौर पर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। अतः अग्रसरों का सज्जीकरण अनिवार्य है।

देश में खनिजों पर आधारित अनेक उद्योग स्थापित हैं। इस लेख में केवल चूना पत्थर पर आधारित उद्योगों पर प्रकाश डाला गया है जिनमें सीमेंट एवं लौह इस्पात प्रमुख हैं।

प्रकृति में चूना पत्थर की पहचान तलछटी पत्थर (sedimentary rock) जो कि कार्बोनेट से युक्त होता है, के रूप में जाना जाता है। इसके गुच्छ रूप से दो खनिज होते हैं।

1. कैल्साइट CaCO_3

2. डोलोमाइट CaMgCO_3

इन अयस्कों में अल्युमिनियम आकराइड (Al_2O_3) आयरन आक्साइड (Fe_2O_3) व शिलिका (SiO_2) भी मौजूद रहते हैं।

कार्बनिक चूना पत्थर : बहुत सारे पौधे और जानवरों के शरीर में कैल्साइट विद्युनान रहता है। इनकी मृत्यु होने पर इनके (पूर्ण या दृटे हुए) शारीरिक अवश्यों से प्रकृति में चूनापत्थर का निर्माण होता रहता है।

इसके अलावा पृथ्वी की सतह में रूपान्तरित घटान (Metamorphic Rock) प्रक्रिया के समय ताप परिवर्तन व दबाव के कारण बनते हैं। उनको मार्बल (संगमरमर) कहते हैं।

¹ सहाय्यात्मक अधिकारी, ² उप अकारक प्रसाधन अधिकारी, ³ गुरुव्य अद्यक्ष प्रसाधन अधिकारी, ⁴ निदेशक (अपरक प्रसाधन)

इसी प्रकार चाक (Chalk) भी एक रूप होता है जो कि मुलायम, सफेद व मंगूर होता है।

देश में राष्ट्रीय स्तर पर चूना पत्थर का उत्पादन कर्नाटक (28%), आन्ध्र प्रदेश (20%), राजस्थान (12%) गुजरात (11%) मेघालय (9%) व छत्तीसगढ़ (5%) है।

खनिज उद्योगों में उपयोगिता खनिज उद्योगों में चूना पत्थर का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। निम्न सारणी में अलग अलग उद्योगों में इसके प्रतिशतवार खपत को दर्शाया गया है।

सारणी

उद्योग	खपत (प्रति ल)
सीमेंट	78.0
लौह व इस्पात	14.0
चूना	4.0
भावकर	
रसायन	4.0
कागज	
कांच	
चर्वरक	
	100.0

उपरोक्त सारणी को देखने से यह स्पष्ट होता है कि चूना पत्थर का मुख्य रूप से उपयोग सीमेंट एवं लौह व इस्पात उद्योग में होता है। अतः यहाँ पर केवल सीमेंट, लौह व इस्पात उद्योग के विषय में चर्चा करेंगे।

सीमेट उद्योग

सीमेट उद्योग में प्रयुक्त चूना पत्थर में CaO (कैलिशियम आक्साइड) की मात्रा न्यूनतम 45% या अधिक होनी चाहिए। इसमें मैग्नीशियम आक्साइड (MgO) की मात्रा 5% से कम रहनी चाहिए। इसमें P_2O_5 की मात्रा 1% से अधिक होने से सीमेट के जमने की प्रक्रिया को धीना कर देता है।

भारत में सीमेट उद्योग में CaO 42% min, Al_2O_3 1-2%, Fe_2O_3 1-2%, SiO_2 12-16%, MgO 4% Max. की मात्रा भारतीय मानक व्यूरो दबारा निर्धारित की गई है।

लौह व इस्पात उद्योग

लौह व इस्पात उद्योग में चूना पत्थर को कैलिशेशन के पश्चात धमन भट्टी (blast furnace) व इस्पात के कारखानों में पलवस के रूप में प्रयोग करते हैं। लौह अद्यक्ष के सिन्टरिंग में इसे पलवस रूप में प्रयोग करते हैं। इस्पात उद्योग ने यह दो प्रकार से कार्य करता है। प्रथम गलन (Melting) तापक्रम को कम रखना। दूसरा सिलिका व आयरन के साथ मिलकर यह कैलिशम सिलिकेट बनाता है जो Slag (कचड़े) के रूप में बाहर निकल जाता है।

Blast furnace (धमन भट्टी) में उपयोग में आने वाले चूना पत्थर में $CaCO_3$ की मात्रा 90% से कम नहीं होनी चाहिए। सिलिका (SiO_2) और (Al_2O_3) की मात्रा मिलाकर 6% से कम, MgO 4% से कम तथा सल्फर व फास्फोरस की मात्रा न्यूनतम रो न्यूनतम होनी चाहिए।

विश्व में सीमेट उत्पादन के क्षेत्र में थीन के बाद भारत ही सबसे बड़ा देश है। भारत में प्राप्त चूना पत्थर निम्न श्रेणी का तथा Heterogeneous प्रकृति का होता है। साथ में Clay (मूदा), क्वार्टज, मैग्नीशियन सिलिकेट (Diopside, Olivine) तथा लोह जनित तत्व जैसी अशुद्धियां भी विद्यमान रहती हैं। इसलिए इनको सीमेट उद्योगों में प्रयोग

के पहले इनके सज्जीकरण (Beneficiation) की आवश्यकता होती है। जिसकी सुविधा भारतीय खान ब्यूरो के खनिज प्रसंस्करण प्रभाग की प्रयोगशाला में उपलब्ध है।

सज्जीकरण में समस्या एवं समाधान

भारत में 90% सीमेंट निर्माण कम्पनियाँ शुष्क विधि (Dry Process) से निर्माण करती हैं। इसलिए कम्पनियाँ सज्जीकरण की विधि भी Dry Process में चाहती है। चूना पत्थर में संयुक्त अशुद्ध खनिज Clay (मृदा), आयरन आक्साइड, मैग्नीशियम सिलिकेट (Olivine, Diopside) तथा लौह जनित चूर्ण होते हैं। मृदा (Clay) का भौतिक गुण चूना पत्थर के ही समान होता है इसलिए Dry Process (शुष्क विधि) द्वारा इनको अलग करके पर्याप्त मात्रा में उच्च श्रेणी का सान्द्र प्राप्त करना मुश्किल होता है।

शुष्क विधि में Crushing (संदर्भ) व Screening (छानना) विधि द्वारा कुछ मात्रा में चूना पत्थर में से मृदा (Clay) को अलग किया जा सकता है।

आयरन आक्साइड व लौह जनित चूर्ण का चुम्बकीय पृथक्करण विधि (Magnetic separation) द्वारा अलग किया जा सकता है।

मैग्नीशियम आक्साइड (MgO) को यदि वह मैग्नीशियम सिलिकेट (diopside, olivine) के रूप में मौजूद है तो इसे अलग किया जा सकता है। लेकिन यदि यह डोलामाइट के रूप में मौजूद है तो इसे पलोटेशन (फेन प्लवन) विधि द्वारा भी प्रभावी ढंग से अलग नहीं किया जा सकता है।

भारतीय खान ब्यूरो कार्यालय के खनिज प्रसंस्करण प्रभाग द्वारा चूना पत्थर को प्राप्त कई नमूनों का सज्जीकरण किया गया है। इस प्रकार प्राप्त सान्द्र को सीमेंट निर्माण की कम्पनियों में प्रयोग हेतु प्रवाह आकृति भी विकसित की गई है। कुछ उपाहरण दिए जा रहे हैं।

नमूनों के सज्जीकरण का संक्षिप्त विवरण

प्रायोजित समठन / कंपनी	क्षेत्र	गुल नमूने का रसायनिक लिश्लेषण	मृत नमूने का खनिजीय लिश्लेषण	प्राप्त सान्द्र का परीक्षण			प्रायोगिक प्रक्रिया
				भार %	आगाम %	प्रतिशत उपलब्धि	
एसीओ लिमिटेड	नगरी राजस्थान	CaO - 38.20 SiO ₂ - 22.81 Al ₂ O ₃ - 3.12 Fe ₂ O ₃ - 1.68 MgO - 0.93	कैल्साइट क्वार्ट्ज अफ्फू कैलस्ट्राइट मार्गेट	74.0	CaO - 44.65 SiO ₂ - 13.70 Al ₂ O ₃ - 2.08 Fe ₂ O ₃ - 1.29 MgO - 0.70	86.0	नमूने को -200 में तक पीसने के बाद केन जटन (फ्लोटेशन) अविकर्म सोडियम सिलिकेट बोडियम ओलिएट
महाराष्ट्र सीमेट लिमिटेड	सदून बुलन (तामिळनाडु)	CaO - 31.10 SiO ₂ - 35.58 Al ₂ O ₃ - 2.52 Fe ₂ O ₃ - 2.06 MgO - 0.85	कैल्साइट क्वार्ट्ज मुरा कैलस्ट्राइट मार्गेट	55.2	CaO - 49.29 SiO ₂ - 7.19 Al ₂ O ₃ - 1.30 Fe ₂ O ₃ - 1.24 MgO - 0.77	86.5	नमूने को -200 में तक पीसने के बाद केन जटन (फ्लोटेशन) अविकर्म सोडियम ओलिएट

भविष्य की सोच – निरन्तर सीमेट उत्पाद बढ़ने से भविष्य में सीमेट ग्रेड के चूना पत्थर की खाने खत्म हो सकती है। यद्योंकि सीमेट उत्पादन के क्षेत्र में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसलिए इसका ध्यान रखते हुए उच्च श्रेणी के चूना पत्थर को सुरक्षित रखते हुए निम्न श्रेणी के चूना पत्थर के सज्जीकरण को महत्व देना आवश्यक है। तथा उच्च श्रेणी के चूना पत्थर को निम्न श्रेणी के चूना पत्थर में जमानुपात्र रूप में मिलाकर उपयोग में लाने पर बल दिया जाय।

धन्यवाद

लेखक भारतीय स्थान व्यूरो के महानियंत्रक श्री आर. के शिंहा को धन्यवाद देते हैं। व्योमि आपके मार्गदर्शन से ही यह लेख राजभाषा तकनीकी सेमिनार में प्रस्तुत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। साथ में लेखक राजभाषा तकनीकी सेमिनार की समिति को आयोजन हेतु धन्यवाद देते हैं।

* * * * *



अनुराग, वीवन, रूप या धन से उत्पन्न नहीं होता। अनुराग, अनुराग
से उत्पन्न होता है। - प्रेमचंद

खनिज एवं खनन क्षेत्र का बदला स्वरूप

डॉ. पी. के. जैन

अधीक्षण भूविज्ञानी एवं

राजभाषा अधिकारी,

भारतीय खान व्यूरो

Email Dr.pkjain.ibm@nic.in

प्रकृति में बदलान स्वरूप प्रचुर मात्रा में दिए गए विभिन्न प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, जल, वन आदि में खनिजों के अपार भंडार मानव के संपोषित विकास को अद्यसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। खनिज एवं खनन क्षेत्र खनिज आधारित उद्योगों, मूल्य संवर्धित उत्पाद, रोजगार से अवसर, आधारभूत ढांचागत विकास, राजस्व, विदेशी मुद्रा अर्जन और देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान आदि में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं।

गत कुछ वर्षों में न्यायालयों के निर्णय, जाँच आयोग की रिपोर्ट, केंद्र एवं राज्य सरकारों में खनिज रियायतों आदि से बाहित अनेक मामले, अवैध खनन आदि के कारण खनिज क्षेत्र का विकास लगभग रुक सा गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा दिये गये कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों जैसे खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधित अधिनियम 2015, मूल्य खनिजों में से 31 खनिजों की गौण खनिजों रूप के में अधिसूचना आदि अन्य के कारण इस क्षेत्र में एक नई क्रांति का संचार हुआ है। मूलतः पारदर्शिता के आदि अन्य के कारण इस क्षेत्र में एक नई क्रांति का संचार हुआ है। मूलतः पारदर्शिता के साथ खनिज क्षेत्रों का दोहन के लिए आबंटन, खनिजों के खनन द्वारा जिकालने के बाद क्षेत्रीय सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर सुधार हेतु धन की उपलब्धता हेतु जिला खनिज संगठन का गठन, राज्यों के राजस्व वृद्धि एवं पारदर्शिता हेतु नीलामी द्वारा खनिज निक्षेपों का आबंटन, खनिजों के विस्तृत गवेषण हेतु संसाधनों की उपलब्धता आदि बहुयामी विकास के लक्ष्य को हिटिंगोचर करते हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत लेख में खनिज एवं खनन क्षेत्र की कुछ प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन करने का प्रयास किया गया है :

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधित अधिनियम, 2015

पारदर्शिता लाने हेतु खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम में संशोधन -

सरकार द्वारा 12 जनवरी, 2015 को परित खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) (MMDR) संशोधन अधिनियम, 2015 से खनिज निषेधों के आबंटन में पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और इं-नीलामी की शुरूआत हुई। इससे खनिज संसाधनों का संवर्धित मूल्य प्राप्त किया जा सकेगा और खनिज रियायतों के आबंटन में होने वाली प्रशासनिक देरी को दूर करने तथा देश में खनिजों के विकास की गति देने में मदद मिलेगी। पहले चरण में राज्यों ने (कोयला को छोड़कर बाकी प्रमुख खनिजों की) 43 खानों / ब्लॉकों को नीलामी के लिए अधिसूचित किया है जिनमें 6 खानों / ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है और इससे ओडिशा राज्य को ₹. 8,216/- करोड़ व छल्लीरामड राज्य को ₹. 4800/- करोड़ का अतिरिक्त राजस्व सुनिश्चित हो चुका है; आगामी वित्त वर्ष में दूसरे चरण के लिये राज्यों ने 42 खदानों नीलामी के लिये चिह्नित की है, जिनमें से 4 महाराष्ट्र में हैं तो सर्वाधिक 15 कर्नाटक राज्य में हैं।

खनिज (नीलामी) नियम, 2015

केंद्रीय सरकार खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खनिज (नीलामी) नियम 2015 की अधिसूचना दिनांक 25 मई 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई।

खान (खनिज के अंतर्वस्तु का साक्ष्य) Evidence नियम, 2015

केंद्रीय सरकार खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खान (खनिज के अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 Mineral (Evidence of mineral Contents) Rules, 2015 की अधिसूचना दिनांक 17 अप्रैल, 2015 को भारत के राजपत्र में की गई।

खनिज (नीलामी) नियम, 2015

केंद्रीय सरकार खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खनिज (नीलामी) नियम, 2015 की अधिसूचना दिनांक 25 मई, 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई।

खनिज (गैर विशिष्ट सर्वेक्षण अनुपालन) नियम, 2015 (Non Exclusive reconnaissance Permit)

केंद्रीय सरकार खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 10 (ग) के साथ गठित 13 उपचारा (2) के खड़ (थ थ ज) द्वारा केंद्रीय सरकार खनिज (गैर विशिष्ट सर्वेक्षण अनुपालन) नियम, 2015 की अधिसूचना 29 जून, 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई।

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKY) की शुरुआत -

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की शुरुआत सितम्बर, 2015 में खनन कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों (मुख्यतः आदिवासी और जनजातीय क्षेत्र) और लोगों के कल्याण के लिए की गई। इसके लिए निर्धारी की व्यवस्था लिला खनिज संस्थान (District Mineral Foundation) में प्राप्त अंशदान से की जाएगी। जिला खनिज संस्थान को पहाड़ियारकों से वार्षिक आधार पर 600 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के मुख्य बिंदु :

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य खदान क्षेत्र के विकास के साथ - साथ वहाँ के निवासियों के कल्याण के लिए कार्य करना है।
- इस योजना के तहत यह भी दियान रखा जायेगा कि खनन के कारण बातावरण में जो हानि पहुँच रही है उससे कैसे निपटा जाये एवं कैसे प्रदूषण को कम किया जाये। खनन के कार्य से क्षेत्र में होने वाले प्रदूषण को कम करना भी इस योजना का उद्देश्य है।
- स्वशानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाये जाएंगे।

इस योजना के अनुसार सरकार द्वारा स्वस्थ जीवनशैली की तरफ अधिक

दिया जायेगा। यासतीर पर जिन सुविधाओं को प्रधानमंत्री खनिज

क्षेत्र कल्याण योजना में शामिल किया गया है वे इस प्रकार हैं -

- स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधा।
- स्वच्छ और स्वास्थ्यवाही पीने के पानी की सुविधा।
- कौशल का विकास।
- शिक्षा।
- स्वच्छता।
- बच्चों और महिलाओं की देखभाल।
- विकलांग और वृद्ध लोगों के लिए कल्याणकारी उपाय।

इन सभी बिंदुओं के आधार पर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कार्य करेगी। इन सभी कार्यों के लिए निधि (District Mineral Foundation DMF) से ती जायेगी, जिसमें से 60 प्रतिशत निधि का उपयोग पर्यावरण विकास एवं बौशल्त विकास में किया जायेगा। इसके अलावा निधि का व्यव निम्नानुसार किया जायेगा :

1. जलमार्ग परियोजना ।
2. रेल ।
3. पुलों और सड़कों का निर्माण ।
4. टैक्टिप्पक ऊर्जा स्रोत ।
5. किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा ।

जिला खनिज संस्थान (District Mineral Foundation)

खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2015 की धारा 9 (ब) की उपधारा (5) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खनन पट्टा अथवा पूर्वक्षण अनुशन्ति रह खनन पट्टा धारक द्वारा, स्वामित्व के अतिरिक्त, उस जिले, जिसमें खनन रोकियाएं वी जाती है, मैं संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा स्थापित जिला खनिज संस्थान में संदाय किए जाने वाली रकम विनिर्दिष्ट करने हेतु खान और खनिज (जिला खनिज संस्थान ने अभिदाय) नियम, 2015 की अधिसूचना 17/09/2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई है जिसके अनुसार ।

- * 12 जनवरी, 2015 से पहले प्रदान किए गए खनन पट्टों का संदाय किए गए स्वामित्व का 30 प्रतिशत जिला खनिज संस्थान को खनिक भुगतान करेगा ।
- * 12 जनवरी, 2015 को अथवा उसके पश्चात प्रदान किये गये खनन पट्टा अथवा पूर्वक्षण/अनुशन्ति खनन पट्टा के संदाय किये गये स्वामित्व का 10 प्रतिशत जिला खनिज संस्थान को खनिक भुगतान करेगा ।

इस प्रकार अतिरिक्त पेमेंट के द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) अपने - अपने जिलों में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के अनुसार विकास का कार्य करेगा ।

राज्य सरकार को भी खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 20 (क) के तहत इस योजना के तहत नोटिस भेजा गया है, जिसके अनुसार ज़िला खनिज संस्थान (DMF) से माइंड लाइन के तहत कान करवाना राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है। इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा ज़िला खनिज संस्थान ट्रस्ट डीड का भस्तीदा तैयार किया गया है। राज्य सरकारी को ज़िला खनिज संस्थान (DMFs) के लिए लागू होने वाले नियम एवं दिशा निर्देशों को लागू करना होगा। दूसरी तरफ ज़िला खनिज संस्थान (DMF) को केंद्र सरकार को भी विकास का ब्यौदा देना होगा जिससे होने वाली गतिविधियों में पारदर्शिता बनी रहे। समय सारणी के अनुसार ज़िला खनिज संस्थान (DMF) को कार्य करना होगा और प्रथानमन्त्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के अनुसार रिपोर्ट तैयारी करनी होगी।

खनिज अन्वेषण गतिविधियां बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना -

खनिज अन्वेषण गतिविधियां बढ़ाने के लिए केंद्रीय सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की धारा की उपधारा (1) (2) (3) और उपधारा (4) तथा धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खनिज योजना न्यास (NMET) की स्थापना हेतु राष्ट्रीय खनिज योजना न्यास नियम, 2015, 14 अगस्त, 2015 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई।

सरकार ने खनिजों की खोज से संबंधित क्षेत्र अन्य एजेंसियों के लिए भी खोल दिए हैं। इससे शीघ्रता से खनिजों को खोजकर नई खदानों की नीतानी उत्थनन के लिए की जा सकेगी।

रॉयलटी की दरों में संशोधन के कारण राज्यों की रॉयलटी से संबंधित राजस्व में वृद्धि -

केंद्र सरकार ने प्रमुख खनिजों के लिए रॉयलटी की दरों सितंबर, 2014 से संशोधित कर दी है। राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत रॉयलटी पाप्त हो रही है और इस तरह दरों में हुड़े बढ़ोत्तरी से उन्हें लाभ हुआ है। इस बदम से राज्यों के राजस्व में लगभग 4000 करोड़ कर्पये प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है।

सहकारी संघवाद के तहत राज्यों को और अधिक शक्तियां प्रदान करना -

केंद्र सरकार ने खनिजों के विनियमन की संपूर्ण ज़िम्मेदारी राज्यों को देने के लिए 31 खनिजों को लघु खनिजों के रूप में अधिसूचित कर दिया है। इससे लघु खनिजों के रूप में अधिसूचित खनिजों की संख्या 24 से बढ़कर 55 हो गई है। केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता अब समाप्त कर दी गई है।

सरकार के विभिन्न उपायों के कारण खनिज क्षेत्र का पुनरुद्धार -

खनिजों (अप्रैल - दिसंबर, 2015) के लिए खनिज उत्पादन सूचकांक बहुकर 137.5 हो गया है। पिछले साल इसी अवधि के दौरान यह 133.5 था। इससे रप्ट होता है कि सूचकांक में 2.9 प्रतिशत की सकल वृद्धि हुई है।

जनवरी 2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (MMDR) अधिनियम में किये गये संशोधनों के बाद इस क्षेत्र में सुधार आया है। अब लोह अयस्क के मासिक उत्पादन में वृद्धि हो रही है। लोह अयस्क का उत्पादन सितम्बर 2014 में 8.12 मिलियन टन, मार्च, 2015 में 12.44 मिलियन टन, जुलाई 2015 में 11.86 मिलियन टन, सितम्बर, 2015 में 10.8 मिलियन टन और अक्टूबर, 2015 में 12.9 मिलियन टन और दिसंबर, 2015 में 12.7 मिलियन टन दर्ज किया गया। अक्टूबर से दिसंबर, 2015 में उससे पहले वाले वर्ष की तुलना में लोह अयस्क के उत्पादन में 45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। हम अब लोह अयस्क के क्षेत्र में पुनः आत्मनिर्भर हो गये हैं।

अप्रैल से दिसंबर, 2015 की अवधि में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले कई अन्य खनिजों के उत्पादन में भी रचनात्मक वृद्धि हुई है। इसमें (बॉक्साइट 33 प्रतिशत), (क्रोमाइट 13.8 प्रतिशत), (सीसा 35.5 प्रतिशत), (जिंक 18.5 प्रतिशत) (और एपेटाइट तथा फास्फोराइट 53 प्रतिशत) शामिल हैं।

4 जनवरी, 2016 को भारत सरकार ने आयरन और पेलेट के एक्सपोर्ट पर लगी 5 प्रतिशत एक्सपोर्ट टैक्सी हटा ली है। केंद्र सरकार के 29 फरवरी, 2016 को घोषित वित्त बजट में 58 प्रतिशत से कम येड के लम्प लोह अयस्क के नियोत पर नियोत शुल्क 30 प्रतिशत से नगण्य और फाइंस के नियोत पर नियोत शुल्क 10 प्रतिशत से नगण्य कर दिया है। इससे प्लेट उद्योग को मंदी से उबरने में मदद मिलेगी और देश से लोह अयस्क के नियोत को बल मिलेगा।

खनन क्षेत्रों की नीलामी से राज्य सरकारों को अतिरिक्त राजस्व, खनिज क्षेत्रों में अन्वेषण हेतु खनिज अन्वेषण ट्रस्ट से धन का आवंटन, खनन से प्रभावित लोगों के पुनरुद्धार हेतु जिला खनिज संस्थान में धन की उपलब्धता आदि विभिन्न उपाय खनिज क्षेत्र की कार्याकल्प करने हेतु मध्य भूमिका निभायेंगे।

उपसंहार

खनिज एवं खनन क्षेत्र के बहुआयामी विकास की दृष्टि से खनिजों का गवेषण, खनन और उसके राजस्व की पापित को केवल व्यवसायिक लक्ष्य प्राप्ति का साधन ना मानकर खनन से जुड़े व्यक्तिगती, खनन से प्रभावित समाज के सुधार हेतु प्रयास, भूमि में अधिक गहराई पर (Deep seated) तथा छिपे (Concealed) निहेणों की देशभर में समर्थक तरीके से खोज हेतु योजनाबद्ध कार्यक्रम, रोजगार के अवसर आदि के रूप में भी देखना चाहिए। सूचना पौद्योगिकी का उपयोग खनिजों के व्यवस्थित संचार विकास में मददगार शामिल हो सकते हैं। उपरोक्त वर्णित विभिन्न प्रयासों से खनिज एवं खनन क्षेत्र में जिजी शामिल हो सकते हैं। उपरोक्त वर्णित विभिन्न प्रयासों से खनिज एवं खनन क्षेत्र के विकास में मददगार साबित क्षेत्र की ज्ञानीदारी बढ़ेगी। विश्व स्तर पर प्रतिस्पद्य दुस श्वेत के विकास में मददगार साबित होगी। राज्यों के राजस्व में बृद्धि होगी। खनन प्रभावित क्षेत्रों का सर्वोगीण विकास हो सकेगा। साथ ही निरंतर खनिज क्षेत्रों की यह क्रांति प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया', 'साक्षरता इंडिया', 'स्टार्ट अप इंडिया', 'स्किल इंडिया' और 'स्वच्छ भारत अभियान' में भी लोकों का यथर साबित होगी।

आभार

लेखक श्री आर. के. सिन्हा, मुख्य खान नियंत्रक एवं प्रभारी महानियंत्रक भारतीय खान व्यूरो का इस लेख को राजभाषा तकनीकी सेमिनार में ओवर्ने हेतु अनुगति प्रदान करने के लिये आभार मानता है।

विशेष टिप्पणी - लेख में व्यक्त किये गये विचार लेखक के स्वयं के हैं। भारतीय खान व्यूरो का मत इससे भिन्न हो सकता है।



हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह
मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनता है।

"खनिज क्षेत्र के बदलते परिदृश्य में खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग की भूमिका"

गौरव नुसार तथा¹
शूरीन कृष्णराम²
निवृत्त कृष्णराम³

सारांश

भारत सरकार के सकारात्मक प्रयाती से खनन उद्योग में गति लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे खनिज क्षेत्र का परिदृश्य तेजी से बदला है। इस परिवर्तन में भारतीय खान व्यूरो की भूमिका बड़ी है। और भारतीय खान व्यूरो के एक महत्वपूर्ण प्रभाग के रूप में खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग का उत्तरदायित्व भी बड़ा है, आते उत्तरदायित्वों के साथ कई चुनौतियाँ सामने हैं। इस लेख में भविष्य में आने वाली चुनौतियाँ एवं उनके समाधान के सम्बन्ध खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग की भूमिका पर विचार में बन्धन किया गया है।

प्रस्तावना

डिलाइस के पन्नों का टिहावलोकन करें तो स्वतंत्र भारत के जन्म की तैयारी और भारतीय खान व्यूरो के अस्तित्व में आने की तैयारी का सुखद संयोग परिलक्षित होता है। दिनांक 10-13 जनवरी वर्ष 1947 को नई दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसका विषय था "खनिज नीति की विवेदना" (*Deliberation of Mineral Policy*)। इस कॉन्फ्रेंस में एकमत से निश्चय लिया गया था कि राष्ट्र के खनिज संसाधनों के योजनाबद्वा विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक सु-समन्वित, एकीकृत साधीय खनिज नीति का निर्धारण किया जाए। राष्ट्रीय खनिज नीति के सफल कियान्वयन के लिए एक राष्ट्रम तकनीकी संगठन की स्थापना की जाए जो भारत सरकार के खनिज संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संघ सरकारों एवं उदयोग जगत के भव्य सामंजस्य स्थापित कर सके तथा ताथ ही उन्हें खनिज उत्पादन तथा विकास से संबंधित सभी मुद्राओं पर परामर्श प्रदान कर सके। परिणाम स्वरूप 1 मार्च सन् 1948 को राष्ट्र सेवा में भारतीय खान व्यूरो अस्तित्व में आया। पिछले छ दशक से भारतीय खान व्यूरो चतुर कार्यरत (*on with the job*) का घेय सूत्र लिए राष्ट्र सेवा में तत्पर है। कालांतर में भारतीय खान व्यूरो का कार्यक्षेत्र भी बड़ा और संगठन का वितार भी हुआ। अपने कार्यों को सुचारू रूप में कियावित करने हेतु विभिन्न प्रभागों की रचना की गई, जिसमें खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग भी एक है।

1. उप-खनिज अर्थशास्त्री, खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग, भारतीय खान व्यूरो, नागपुर

2. लहरक खनिज अर्थशास्त्री, खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग, भारतीय खान व्यूरो, नागपुर

3. विशेष प्रस्तावक एवं शुभाना संसाधक, कंट्रीय प्रस्तावक, खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग, भारतीय खान व्यूरो, नागपुर

खनिज अर्थशास्त्र से आशय

एक ही खान से कोपला तथा हीरे का ग्राउंडर्चिंग हो सकता है। राजायनिक दृष्टि से दोनों कार्बन के प्रतिरूप और समान माने जा सकते हैं, परंतु जैसे ही दोनों को खनिज अर्थशास्त्र वी कस्ती वह रखा जाता है तो हीरा बहुमूल्य हो जाता है। सामान्य अर्थों में – ‘खनिजों का आर्थिक दृष्टिकोण से विश्लेषण खनिज अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है।’ खनिज अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग प्रथम बार तनु 1920 के दशक में USBM में किया गया था।

हमारे राष्ट्र के किरी भी शिक्षण संस्थान में खनिज अर्थशास्त्र विषय पर किसी प्रकार का पूर्णकालिक अध्ययन नहीं कराया जाता है, परंतु भारतीय खान ब्यूरो ने अपनी कार्यकालता एवं लक्ष्यपूर्ति हेतु इस विषय को नवीन आयाम प्रदान किये हैं। भारतीय खान ब्यूरो में खनिज अर्थशास्त्र पर किये गये व्यावहारिक कार्यों के आधार पर जो परिणाम सामने आती हैं, वह है – ‘खनिज अर्थशास्त्र वह विषय है तो खनिजों के आर्थिक पक्षों पर कार्य करता है। इसमें खनिजों की मांग एवं आपूर्ति का आकलन, खनिजों की खपत, आयात एवं निर्यात की स्थिति, खनिजों के आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने के लिए नीतियों का निर्धारण, खनिजों से रावंधित कानूनों का विश्लेषण, खनिज भंडारों के नियम एवं संसाधनों का एकत्रीकरण जैसे पहलू शामिल हैं।’ भारतीय खान ब्यूरो में पचास के दशक से खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग अपनी सेवायें प्रदान कर रहा है। खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग ने पिछले कई दशकों में अपने विभिन्न अधिकारियों के सुदीर्घ अनुभवों और कार्यों से भारतीय खान ब्यूरो को नवीन ऊँचाईयों प्रदान की है।

खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग की स्थिति एवं कार्य

वर्तमान में खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय, नागपुर में स्थित है। इस प्रभाग के तर्बोच्च पद को मुख्य खनिज अर्थशास्त्री सुशोभित करते हैं व उनके निर्देशन एवं मार्गदर्शन में यह प्रभाग अपने कार्य एवं लक्ष्य को पूर्ण करता है। इस प्रभाग में अपने कार्यों को सुचारू रूप से कियान्वित करने हेतु विभिन्न इकाइयों / अनुभागों का गठन किया गया है :

- (i) राष्ट्रीय खनिज सूची इकाई (*NMI Unit*)
- (ii) भारतीय खनिज वर्ष पुस्तक इकाई (*IMYB Unit*)
- (iii) खनिजों/धातुओं पर बाजार सर्वेक्षण रिपोर्टरी (*Market Survey Unit*)
- (iv) अलौह धातुओं की खपत (*Non-ferrous Metal Consumption Unit*)
- (v) खनन पट्टा सूचक निरीक्षका (*Mining Lease Directory Unit*)
- (vi) खनिज गूचना संक्षी पुस्तिका (*BMI Unit*)
- (vii) विश्व खनिज आसूचना इकाई (*WMI Unit*)

(viii) खनिज सूचना एवं सलाह सेवायें इकाई (*MIAS Unit*)

(ix) खनिज किसान व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इकाई (*Legislation Unit*)

इसके अतिरिक्त भारतीय खान बूद्धी के प्रकाशनों से संबंधित प्रेस अनुभाग एवं सूचना सेवाओं हेतु केन्द्रीय पुस्तकालय भी इसी प्रभाग के अंतर्गत कार्यस्थ हैं इस तरह ये खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग को यदि भारतीय खान बूद्धी का छवदय कहा जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग के मुख्य कार्य-

खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग के मुख्य कार्य विनियोग इस प्रकार हैं :

(1) राष्ट्रीय खनिज सूची की यू.एन.एफ.सी. के आधार पर अध्यात्मीकरण प्रत्येक पांच वर्ष में विभिन्न स्त्रोतों की सहायता से किया जाता है।

(2) खनिज रियायतों से संबंधित आंकड़ों को सभ्य सरकारों से एकत्रित कर प्रत्येक वर्ष 'खनन पद्धति सूचक पुस्तक' के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

(3) विभिन्न खनिजों एवं धातुओं की खपत के आंकड़ों को खनिज आधारित उद्योगों से एकत्रित करना।

(4) विभिन्न देशों के खनिज कानूनों का अध्ययन कर भारतीय परिवेश में लागू करना।

(5) बाजार सर्वेक्षण के आधार पर विभिन्न खनिजों एवं धातुओं की मांग एवं आपूर्ति का विश्लेषण करना।

(6) विभिन्न संस्थाओं द्वारा खनिज गवेषण संबंधी सूचनाओं को एकत्र कर उनका विश्लेषण करना।

(7) खनिज संबंधी सूचनाओं को विभिन्न स्त्रोतों से एकत्रित कर 'बुलेटिन ऑफ सिनरल इनफारमेशन' के रूप में प्रकाशित करना।

(8) विभिन्न खनिजों की संगल्ली दर का निश्चय कर भारत सरकार को कियावित करने हेतु सूचित करना।

(9) संसदीय प्रस्तुति एवं मंत्रालयीन संदर्भ के आधार पर विभिन्न खनिजों पर सूचनाएं एवं परामर्श सेवायें प्रदान करना।

(10) खान एवं खनिज संबंधित डाटा बेस को तैयार करना।

खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा विभिन्न डाटा बेसों का निर्माण

इसके अतिरिक्त मुख्य चार डाटा बेस तैयार किये गये हैं, जिनका समय-समय पर अद्यतनीकरण किया जाता है।

- (1) राष्ट्रीय खनिज सूची डाटा बेस (*NMI data base*)
- (2) खनिज खपत डाटा बेस (*Mineral consumption data base*)
- (3) खनन पट्टा डाटा बेस (*Mining lease data base*)
- (4) विश्व खनिज डाटा बेस (*World Mineral data base*)

खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा तैयार किये जाने वाले प्रकाशन

खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों को संक्लित कर मुख्यतः प्रकाशन नियमित रूप से प्रकाशित किये जाते हैं –

- (1) राष्ट्रीय खनिज सूची – एफ अवलोकन (*National Mineral inventory - an overview*)
- (2) राष्ट्रीय खनिज सूची – संक्षिप्त परिचय (*NMI : At a Glance*)
- (3) भारतीय खनिज वर्ष पुस्तक (*IMYB*)
- (4) बाजार सर्वेक्षण (*Market Survey*)
- (5) खनिज सूचना संक्षी पुस्तिका (*Bulletin of Mineral Information*)
- (6) खनन पट्टा निर्देशिका (*Mining Lease Directory*)

इसके अतिरिक्त यह प्रभाग समय-समय पर मंत्रालय के निर्देशानुसार एवं उद्घोग जगत की मांग पर भी कई पुस्तकों का प्रकाशन करता आया है, जैसे विभिन्न खनिजों पर व्यापार विकास योजना, विभिन्न देशों के खनिज कानूनों का तुलनात्मक अध्ययन आदि।

खनिज संबंधी सूचनाओं की प्राप्ति में सहयोगी संगठन एवं स्टैट

खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग अपने कार्यों को सुचारू रूप से कियान्वित करने हेतु विभिन्न संगठन व स्ट्रोतों द्वारा सूचनाओं को एकजित करता है-

- (1) भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेशण (GSI)
- (2) खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (MECL)
- (3) खान एवं घूविज्ञान विभाग, सरकार (DGM, State Government)
- (4) गैर सरकारी गवेषण संस्थाएं (Non Government Exploration Agencies)
- (5) खनिजों की खपत करने वाले उदयोग (Mineral Consuming Industries)
- (6) खनन उदयोग (Mining Industries)
- (7) भारत सरकार के मंत्रालय
- (8) विभिन्न अनुसंधान एवं विकास विभाग (R&D Department)
- (9) अंतर्राष्ट्रीय संगठन (USGS, BGS etc.)
- (10) विभिन्न संस्थानों एवं उद्योगों के वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Reports)
- (11) राष्ट्रीय संगठन (FIMI, IRMA, IFAPA etc.)
- (12) खनिज संबंधी उद्योगों के वैधानिक रिटर्न्स (Annual Returns)
- (13) खान एवं खनिज से संबंधित प्रकाशित होने वाली राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं एवं प्रकाशन e.g. world Metal Statistics, Mines & Metals Review, Industrial Minerals, Iron & Steel Review etc.

खनिज क्षेत्र का बदलता परिदृश्य

सरकार ने खनन उद्योग में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप खनिज क्षेत्र का परिदृश्य तेजी से बदला है। इनमें मुख्य परिवर्तन हैं :

- (1) खनिज भंडारों का आवंटन नीलामी प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा, जिससे जहाँ एक और नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता आयेगी वहीं दूसरी ओर सरकार को अधिक संचालन की प्राप्ति होगी।

(2) नीलामी हुआ आवंटन पचास वर्षों के लिए बैंध होगा तथा पट्टा अवधि समाप्त होते ही पुनर्नीलामी होगी। पूर्व में यह अवधि तीरा वर्षों तक सीमित थी और आने वाले 20 वर्षों के लिये नवीनीकरण करना होता था। इस नई प्रक्रिया से पुरानी प्रक्रिया की विसंगतियाँ भी दूर होंगी।

(3) 31 खनिजों को गौण खनिज घोषित किया गया है, जिनका वैधानिक रिपोर्टिंग भारतीय खान व्यूरो से हटाकर राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है।

(4) खनिजों को खनन रियायत प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार (भारतीय खान व्यूरो) के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

(5) अवैध खनन से संबंधित अपराधों के लिए उच्चतर दंड व कारोबास का प्रावधान किया गया है और विशेष परिस्थितियों में विशेष न्यायालयों के गठन का प्रावधान रखा गया है।

(6) सरकार ने खनन कार्य से प्रगतियाँ व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के सरकार द्वारा जिला खनिज कार्डेशन (District Mineral Foundation) का गठन किया है।

(7) खनिज गवेषण के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय खनिज गवेषण न्यास (National Mineral Exploration Trust) का गठन किया है।

(8) राज्य सरकार के हुआ खनिज क्षेत्रों से संबंधित आदेशों को निर्धारित समय में क्रियान्वित न करने की स्थिति में केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया है, जो खनन कार्य को गति प्रदान करेगा।

(9) जनवरी 2016 में भारतीय खान व्यूरो एवं राष्ट्रीय दूरसंचेदी केन्द्र, अंतरिक्ष विभाग के बीच समझौता (MOU) किया गया है जिसके अंतर्गत खनिज संसाधनों की प्रभावी मानीटिंग की जायेगी जो सेटेलाइट इमेजरी प्रविधि हुआ सम्पन्न होगी। इस प्रोजेक्ट का नाम 'सुदूर ट्रूटिंग' रखा गया है।

खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग के लिए बदलते परिदृश्य में चुनौतियाँ

खनिज क्षेत्र के बदलते परिदृश्य में उपरोक्त बिंदुओं के अतिरिक्त भारत सरकार के खान मंत्रालय ने दिनांक 3 नवंबर 2014 के संकल्प में भारतीय खान व्यूरो के कार्यों का नौसूचीय चार्टर भारत सरकार के ताजपत्र में अधिसूचित किया। इस कार्यों के चार्टर के अनुतार खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सक्रिय भूमिका अदा कर सकता है, वे हैं :

- राष्ट्रीय खनिज सूचना कोष के रूप में देश ने खान एवं खनिजों के गवेषण, पूर्वीकाण की संपूर्ण सूचनाओं को एक डाटा बेस में संग्रहण, तुलना तथा संगठित करेगा तथा इसके प्रकाशन एवं प्रसार के उपाय करेगा।

- खनन क्षेत्र के संबंध में राष्ट्रीय तकनीकी नियामक के रूप में कार्य करेगा तथा राज्य सरकारों के मार्गदर्शन हेतु विनियमन प्रक्रिया तथा प्रणाली निर्धारित करेगा।
- केन्द्र, राज्यों, खनिज उद्योगों, शोध तथा सिक्षा संस्थानों, राष्ट्रीय रटेक छालड़रों के बीच समन्वय का संस्थागत तत्र स्थापित करेगा ताकि उद्योग के सामने आनेवाली सभी मांगों एवं समस्याओं के सक्रिय उपाय विकसित किये जा सकें।
- उद्योग की व्यवहारिक प्रांतगिकताओं के सभी पहलुओं पर अनुसंधान संस्थानों तथा दूसरी ओर उपयोक्ता उद्योग (User Industry) के बीच सेतु का कार्य करेगा।
- खनिज क्षेत्रों के विनियमन तथा विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी परियोजनाओं में भाग लेगा।
- खनिज उद्योग संबंधी सभी मामलों पर सरकार को सलाह देगा।

बदलते परिवृश्य में उपस्थित चुनौतियों से निपटने में खनिज अर्थशास्त्र की गुणिका

खनिज क्षेत्र के बदलते परिवृश्य का अवलोकन करने पर कई चुनौतियों खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग के समक्ष दृष्टिगत होती हैं। उन चुनौतियों के सामने खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग की भूमिका क्या होगी? कैसे उन चुनौतियों से सामना किया जायेगा? वह बिंदुवार उल्लेखित है—

1. राष्ट्रीय खनिज सूचना कोष के लिए डाटा बेत का निर्माण

वर्तमान में खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग और डाटा बेत पर कार्य कर रहा है, परंतु 31 खनिजों को गौण खनिज घोषित करने से इन खनिजों के आंकड़े एवं सूचनायें सीधे तौर पर अब भारतीय खान बूरो एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली निर्मित की जाये जिसमें आंकड़ों एवं सूचनाओं का आनेलाइन अधिनीकरण राज्य सरकारों के सहयोग से हो। इसके लिए राज्य के खनिज एवं भू-विज्ञान विभाग के जिलास्तरीय कार्यालयों एवं मुख्यालयों को ऑनलाइन प्रविष्टि करने का दायित्व सौंपा जाये। इस प्रणाली की निगरानी राष्ट्रीय सार पर भारतीय खान बूरो के अंतर्गत खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग को दी जा सकती है। यह प्रणाली सभी राज्य सरकारों के लिए समान रूप से एक प्लेटफॉर्म का काम करेगी।

2. राष्ट्रीय खनिज सूची का अधिनीकरण

बदलते परिवृश्य में जहाँ खनिजों का आवंटन नीलामी प्रक्रिया द्वारा किया जा रहा है, वहाँ राष्ट्रीय खनिज सूची की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। खनिज भंडार की नीलामी हेतु संभाव्यता रिपोर्ट (Feasibility Report) बनाने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए खनिज भंडारों के आंकड़ों एवं सूचनाओं की सहायता लेनी होगी। खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा आविता खनिज भंडारों के साथ-साथ अनआवित खनिज भंडारों के

संसाधनों के आंकड़ों का अधिनीकण किया जाता है। खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग ऐसे अनावृति खनिज भूमिका की संभावना रिपोर्ट (Feasibility Report) उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर बना सकता है, क्योंकि खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग में अनुभवी भू-वैज्ञानिक एवं खनन विशेषता का बहु कार्यस्त है। आवृत्ति/अनावृति खनिज भूमिका के भू-वैज्ञानिक आंकड़े एवं सूचनाओं का आकलन करने के लिए Datamine/SURPAC जैसे राष्ट्रवेद्यर का उपयोग किया जा सकता है।

3. भारतीय खनिज वर्ष पुस्तक एवं खनिज आपारित उदयोग

भारतीय खनिज वर्ष पुस्तक के लिये आंकड़ों का संग्रहण तथा उनका प्रकाशन एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें 31 गौण खनिजों की जानकारी बदलते परिवृश्य में प्रलब्ध तौर पर मिलना एक समस्या है, किंतु एक विशेष प्रणाली विस्तार के लिए साधीय खनिज सूचना डाटा बेस में किया गया है, उससे वह समस्या हल हो सकती है। किंतु खपत के आंकड़ों का संग्रहण आज भी एक समस्या है, जिसके वार्ताविक आंकड़ों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यह एक बड़ी चुनौती है जिसके समाधान के लिये हम जानते हैं कि खनिज उपभोग करने वाले उद्योग खाना मंत्रालय के अधीन नहीं आते हैं, परंतु उद्योग मंत्रालय के अधीन आते हैं। वर्तमान में लगभग 3200 खनिज उपभोग करने वाले उद्योग भारतीय खान व्यूहों में पंजीकृत हैं। इन उद्योगों पर 'फैक्टरी एक्ट' (अधिनियम) लागू होता है। इस अधिनियम में संशोधन कर यह प्रावधान बना दिया जाय कि उद्योग जिन खनिजों का उपयोग करते हैं उनकी मात्रा एवं रेट के आंकड़े/सूचनाएं संबंधित विभाग को वार्षिक प्रतिवेदन/भासिक प्रतिवेदन के साथ प्रदान करें। यदि ये आंकड़े ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाते हैं तो भारतीय खान व्यूहों को उसका ऑनलाइन अभिगम (Access) प्रदान किया जाये और यदि ऑफलाइन हैं, तो उसकी प्रतिलिपि भारतीय खान व्यूहों के खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग को भेजी जाये। इस तरह से लापता के आंकड़ों का एकत्रीकरण करके डाटा बेस में प्रयोगित कर सकते हैं। इन सब आंकड़ों का विश्लेषण करके खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग खनिज एवं खनिज उपभोक्ता उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं और मार्गों के बारे में सक्रिय उपाय विकसित कर सकता है, जैसा कार्यों के चार्टर में उल्लेखित है।

इस प्रकार खनिजों से संबंधित आंकड़ों जैसे कि उत्पादन, खपत, खनिज संसाधन आयात-निर्यात, वैश्विक रिप्पति आदि का विश्लेषण कर खनिजवाह, राजवाह, धातुवाह तथा मिश्रधातुवाह समीक्षाकर भारतीय खनिज वर्ष पुस्तक में प्रकाशित किया जायेगा जिससे केंद्र, राज्यों, खनिज उद्योगों, शोध तथा शिक्षा संस्थानों व सभी स्टेक होल्डरों के बीच समर्चय स्थापित किया जा सकता है। ऑनलाइन डाटा बेस न होने से भारतीय खनिज वर्ष पुस्तक का प्रकाशन विलंब से हो रहा है। उपरोक्त वर्णित ऑनलाइन डाटा बेस प्रणाली लागू होने के बाद यह आंकड़े हमें शीघ्र प्राप्त होंगे, जिससे भारतीय खनिज वर्ष पुस्तक समग्र पर प्रकाशित की जा सकेगी।

4. खनन पट्टा निर्देशिका

वर्तमान में खनिज रियायतों से संबंधित आंकड़ों एवं सूचनाओं को राज्य सरकारों द्वारा प्रजाधार के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। उन आंकड़ों का विश्लेषण कर डाटा बेस तैयार कर प्रकाशित किया जाता है, जिसमें अत्यधिक समय लगता है। समय के अंतराल को कम करना खनिज अधिकारी प्रभाग के लिये चुनौती है, जिसका हल पूर्ण वर्णित केंद्रीय विशिष्ट प्रणाली है, जिसके द्वारा डाटा कम से कम समय में प्राप्त किया जा सकेगा। इस ऑफलाइन केंद्रीय विशिष्ट प्रणाली में प्राथमिक स्रोतों (जिलास्तरीय व राज्यस्तरीय) पर ही अधितन कार्य पूर्ण हो जायेगा। इस प्रणाली से आंकड़ों के अधितन कार्य में गतिशीलता आयेगी और सभी आंकड़े समय पर मिलने से सभी प्रकाशनों को समय पर प्रकाशित किया जा सकेगा।

5. खनिज कानून, नीति, कराधान और परामर्श

वर्तमान में नीति एवं कानून संबंधित मुद्दों पर मंत्रालय द्वारा संदर्भ प्राप्त होते हैं। उन संदर्भों पर प्रभाग विश्लेषण एवं आकलन करके मंत्रालय को परामर्श देता है। बदलते परिवृश्य में यह प्रभाग विविध राज्यों की खनिज नीतियों, गौण खनिज रियायत नियम, आयात-निर्यात नीति, एंटी डिपिग शुल्क, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क इत्यादि आंकड़ों को उपरोक्त वर्णित केंद्रीय विशिष्ट प्रणाली डाटा बेस में संग्रहीत कर विश्लेषण करेगा, जिससे भारत सरकार को दिये जाने वाले परामर्श में सहायता मिलेगी। इन आंकड़ों से भारत सरकार को खनिज क्षेत्र का बजट बनाने में सहायता मिलेगी। इस तरह से गारतीय खान व्यूस के कार्यों के चार्टर का एक महत्वपूर्ण बिंदु खनिज उद्योग संबंधी सभी मामलों पर सरकार को सलाह देना भी है।

6. खनिजों तथा धातुओं का तकनीकी-आर्थिक (Techno-economic) सूल्यांकन

बदलते परिवृश्य में खनिजों की अत्यकालिक एवं दीर्घकालिक मौंग-आपूर्ति और खनिज आधारित उत्पादों की महत्ता और भी बढ़ जाती है, जिसके लिये मुख्य खनिज जैसे कि लौह अयस्क, बॉक्साइट, ताम्र अयस्क, मैग्नीज अयस्क, कोमाइट, सीमा-जस्ता अयस्क, धूना पथर, रिफ्केटरी खनिज, उर्वरक खनिज, चीनी मिट्टी खनिज, धातुओं इत्यादि का बाजार तर्कशङ्क करके विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित किया जायेगा जैसे कि खनिजों के विभिन्न अंतिम उत्पाद एवं उनका उत्पादन, रेलवे, सड़क परिवहन, बंदरगाह यातायात, राज्य सीमा शुल्क इत्यादि। इन आंकड़ों एवं सूचनाओं का विश्लेषण करके भविष्य में उस खनिज की मौंग व आपूर्ति का विश्लेषण किया जायेगा जो कि खनिज नीति बनाने में सहायता होगा। इस तरह गारतीय खान व्यूस के कार्यों के चार्टर का विषय उद्योगों के रामने आने वाली सभी मौंगों व समर्थ्यों के सक्रिय उपाय विकसित किये जायें की लक्ष्य पूर्ति होगा।

7. विश्व खनिज आसूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

वर्तमान में सीमित चोतों हाता विभिन्न देशों के खनिज संचालनों एवं उत्पादन के ऑकड़ों को एकत्रित किया जाता है। यदि इन चोतों से ऑकड़े प्राप्त होने में विलंब होता है तो इन ऑकड़ों का विश्लेषण निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं होता है। यह एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को समाधान के लिये खनिज संपन्न देशों ने भारतीय दूतावास में एक अधिकारी को यह दायित्व राँपा जाए कि वह उस देश विशेष में खनिज संबंधी ऑकड़ों एवं सूचनाओं को एकत्रित करके भारतीय खान बूरो को रिपोर्ट करे तथा इन ऑकड़ों को खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग ढाटा बैस में संग्रहीत कर विश्लेषण करेगा, जिससे मत्रालय को विभिन्न देशों से द्विपक्षीय व्यापारिक समझौतों के सदर्भ ने राहायता मिलेगी।

उपरोक्त चुनौतियों के अंतिरिक्त भविष्य में खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग के सामने कुछ अन्य महत्वपूर्ण चुनौतियां भी होगी, वे हैं :

(अ) बदलते परिदृश्य के इन कुछ दर्जों ने खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग के रटाफ का बड़ा भाग सेवानिवृत्त हो जायेगा, और कार्यभार एवं उत्तरदायित्वों में बढ़ोतरी को देखते हुए अधिक रटाफ के मददेनजर नवीन रटाफ की पदस्थापना की कार्य गोजना प्रारंभ की जानी चाहिये जिससे लही समय पर वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकेगी। वर्तमान में खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग में कुल 53 अधिकारी के पद स्वीकृत हैं।

(ब) बदलते परिदृश्य में खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग को अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने हेतु उच्चस्तरीय प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी जिसके लिये समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के तत्त्वाधान में योग्य प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किये जायें, जिससे प्रभाग अपने लक्ष्यों को सुधारन रूप से प्राप्त कर सके।

निष्कर्ष

खनिज क्षेत्र के बदलते परिदृश्य ने MMDR Act 1957 का संशोधित रूप 27 मार्च, 2015 को अप्रियुक्ति किया गया, जिसके अनुसार खनिज क्षेत्र में कई आपारकूत परिवर्तन किये गए न खनन उद्योग को गति देने के लिये कई सकारात्मक संशोधन किये गये तथा फसलरी 2015 में एक अधिसूचना के अनुसार 31 खनिजों को गौण खनिज प्रोजित किया गया। इसी प्रकार दिनांक 3 नवंबर 2014 के संकल्प में भारतीय खान बूरो के कार्यों के नी-सूचीय चार्टर में भी बदलते परिदृश्य की छाप दिखाई देती है। इन सभी कार्यों में खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग अपना योगदान देने के लिये तत्पर है।

इस बदलते परिदृश्य में खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग के सामने कई चुनौतियाँ तो हैं, परंतु जैसा कहा जाता है कि जहाँ समर्पये हैं वही रामाधान भी है और यहाँ ऑकड़ी एवं सूचनाओं के एकत्रीकरण के लिये केंद्रीय विशिष्ट प्रणाली डाटा बेस सहायक हो सकता है। वही उच्चस्तीय प्रशिक्षण की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, जिससे खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग न केवल अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने में सहाय होगा अपेक्षा भारतीय खान बूरो के लक्ष्यपूर्ति में अपनी अद्याही भूमिका निभा सकेगा।

आधार

इस लेख को प्रस्तुत करते हुए लेखकगण श्री आर के शिन्हा, महानियंत्रक, भारतीय खान बूरो को हार्दिक धन्यवाद देते हैं तथा श्री धीरजवंत बेक, प्रभारी मुख्य खनिज अर्थशास्त्री का हार्दिक अगार व्यक्त करते हैं जिनके प्रोत्साहन एवं अनुमति से हम यह लेख प्रस्तुत कर सके।

संदर्भ

1. Report of the Committee for Review and Restructuring of the functions & Role of Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines, Government of India – May, 2012.
2. Mega Event: An event to celebrate 50th Anniversary of India's Independence, Department of Mines, Ministry of Steel & Mines, Government of India, 6-8 August, 1998.
3. Mines & Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (as amended upto 27th March, 2015), Indian Bureau of Mines, October, 2015.
4. शिवारो यद्यसेवर एवं कालरी वी ए खनिज अनुबंध एवं भारतीय खनिज द्वितीय स्थानिक नामांकन अनुमति संघर्ष 2015
5. भारत का राजपत्र भिन्न-1 छठ-1], भक्ति, 3 नवम्बर 2014, लाल नंगालय नई दिल्ली।
6. भारत का राजपत्र भिन्न-11 छठ-3 उपर्योग (ii) असाधारण अधिकृत नामांकन 10 फरवरी, 2015, लाल नंगालय, नई दिल्ली।



विश्वास हृदय की वह कलम है जो स्वर्गीय वस्तुओं को चित्रित करती है। -

खनिज क्षेत्र के बदलते परिषेक्य में केन्द्रीय पुस्तकालय, भारतीय खान व्यूरो :

चुनौतियाँ एवं उपाय

विनय कुमार सल्मेन तथा तालानन्द दाश्डेव

कौशल पुस्तकालय एवं सूचना संसाधन

केन्द्रीय पुस्तकालय

भारतीय खान व्यूरो, नगरपालिका

सारांश

वर्तमान सरकार के खनिज क्षेत्र को सशक्ति बनाने के लिए किये जाने वाले प्रयासों से इस क्षेत्र की तर्दीर तेजी से बढ़ती है। भारतीय खान व्यूरो जो खनिज क्षेत्र का महत्वपूर्ण संगठन है, इसके कार्यों तथा उत्तरदायित्वों में परिवर्तन आना भी स्वाभाविक है। केन्द्रीय पुस्तकालय, भारतीय खान व्यूरो अपने पैतृक संगठन की लक्ष्य पूर्ति में कई दशकों से कार्यरत है, किन्तु इस बदलते परिषेक्य में केन्द्रीय पुस्तकालय के समझ कई चुनौतियाँ हैं। इस लेख में भविष्य की चुनौतियों और उपाय पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

प्रस्तावना

गांधी सरकार ने खनिज उद्योग में मंदी, अवैध खनन, खनन उद्योग में अपारदर्शिता जैसे मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कई सुधार, नियम, कानूनों में परिवर्तन किये हैं, परिणाम स्वरूप खनिज क्षेत्र का परिदृश्य तेजी से बदला है। बदलाव की इस आठट से भारतीय खान व्यूरो भी अचूका नहीं रहा है और खनन एवं खनिज संबंधित भारत सरकार का यह केन्द्रीय संगठन अपनी सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति अपने केन्द्रीय पुस्तकालय से करता आ रहा है। इन सूचना आवश्यकताओं ली पूर्ति हेतु केन्द्रीय पुस्तकालय के पास सूचना स्रोतों का तमुद्द संकलन है, फिर चाहे वह भारतीय खान व्यूरो की स्थापना के बाद गवेषण कार्य से संबंधित अप्रकाशित अथवा खोज रिपोर्ट हो या वर्तमान में अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए विभिन्न तकनीकी पत्र-पत्रिकायें। पिछले छह दशक से केन्द्रीय पुस्तकालय अपने संगठन के विभिन्न प्रणाली/अनुभागों/केन्द्रीय कार्यालयों/अयत्क प्रसाधन प्रयोगशालाओं को उनके लक्ष्य पूर्ति हेतु सूचना-सेवा प्रदान करता रहा है। वर्तमान में खनिज क्षेत्र में विभिन्न बदलावों के बलते केन्द्रीय पुस्तकालय के समझ अद्यतन सूचनाओं का संकलन एवं त्वरित सूचना सेवा प्रदान करना एक चुनौती है।

केन्द्रीय पुस्तकालय, भारतीय खान व्यूरो : एक परिचय

1 मार्च सन् 1948 को भारत सरकार ने राष्ट्र के खनिज संसाधनों को योजनाबद्द ठिकाने को सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय खनिज नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए भारतीय खान व्यूरो की स्थापना की। कालांतर में भारतीय खान व्यूरो का विस्तार व कार्य क्षेत्र बढ़ता गया। भारतीय खान व्यूरो की पहचान खनन के क्षेत्र में तकनीकी संगठन के रूप में है और तकनीकी कार्यों में सूचनाओं का अद्यतन रहना आवश्यक है। अद्यतन सूचनाओं से परिपूर्ण रहने के लिए भारतीय खान व्यूरो ने अपने महत्वपूर्ण प्रभाग 'खनिज

अर्थशास्त्र प्रभाग के अंतर्गत एक अनुभाग के रूप में केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना हो। चूंकि इसका स्थापना का धैर्य भारतीय खान व्यूरो मुख्यालय के साथ केन्द्रीय कार्यालय/अग्रसक प्रत्याधन प्रयोगशालाओं को सूचना सेवा अथवा सूचना सेवा उपलब्ध कराना था, अतः इसे एक केन्द्रीयकृत पुस्तकालय के रूप में देखा गया तथा इसे 'केन्द्रीय पुस्तकालय' के रूप में घास्तिला दी गई। स्थापना के प्रारंभिक काल में केन्द्रीय पुस्तकालय ने अपने पैदॄक सगड़न की सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न सूचना सेवाओं का संग्रह प्रारंभ किया जिनमें मुख्यतः वार्षिक रिपोर्ट (मंत्रालयीन एवं खनिज क्षेत्र से संबंधित उद्योग की) अप्रकाशित रिपोर्ट (भारतीय खान व्यूरो एवं भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण), भारत के राजपत्र, भारतीय खान व्यूरो एवं भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के विभिन्न प्रकाशन, सर्वेक्षण रिपोर्ट आदि का समावेश था। भारतीय खान व्यूरो के विस्तार के साथ विषय-क्षेत्रों का भी विस्तार होता गया, इस शृंखला में - खनिज विज्ञान, खनन विज्ञान, खनिज अर्थशास्त्र, अवस्क प्रत्याधन, खनिज क्षेत्र से संबंधित नीतियाँ एवं कानून, भू-विज्ञान, पर्यावरण, प्रशासनिक राहित्य, खनन इंजीनियरिंग, कम्ब्यूटर खनन उद्योग, भारतीय खान व्यूरो के प्रकाशन, संदर्भ साहित्य, हिन्दी भाषा की विभिन्न पुस्तकों के साथ-साथ खनन व खनिज क्षेत्र से संबंधित हिन्दी पुस्तकों से पुस्तकालय का संग्रह समृद्ध होता गया।

वर्तमान में केन्द्रीय पुस्तकालय का कुल संग्रह 1,39,619 (31 सार्व, 2015 तक) है, जिसमें क्रय प्रकाशन, मानार्थ प्रकाशन, जर्नल/पत्रिकाओं के जिल्डबंद खण्ड, अप्रकाशित रिपोर्ट, हिन्दी प्रकाशन, भारत के राजपत्र आदि शामिल है। केन्द्रीय पुस्तकालय, भारतीय खान व्यूरो एक तकनीकी पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है अतः अद्यतन सूचनाओं को प्रदान करने हेतु तकनीकी जर्नल्स/पत्रिकाओं/समाचार पत्रों आदि का समावेश है। खनन व खनिज से संबंधित विषयों पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स/तकनीकी पत्रिकाओं का समृद्ध संकलन यहाँ उपलब्ध है। वर्तमान में केन्द्रीय पुस्तकालय के यंजीकृत उपयोगकर्ता की संख्या-350 है, जिसमें भारतीय खान व्यूरो के प्रभाग/अनुभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों का समावेश है। इसके अतिरिक्त खनन इंजीनियरिंग से संबद्ध छात्र, शोधार्थी, खनन उद्योग से संबंधित परामर्शदाता, खनन से संबंधित विभागों/उपकरणों के अधिकारी, खनन से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े व्यक्ति (Lease Holders), खनन व खनिज क्षेत्र से जुड़े विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़े प्रतिनिधि भी शामिल हैं जो केन्द्रीय पुस्तकालय की आंगन्कुक श्रेणी के उपयोगकर्ता बन पुस्तकालय द्वारा प्रदत्त सूचना-सेवाओं से लाभान्वित होते हैं।

बदलते परिषेक्ष्य में केन्द्रीय पुस्तकालय के साथ चुनीतियाँ एवं उसके उपायः—

खनिज क्षेत्र के बदलते परिषेक्ष्य में भारतीय खान व्यूरो के कार्यों के चार्टर में संशोधन, खान और खनिज (विकास और विनियन) अधिनियम, 1957 में बड़े परिवर्तन तथा हाल ही में जनवरी 2016 में भारतीय खान व्यूरो तथा राष्ट्रीय दूरसंचेती केन्द्र के मध्य समझौता कर खनिज संशासनों की प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु प्रोजेक्ट 'सुदूर दृष्टि' जैसे गील

के पश्चात ने भारतीय खान व्यूरो को कार्यों व उल्तरदायित्वों में दृढ़ि की है। ऐसे में केन्द्रीय पुस्तकालय भारतीय खान व्यूरो के रास्ता अपने पैदुक संगठन की नवीन भूमिका में लक्ष्य पूर्ति हेतु सूचना सेवाओं व सूचना सेवाओं के अद्यतन होने के साथ ही विश्लेषण की भी आवश्यकता है।

केन्द्रीय पुस्तकालय भारतीय खान व्यूरो ने विगत साठ वर्षों में पारंपरिक पुस्तकालय सेवाओं से लेकर कम्प्यूटरीकृत सूचना सेवाओं तक स्वयं को अद्यतन किया है परंतु भारतीय खान व्यूरों की बहाना लक्ष्य पूर्ति में कई चुनौतियाँ मुँह बाये छड़ी हैं, आगे इन चुनौतियों व उनके समाधान पर विश्लेषण किया गया है जो पुस्तकालय के विभिन्न सूचना सेवाओं व कार्यों पर आधारित है –

1. पुस्तकालय-स्वचालन (*Library Automation*)

केन्द्रीय पुस्तकालय भारतीय खान व्यूरो में स्वचालन की प्रक्रिया नव्हे के दशक में प्रारंभ हो चुकी थी। सर्वप्रथम पुस्तकालय सॉफ्टवेयर सी.ली.एस. आइ.एस.आइ.एस. का अनुप्रयोग इस हेतु किया गया। किन्तु 21वीं सदी के प्रारंभ में सूचना त्रान्ति के युग में एक उन्नत पुस्तकालय सॉफ्टवेयर की आवश्यकता महसूस की गई। परिणामतः वर्ष 2002 में लिबसिस (*Lisys*) सॉफ्टवेयर को क्रय किया गया जो कि पुस्तकालय की सभी प्रक्रियाओं व सेवाओं को स्वचालन करने में सक्षम है। लिबसिस सॉफ्टवेयर एक उपयोक्ता मैत्रीपूर्ण (*User Friendly*) सॉफ्टवेयर है।

2. खनिज दोओं से संबंधित विभिन्न डाटा बेसों का क्रय

बदलते परिवेश में खनिज दोओं के विभिन्न डाटा बेसों का क्रय करना एक उपयुक्त कदम साबित हो सकता है कांकिक वर्तमान में भारतीय खान व्यूरो को ऑकड़ों व सूचना की शीघ्र प्राप्ति की आवश्यकता है। शीघ्र ऑकड़ों व सूचना प्राप्ति से भारतीय खान व्यूरो के विभिन्न प्रकाशन अपने निर्धारित समय पर तैयार किये जा सकते हैं। इन डाटा बेसों को दो प्रारूप (i) सी.ली. फोर्मेट में (ii) ऑनलाइन फोर्मेट में प्राप्त किया जा सकता है।

3. वेब ओपेक (*Web on line public catalogue*) की आवश्यकता

वर्तमान में केन्द्रीय पुस्तकालय लिबसिस (*Lisys*) सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रकाशन/सूचना को खोजने में ऑपेक (*OPAC*) सुविधा तो देता है, परंतु यदि हम सूचना सेवाओं का विस्तार भारतीय खान व्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय/ऑचलिक कार्यालय/अग्रस्क प्रसाधन प्रयोगशालाओं तक करना चाहते हैं तो लिबसिस का उन्नत संस्करण वेब ओपेक (*WEB OPAC*) एक अच्छा साध्यग राखित हो सकता है, यह तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब पुस्तकालय को केन्द्रीय पुस्तकालय के रूप में सशक्त भूमिका का निर्वहन करना है।

4. पुस्तकालय सहायता संघ/पुस्तकालय सह व्यवस्था की आवश्यकता (Library Consortium)

वर्तमान में तीव्रता के साथ सूचनाओं का विरकोट हो रहा है, वहीं दूसरी ओर इनके मूल्यों में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। ऐसे में यदि खान एवं खनिज क्षेत्र के विभिन्न पुस्तकालय मिलकर एक पुस्तकालय सह-व्यवस्था निर्मित कर लेते हैं तो सूचना संसाधनों का सह उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार जहाँ एक और वित्तीय बधत होगी वही उत्कृष्ट सूचना सेवाएँ भी प्राप्त हो सकेंगी। यह व्यवस्था तब और गहत्यपूर्ण हो जाती है जब भारत सरकार वित्तीय सुधार के उड़त कम व्यवहार को प्रोत्साहन दे रही है।

5. इंटरनेट आधारित संदर्भ सेवा (Internet based Reference Service)

केन्द्रीय पुस्तकालय द्वारा पुस्तकालयीन सेवाओं ने उपयोगकर्ता की सूचना आवश्यकताओं को तीव्रता से पूर्ण करने के लिए इंटरनेट आधारित संदर्भ सेवा एक अच्छा साधन हो सकता है इसके अंतर्गत उपयोगकर्ताओं के संदर्भ प्रश्नों का उत्तर आन लाइन दिया जा सकता है।

6. सूचना स्रोतों का आनलाइन एकत्रीकरण

इंटरनेट के इस तुग में निजी प्रकाशन संस्थाओं के साथ ही शासकीय संस्थाओं को भी ऑनलाइन कर दिया है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदन, सूचनार्थी व अँकड़े आदि भी ऑनलाइन कर दिये गये हैं। इसी क्रम में भारत सरकार के महत्वपूर्ण प्रकाशन भारत के राजपत्र (*Gazette of India*) को भी 1 अक्टूबर 2015 से ऑनलाइन कर दिया गया है। अब इन्हें मुद्रित प्रारूप में प्रकाशित नहीं किया जायेगा। अतः अब इन सूचना स्रोतों का एकत्रीकरण ऑनलाइन अभियान द्वारा ही किया जा सकेगा जो कि एक चुनौती है। पुस्तकालय इन प्रकाशनों का डिजिटल प्रारूप में संग्रहण करेगा, जिसके लिए पवार्प संसाधनों की आवश्यकता होगी जिससे सूचना सेवाओं को निर्बाध रूप से दिया जा सके।

7. पुस्तकालय में संगृहीत अप्राप्त/दुर्लभ सूचना स्रोतों का डिजिटलीकरण

खनन एवं खनिज क्षेत्र के पुस्तकालयों में केन्द्रीय पुस्तकालय, भारतीय खान व खनिज क्षेत्र से जुड़े विभिन्न संगठन/उपक्रम अपनी सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति हंतु यहाँ आते हैं। इस पुस्तकालय में कई अप्राप्त/दुर्लभ प्रकाशन जैसे : अप्रकाशित रिपोर्ट, गवेषण रिपोर्ट, विभिन्न खनिजों की प्रथम खोज रिपोर्ट, सन् 1949 में आज तक प्रकाशित भारत के राजपत्र एवं ऐसे दुर्लभ प्रकाशन जो अब प्रकाशित नहीं किए जाते हैं आदि शामिल हैं। उपरोक्त प्रकाशन अपनी सात दशक की आयु प्राप्त कर चुके हैं, समय का प्रगाढ़ उन पर स्पष्ट दिखाई देने लगा है। कई प्रकाशन जर्जर अवस्था की ओर अपरत्त हैं। जहाँ वर्तमान में खनिज क्षेत्र में तीव्रता से प्रगति के संकेत हैं ऐसे में उपरोक्त प्रकाशन काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे में उन्हें संरक्षित करना एक चुनौती है अतः इन दुर्लभ/अप्राप्त सूचना स्रोतों का आधुनिक यज्ञ व सॉफ्टवेयर की सहायता से डिजिटलीकरण करना आवश्यक है।

8. कंप्यूटर आधारित सूचना व्यवनालम्बक प्रसारण सेवा (Computer based SDI Service)

तकनीकी/विशेष पुस्तकालय में व्यवनालम्बक सूचना सेवा का बड़ा महत्व है। यह एक व्यक्ति निर्दिष्ट सेवा है, जिसमें उपयोगकर्ता के समव की बचत के साथ सूचना का प्रयोग तो जी से होता है। इसके लिये उपयोगकर्ता फाइल व उसकी आवश्यकतानुसार विषयों पर एक प्रलेख फाइल तैयार कर उनका निलान कराया जाता है। भारतीय खान बूरो में विभिन्न तकनीकी प्रभाग/अनुग्राम/इकाईयां कार्यरत हैं जिनकी सूचना मांग विशेष का आकलन इस सेवा के दोसान कर उपयुक्त सूचना व अंकड़े उपलब्ध कराये जा सकते हैं व कंप्यूटर आधारित होने पर यह सेवा और भी उत्कृष्ट कार्य कर सकती है। कम्प्यूटर आधारित सूचना व्यवनालम्बक प्रसारण सेवा हेतु जिति संसाधन व उपयोगकर्ता में पर्याप्त जागरूकता की आवश्यकता होगी।

9. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशनों के विनिमेय हेतु प्रयास

खनिज दीवार के बदलते परिवेश में भारतीय खान बूरो को अधितन अंकड़े व सूचनायें निलान एक चुनौती है, विशेषकर जब संगठन शासकीय उपकरण अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित हो। पूर्व में ऐसे राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मध्य समान मूल्य आधारित प्रकाशनों का विनिमेय किया जाता रहा है परंतु कुछ वर्षों में व्यवहारिक समस्याओं के कारण इस तरह के विनिमेय कार्यक्रमों में कमी आयी है। वर्तमान में इंटरनेट के उस युग में जहां प्रकाशन डिजिटल ग्राउप में आनलाइन उपलब्ध है इस तरह के विनिमेय कार्यक्रमों को गति देकर सूचना अंकड़ों की प्राप्ति तीव्रता से की जा सकती है; भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अंकड़ों व सूचनाओं का आदान-प्रदान आवश्यक है। पूर्व में USGS, BGS, Geological Society of Japan जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठनों से विनिमेय कार्यक्रम इसका अच्छा उदाहरण है।

10. केन्द्रीयकृत प्रकाशनों का क्रय के साथ ही विकेन्द्रीयकृत पुस्तकालय सेवाओं का आयोजन

भारतीय खान बूरो ने सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पुस्तकालय की स्थापना 'केन्द्रीय पुस्तकालय' के रूप में की थी किन्तु यह केन्द्रीय गुणिका केवल अब तक प्रकाशनों के क्रय व संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/अयस्क प्रसाधन प्रयोगशालाओं तक बेजने तक सीमित है। पुस्तकालय के समृद्ध सूचना स्रोतों का उपयोग विकेन्द्रीयकृत सूचना सेवा के रूप में अब तक नहीं हो पाया है।

वर्तमान में भारतीय खान बूरो का विस्तार व नवे कार्यालयों का खुलना जारी है ऐसे में सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हर कार्यालय में एक सूचना इकाई की व्यवस्था हो, दूसरे शब्दों में प्रकाशनों का क्रय केन्द्रीयकृत हो परंतु पुस्तकालय सेवाओं का विकेन्द्रीयकरण कर भारतीय खान बूरो के हर कार्यालय तक यहुचाना चाहिये जो कि एक चुनौती है परंतु यह कार्य वर्तगान में इंटरनेट, वेब पोर्टल व आनलाइन स्रोतों की सहायता से आसानी से किया जा सकता है।

11. मानव संसाधन विकास : केन्द्रीय पुस्तकालय के परिषेक्ष्य में बढ़ता बढ़ते परिदृश्य में केन्द्रीय पुस्तकालय के उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने व पुस्तकालयीन सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने के लिए पर्याप्त श्रम शक्ति वी आवश्यकता होगी। वर्तमान डिजिटल परिवेश में यह अपेक्षित कौशलपूर्ण हो यह आवश्यक है। इस बुनीती का लाभना करने के लिए सेवाकालीन (*In Service*) प्रशिक्षण, डिपोजिटर कोर्स, आधुनिक प्रैटायरिमी से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला आदि आयोजित करने की आवश्यकता है। इस तरह के कौशलपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता व प्रलेखन सेवाओं से संबंधित एजेंसियों (e.g. NISCAIR, DESIDOC etc.) द्वारा समय-समय पर आयोजित किये जाते हैं।

12. नवीन सूचना स्रोतों की पहचान व संग्रहण

बढ़ते खनिज क्षेत्र के परिषेक्ष्य में जहरी भारतीय खान व्यूहों के कार्यों के घाटर में परिवर्तन, खान और खनिज (डिकात और विनियन) अधिनियम, 1957 के संशोधन व अन्य गतिविधियों के कारण सूचना आवश्यकतायें भी बढ़ती हैं। इन आवश्यकता के अनुरूप नवीन सूचना स्रोतों की पहचान व संग्रहण करना एक बुनीती है जैसे : सरकार द्वारा जिला खनिज पाठिंडेशन (*District Mineral Foundation*) की स्थापना के साथ ही पुस्तकालय में भारत के सभी जिलों की सामाजिक-आर्थिक रिपोर्ट, खनिज संसाधनों की स्थिति की जानकारी हेतु जिलावार गेजेटियर की आवश्यकता होगी, जो कि भविष्य में एक महत्वपूर्ण सदर्भ ग्रन्थ साक्षित होगा। खान एवं खनिज से संबंधित कानूनों के अध्ययन के लिये राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय तार पर खनिज नीति व कानूनों से संबंधित प्रकाशन। राष्ट्रीय खनिज गवेषण न्यास (*National Mineral Exploration Trust*) के लिए आधारभूत गवेषण रिपोर्ट का संकलन। हाल ही में राष्ट्रीय दूर संवेदी केन्द्र के साथ समझौते के साथ दूर संवेदी (*Remote Sensing*) विषय पर विभिन्न प्रकाशन व जनलेस को भी पुस्तकालय में उपलब्ध कराना होगा। इस तरह से नवीन सूचना स्रोतों की पहचान कर केन्द्रीय पुस्तकालय भारतीय खान व्यूहों की लक्ष्य पूर्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

13. इन्कार्स्ट्रुमेंट की आवश्यकता

सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में पुस्तकालय को आधुनिकतम बनाने के लिये व सूचना सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने के लिए पर्याप्त इन्कार्स्ट्रुमेंट का प्रबंध एक बुनीती होगा अतः आवश्यकताओं का विवेकपूर्ण विश्लेषण कर पार्याप्त इन्कार्स्ट्रुमेंट विकसित करना होगा क्योंकि इसके अभाव में निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करना समव नहीं होगा।

14. केन्द्रीय पुस्तकालय को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करना

केन्द्रीय पुस्तकालय, भारतीय खान व्यूहों खान व खनिज क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है। समय-समय पर इसे राष्ट्रीय खनिज पुस्तकालय के रूप में विकसित करने व अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में विकसित करने की तिकारियों भी मन्त्रालय द्वारा की जाती रही है। वर्तमान बढ़ते परिवेश में इसके लिए पर्याप्त प्रयासों की आवश्यकता होगी जिससे न केवल भारतीय खान व्यूहों लाभान्वित होगा अपितु

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खान व खनिज क्षेत्र के विभिन्न संगठनों को भी सूचना सेवा का लाग मिलेगा।

निष्कर्ष

21वीं सदी के मुहाने पर छह दशकों भारत सरकार डिजिटल इंडिया व ई-गवर्नेंस की अवधारणा को साकार करने को तत्पर है ऐसे बदलते परिवृह्य में केन्द्रीय पुस्तकालय, भारतीय खान व्यूरो भी नवीन तकनीकों की सहायता से त्वयं को सशक्त, सज्जन बनाने को आतुर है। किसी दार्शनिक ने कहा था कि – “भविष्य का युद्ध सूचनाओं पर आधारित होगा जो राष्ट्र जितना सूचना संपन्न होगा व उतना ही सशक्त और सज्जूत होगा” इन पक्षियों का मानवार्थ यह है कि हमें अपने सूचना संसाधनों, सूचना केंद्रों को आपुनिकतम् अद्यतन बनाने की परम आवश्यकता है। खनन व खनिज के क्षेत्र में यह सशक्तता लाने के लिए भारतीय खान व्यूरो को अद्यतन सूचनाओं से परिपूर्ण बनाने के लिए केन्द्रीय पुस्तकालय, भारतीय खान व्यूरो को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इस बदलते परिवृह्य में केन्द्रीय पुस्तकालय, भारतीय खान व्यूरो को राष्ट्रीय खनिज पुस्तकालय (*National Mineral Library*) के रूप में बदलने की आवश्यकता है।

आगाम

लेखक गण राजभाषा तकनीकी सेमिनार की आयोजन की अनुमति के लिए श्री आर.के.सिन्हा, महानियंत्रक, भारतीय खान व्यूरो का आभार व्यक्त करते हैं। राजभाषा तकनीकी सेमिनार में भाग लेने की अनुमति के लिए श्री धीरजबंत बेक, प्रमाणी मुख्य खनिज अर्थशास्त्री का आभार व्यक्त करते हैं। लेखकगण श्री चंदशेखर तिवारी, खनिज अर्थशास्त्री, एवं श्रीमती धन श्री वैत्तगरे सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, केन्द्रीय पुस्तकालय का आभार व्यक्त करते हैं जिनके प्रोत्तापन व मार्गदर्शन से मह लेख उद्देश्यपूर्ण प्राप्त कर सका।

संदर्भ

1. Kedare, V. L. and Vairagare, Dhanshree H. "Changing Role of Central Library: Indian Bureau of Mines since 1948: A case study": Conference on Recent Advancement in Library Technology and Innovative; Ed by R. U. Meshram: 3rd Central Government Library Association 25th to 27th February, 2008, Nagpur
2. Meshram, R. N. and Tiwari, C. S. "Role of Library in the functioning of Mineral Economics Division, Indian Bureau of Mines": Conference on Recent Advancement in Library Technology and Innovative; Ed by R. U. Meshram: 3rd Central Government Library Association 25th to 27th February, 2008, Nagpur
3. Saxena, V. K., Nagraj K. R. and Pal, Hemlata "Requirement of Exclusive Webpage for IBM Central Library: A New Vision and Determination in Diamond Jubilee Year": Conference on Recent Advancement in Library Technology and Innovative; Ed by R. U. Meshram: 3rd Central Government Library Association 25th to 27th February, 2008, Nagpur

4. Wakode, R. S. and Meshram R. U. "Automation and Application of IT in Central Government Libraries in Nagpur" ; Conference on Recent Advancement in Library Technology and Innovative; Ed by R. U. Meshram: 3rd Central Government Library Association 25th to 27th February, 2008, Nagpur
5. David Stoker and Alison Cooke (1994) "Evaluation of Networked Information Sources" Accessed from users.aber.ac.uk/das/texts/eval.htm on 4/3/2016
6. Annual Report (2011-2012): Indian Bureau of Mines, Nagpur, Page 3-4
7. Mega event: an event to celebrate 50th anniversary of India's independence, ministry of Steel & Mines, Dept of Mines, 6-8 August. 1998, Nagpur
8. भारत का राजपत्र (भाग-१ छप्पन-१), दिनांक 22 नवम्बर 2014
9. भारत का राजपत्र (भाग-२ छप्पन-३ उपचाल-२, अलगावाला), दिनांक 10 कापड़ी 2015
10. भारत का राजपत्र (भाग-२ छप्पन-३ उपचाल-१, अलगावाला), दिनांक 30 सितंबर 2015



जैसे छोटा सा तिनका हवा का स्ख बताता है वैसे ही मामूली घटनाएं
मनुष्य के हृदय की वृत्ति को बताती हैं। - महात्मा गांधी

जस्ता धातु का उत्पादन भारत में बदलता परिवृश्य

मुख्य उदयीन मिशनीयी
उप-कार्यक्रम अधिकारी (अभ्यास)
जब्याल पठोने
सहायक व्यक्ति अधिकारी (आग्रह)

सार

भारत में जस्ता उत्पादन का इतिहास बहुत पुराना है। भारत जस्ता उत्पादन से विश्व का प्रथम देश है, जहाँ खनिज अवस्था से जस्ता निकालने की विधि विकसित होकर अपने चरम पर पहुँच गई और अनायास यह उद्योग बंद हो गया, बेकार पड़े हुये रिटार्ट एवं अपशिष्ट के ढेर इसके मूक प्रगति है। हाल के वर्षों में जस्ता उत्पादन के क्षेत्र में अनुलनीय कुद्दि हुई है। और हाल के वर्षों में पिछले रानी आयामों को तोड़ते हुए वर्ष 2013–14 से 7.7 लाख टन जस्ता धातु का उत्पादन हुआ है। एक आकलन के अनुसार सन् 2020 तक भारत जस्ता उत्पादन में पूर्ण रूप से सक्षमता प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। देश में जस्ता के 89 प्रतिशत भवित्व एक ही राज्य में कोट्रित है और सिर्फ एक ही कंपनी इसका दोहन करती है। इस परिवृश्य में एक कंपनी के योगदान से भारत ने जस्ता उत्पादन में अपना स्थान बनाया है जो कि एक बड़ी उपलब्धि है।

पूर्व में जस्ता प्राप्त करने के बाद बेकार पड़े हुए रिटार्ट एवं अपशिष्टों के ढेर जस्ता और अन्य धातुओं के प्राप्त करने का एक स्तर है। हाल ही में 31 खनिजों को मुख्य सूची से निकाल कर नीण खनिजों की सूची में सम्मिलित किया गया है। वही समय है कि भारतीय खान व्युत्तों को इस खोज के प्रति और ध्यान देनी चाहिए। इसी परिवृश्य को इस लेख में प्रस्तुत किया गया है।

जस्ता एक रूपहली नीली सुरम्ह रंग की धातु है। इसका गलनांक 419.5°C है जो अन्य धातुओं के मुकाबले काफी कम है। इसका व्यवनांक 907°C है और 917°C के तापमान पर यह वाष्पित हो जाता है। यह तांबा या एल्युमिनियम की तुलना में कम कठोर है। अतः शुद्ध रूप से इसका प्रयोग stressed application में नहीं किया जा सकता। यह अत्यधिक शुद्ध रूप से भगुर होता है और 100°C तापमान पर इसे अन्य रूप में ढाला जाता है। जस्ता अन्य धातुओं के साथ मिलकर मिश्र धातुओं के रूप में प्रयोग होता है।

जस्ता उत्पादन का वर्तमान परिदृश्य

विश्व के अनेक देशों में जस्ता का उत्पादन होता है जिनमें प्रमुख देश हैं चीन, ऑस्ट्रेलिया, पेरु, मेक्सिको, कनाडा, अमेरिका और ब्राजिलिया। इन देशों में विश्व के कुल जस्ता उत्पादन का 67.21% जस्ते का उत्पादन होता है। भारत में विश्व के कुल उत्पादन का 1% जस्ते का उत्पादन होता है। विश्व के कुल उत्पादित जस्ते का 95% जस्ता flotation द्वारा प्राप्त सार्वदा (Concentrated) द्वारा किया जाता है।

इस सार्वदा को जो जिंक सल्फाइड (ZnS) होता है, भट्टी में तपाया जाता है। इस प्रक्रिया में सल्फर आक्सीजन के सर्वके में आकर सल्फर डाइ आक्साइड मैस के रूप में निकल जाती है और ZnS को ZnO में परिवर्तित कर लिया जाता है।

इस ZnO को गंधक के अन्त के प्रयोग से leaching और purify किया जाता है और electrolysis पद्धति से केंथोड पर जस्ते को deposit करा लिया जाता है।

निम्न flow चार्ट इस प्रक्रिया को समझने के लिये व्याप्त है। मौजूदा समय में वर्ष 2013–14 में विश्व में कुल जस्ता धातु का उत्पादन 13.12 million टन हुआ है जिसका 0.77 million टन भारत द्वारा उत्पादित किया गया है भारत में केवल दो ही उत्पादक हैं एक HZL है जो खनिज अयस्क से जस्ता बनाते हैं दूसरा BZL है जो आगामित सांद्र से जस्ते का उत्पादन करते हैं। इन दोनों की उत्पादन क्षमता 9 टन है। जस्ता उत्पादन का एक बड़ा स्त्रोत जस्ते के scrap का पुनर्वर्क्षण है और वह अपने अपने में एक बड़ा उद्योग, पुर्वतक्रम द्वारा जस्ते की उत्पादन विधि इस लेख में समाहित नहीं की जा सकती। अतः यह विश्व यहीं छोड़ा जाता है।

जस्ता उत्पादन का इतिहास


भारत में जस्ता उत्पादन का इतिहास तकरीबन 1700 लाल पुराना है। वस्तुतः विश्व में जस्ता सर्वप्रथम भारत में ही उत्पादित किया गया। इसके प्रमाण आज भी राजस्थान में उदयपुर के निकट जावर क्षेत्र के निकट देखे जा सकते हैं। सेंडियो कार्बन विधि निर्धारण पद्धति से ज्ञात होता है कि जावर क्षेत्र में 500 इूँटू आसपास जस्ते का खनन और उत्पादन उच्चोग फलफूल रहा था। जो कि जनै जनै 19 वीं सदी के अंत तक आपसी झगड़ों और खदानों की अधिक गहराई के कारण विलुप्त हो गयी। हाल में ब्रिटिश स्थूजियम, बड़ोदा विश्वविद्यालय और HZL के संयुक्त प्रयास से जावर क्षेत्र में उस समय की smelting भट्टियों की खोज की है जिनमें जस्ते का उत्पादन होता है। ASM International ने जावर क्षेत्र में इससे संबंधित एक फलक की स्थापना की है।

जस्ता धातु उत्पादन का लिखित प्रभाषण सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में मिलता है। शातवाहन समय के प्रसिद्ध नागार्जुन द्वितीय रस-रत्नाकर में जस्ता उत्पादन के प्रामाणिक प्रभाषण मिलते हैं। जैन साहित्य में सर्वप्रथम जस्ता शब्द का उल्लेख मिलता है और इसे जस्ता लिखा गया है। बाद के समय में जस्ते को यसदा, यसदयक और यासतदा भी कहा गया है। रस-रत्नाकर ग्रंथ जिसे चौथी सदी ई.वी. में सत्यवाहन समय के प्रसिद्ध ऋषि नागार्जुन ने लिखा था, उसमें पीतल और जस्ता धातु के उत्पादन की सम्पूर्ण विधि का उल्लेख किया गया है। आह्ने अकबरी जिसे अकबर के नौरतों में से अबुल फजल और फौजी ने लिखा। उन्होंने जावर में रह-ये-तूतिया के उत्पादन का उल्लेख किया है। विद्वानों का यह मानना है कि यह रह-ये-तूतिया वास्तव में प्रयुक्त थूथा ही है। जिसको अब हम जस्ता के नाम से जानते हैं।

कर्नल जेन्स टार्ज (1829) ने राजस्थान के इतिहास संबंधित दस्तावेजों में ये उल्लेख किया है कि सन् 1373 ई. में राणा लाला जब चित्तोड़ के सिंहासन पर आसीन हुए तभी उन्होंने जावर में जस्ता और बौद्धी का उत्पादन प्रारंभ किया। इस क्षेत्र में छन्न सातवी शताब्दी से 1820 तक फूलता रहा और अचानक यहाँ उत्पादन रूप हो गया।

जस्ते को शुद्ध रूप से प्राप्त करने से पूर्व इस धातु का उपयोग पीतल बनाने के लिये किया गया था। यहाँ जस्ते के छिन्न को लावे और कोयले के साथ मिलाकर एक तील बद बर्नन में 1000°C तक गर्म किया जाता था और निम्न दर्जे का पीतल प्राप्त किया जाता था।

पीतल धातु के प्रयोग के प्रभाषण पैदिक काल से प्राप्त हुए हैं। लोथल और अठरंजीखोरा के खंडहरों से इसके प्रभाषण प्राप्त हुए हैं। पीतल की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु यह आवश्यक था कि तांबा और जस्ते का सही अनुपात मिलाया जाये और यह तभी संभव था जब जस्ता शुद्ध रूप में प्राप्त हो। यह आवश्यकता थी तो ठल निकलना ही था। अतः जावर क्षेत्र में पहली मिलेनियम ईसा पूर्व से जस्ता के स्मेलिंग तकनीक के उत्तरोत्तर विकास के प्रभाषण मिलते हैं और 12वीं सदी में एक विकसित विधि और जस्ते का फूलता-फूलता उद्योग नजर आता है।



उत्पादन की विधि



रिटार्ट की बनी हुई दीवारें

उत्पादन की मट्टी का हिस्सा


रिटार्ट हुआ जरूरा उत्पादन की विधि :

जाधव कोश में अनेक स्थानों पर आपको मिलती के पकड़ हुए संकुकार पात्र पड़े गिलेंगे या उच्च हॉट की तरह इसीमाल करके बनी हुई दीवारें दिखाई देगी। बास्तुतः ये दो बर्तन हैं जिन्हें प्रयोग करके जरूरा आतु का उत्पादन किया गया था। यदि हम इन्हें टॉक्कर देखें तो इनके अंदर से कुछ slag एवं राख दिखाई देगी। यह गही पात्र है जिनका उपयोग जरूरों के उत्पादन में किया गया था।

इन पात्रों रिटार्ट के कच्चो मिटटी से शंकुकारखप में बनाकर सुखाया जाता था। इनकी लंबाई 30–35 से.मी. एवं खुले हुये मुख की चौड़ाई 10–15 से.मी. होती थी। (विड-1) इसके अंदर जर्ते के अवस्थ को रोट्ट कर एवं पीसकर हल्दी, धी, कोयला, आदि के साथ मिलाकर भर दिया जाता था। इसके भव्य में बांस की रीधी टहनी उत्तरके तली तक लगा दी जाती थी। उसके उपरांत इस रिटार्ट को एक मिटटी के विशेष रूप से बनाये गये डबकन ते इस प्रकार बंद कर दिया जाता था कि बांस की टहनी उस डबकन से बने छिद्र और नली से बाहर निकलती रहे। इसके उपरांत उन्हें पूर्ण रूप से सूखा लिया जाता था। इसी प्रकार अन्य रिटोर्ट भर कर तैयार किए जाते थे। इन भरे हुये पात्रों का बजान करीब 3 किमी तक होता था।


अब इन रिटार्ट को विशेष रूप से बनी हुई भट्टियाँ (विड-2) में उल्टा कतार बद्द तरीके से रख दिया जाता था। ये कतारे और रिटार्ट की संख्या जरूरत के अनुसार बनाई जाती थी। एक भट्टी में 6x6 की कतार रो 36 रिटार्ट रखे जाते थे। भट्टियों की संख्यना एक नहातपूर्ण कार्य था। यह भट्टी दो छड़ों से बनाई जाती थी। जो 65x65 से.मी. की होती थी। ऊपर के छंब ने आग जलाकर रिटार्ट गर्म किये जाते थे और नीचे के छंब मैड को जला वाल्य जो तंदा करने के लिए प्रयोग किया जाता था। इन दोनों छड़ों को एक यकी हुई मिटटी की प्लेटी द्वारा दो गांठों में बिनकत किया जाता था। ये प्लेटे 4 से.मी. गोटी और 35 वर्ग से.मी. के बार हिस्सों को मिलाकर बनाई जाती थी। इसको अच्छी तरह पकाया जाता था और इसमें दो साइज के छिद्र बने होते थे। एक छिद्र 4 से.मी. diameter और दूसरा 2.5 से.मी. Diameter का होता था। यह चारों प्लेटें भट्टी के भव्य सिध्ता एक संभ के ऊपर रखी जाती थी। छोटे छिद्रों द्वारा ऑनेन प्रज्ञालित करने हेतु हवा वर्ष की जाती थी। और वहे छिद्र में रिटार्ट की नलीनुसा गर्दन कसाकर उल्टा रखा जाता था। प्रथमक पात्र के नीचे एक कटोरी नुसा पात्र एकांकित करने हेतु रखा जाता था।

चित्र-१



नली-तुमा द्रिक्कन

शंकुकार पात्र




संपूर्ण रिटार्ट (द्रवकन सहित)

आग की गमी से बास की उहनी जल जाती थी और जलते की वाल्य भी रिटार्ट से बढ़ते निकालने के लिए एक सुखम जलता उपलब्ध हो जाता था। सभी रिटार्ट को तकरीबन 5 मटों तक 1150°C से 1200°C एक समान तापमान पर रख किया जाता था और लाप्पान बढ़ाने हेतु धौकतियों की मदद से अग को तेज किया जाता था और जलता के लाभित होकर रिटार्ट के मुख से बद्दी के नीचे खाली त्वान पर प्रकट होने पर ठंडी हवा के एक ब्लास्ट से संपर्कित किया जाता था जो छोटे-छोटे घनों के रूप में पात्र में एकजित होता था और जलता बातु एकज कर ली जाती थी।

यह विधि भारत में पूर्णत विकसित हो चुकी थी और ऐसा प्रतीत होता है कि इसी विधि द्वारा 16 वीं सदी में अन्य देशों में जैसे कि चीन, ब्रिटेन में जलते का नियमण किया गया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि कर्नल टाइ की छोड़ के उपरान्त रिटार्ट विधि द्वारा जलता उत्पादन की प्रक्रिया ब्रिटेन तक पहुंची और 1780 में एक व्यापिक विलियम बैमियन ने इस विधि का फैटेंट ब्रिटेन में करा लिया, ताकि इस विधि से बड़े पैमाने पर जलता उत्पादित किया गया। यह प्रक्रिया सन् 1925 से सन् 1939 तक Imperial smelting corporation द्वारा इन्हैंड में जारी रही एक समय 1916 तक विश्व का 90% प्रतिशत जलता इसी प्रक्रिया द्वारा उत्पादित किया जाता था।


हाल सौजों से यह जावर क्षेत्र में कर्तीबन 6 लाख टन पुरातानकालीन रिटार्ट पड़े हुवे हैं जिनमें 3 प्रतिशत जलता के अलावा अन्य धातुएँ भी हैं। अगर उन्हें पूर्ण रूप से process किया जाता है तो तकरीबन 18000 टन जलता निकाला जा सकता है। रिटार्ट में उपलब्ध विभिन्न धातुओं की मात्रा का अध्ययन किया गया है। उसके परिणाम सारणी - 1 में दिये गये हैं। इसके अंतिरिक्ष अपशिष्टी एवं राज्य के दर्रों में से भी जलता एवं चौड़ी के अलावा तीसरा भी ग्रापा किया जा सकता है।



चित्र-2



एकी मिट्टी याली जाली (छोटे और बड़े छिद्र दर्शाते हुए)



रिटार्ट ब्राश जस्ता चत्पादन की विधि

जस्ता साष्ट्र और रिटार्ड Residue Relative Proportion of Constituents

	जोशिया Ore		जोशिया Tailing		जस्ता साष्ट्र		रिटार्ड Residue	
	%	Relative	%	Relative	%	Relative	%	Relative
Fe	3.00	1.00	3.10	1.00	8.00	1.00	5.7	1.00
Zn	3.50	1.17	0.35	0.11	52.00	6.50	3.04	0.53
Pb	1.40	0.47	0.22	0.07	1.30	0.16	1.55	0.27
Mn	0.35	0.12	-	-	0.035	4.4×10^{-3}	1.03	0.18
Ag(ppm)	40.00	10^3	-	-	140.00	1.7×10^3	114^4	2×10^3
Insoluble(Silica)	30.00	10.00	33.20	10.70	1.25	0.16	42.5	7.45
Ca	13.00	4.33	14.00	4.50	1.00	0.125	17.2	3.00
Mg	7.5	2.50	8.50	2.70	1.20	0.15	6.7	1.18

Note: 1.The data for the ore, tail, and concentrate in the modern plant are taken from Chatterjee and Agrawal

इस तरह से धरती पर जस्ता का उत्पादन करीबन पिछले 500 सालों से आवकाईल और सल्फाइड और से किया जाता रहा है। इसने सालों में जस्ता प्राप्त करने की पद्धति में काफी बदलाव हुये हैं और अभी ज्यादातर जस्ता उत्पादन यांचोग्टोलॉजिकल पद्धति से किया जाता है। विश्व युड-१ के द्वारा इस विधि के अलावा एक अन्य प्रकार की विधि विकसित की गयी जिसे सोर्टिंग-लीचिंग-इलेक्ट्रोपिनिंग पद्धति कहा गया जो कि एक समानांतर पद्धति के तौर पर अपनायी गयी।

भारतीय खान व्यूहों द्वारा बदलते हुये पारिवेश गंगा प्राचीन धातु अधिकारियों में उपलब्ध धातुओं के दोहन हेतु अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। भारतीय खान व्यूहों के निहित कार्यों में सर्वोपरि कार्य खनिज संतुलण का है। भारत में अनेक स्थानों पर प्राचीन खनन लद्दोग एवं धातुओं को प्राप्त करने की उस समय की उन्नत तकनीक पर आज के भी प्राचीन विधियों का उपयोग होता रहा है। इस कारण खनिज अवस्था से पूर्ण रूप से धातुयें प्राप्त नहीं ठीक सकी और प्राचीन विधि एक ही धातु के दोहन की ओर लगाया गया है।

हमें ज्ञात है कि खनिज अयस्क में एक से अधिक धातुयों समिलित ढोती है जिनका दोषन आज के युग में Zero Waste Technology के रूप में संभव है परन्तु प्राचीन युग में यह संभव नहीं था। आज यह सभी धातुयों प्राचीन धातुओं के अपशिष्ट के रूप में यहाँ – वहाँ बिछरी पड़ी है।

यदि यसों के अपशिष्ट की जाय तो हमें यह ज्ञात होगा कि ज्ञावर थोड़े ये जलसों के साथ सीला, बैंधी और बैंडमियम भी बिलाता है। आज यह संभव है कि इन अपशिष्टों में उपर्युक्त धातु की बड़ी जाता उपलब्ध होगी।

अब आवश्यकता है कि इन अपशिष्टों का समुचित अध्ययन किया जाय और एक ऐसी flow sheet का निर्माण किया जाय जिससे इन लार्ज पढ़े हुए अपशिष्टों के ढंसी का उपयोग किया जा सके।

भारतीय खान बूरो ने जहाँ डर प्रकार के expertise उपलब्ध है आहे यह खनन से संबंधित हो भूगर्भ में संबंधित हो। या खनिज प्रशंसकरण से संबंधित हो। इतनी expertise का सफल उपयोग किया जा सकता है और मीलूदा खणिज भडार पर बड़ते हुये दबाव को कम किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इस प्रकार का प्रयोग वहले कभी नहीं किया गया। HZL ने अप्रैल 1980 में IIT कानपुर को तीन वर्ष के लिए Research project प्राप्तोंजित की थी। लाल ही 1982 शिटिंग मृदुजियम लायब्रेसी और MS शुनिवर्सिटी बडार के प्रयोग से इस प्राचीन पद्धति द्वारा जस्ता उत्पादन की प्रक्रिया विशेष के सामने प्रकट हुई। परन्तु प्राचीन अपशिष्टों को पूर्ण-स्पष्ट से उपयोग में लाने हेतु किसी प्रकार की योजना का प्रारंभ नहीं हो सका।

भारतीय भूविज्ञानिक संघरण (GSI) ने प्रेरे जाता में व्यापिक अपशिष्टों का गहन अध्ययन किया है तथा उन्होंने राजस्थान में ही बाहर स्थानों पर अपशिष्टों का ओकलन किया है।

पातुओं की बड़ती हुई मात्र समय के साथ यहाँ होती हुई खदानों ने अनेक बुनीदियों प्रत्युत्ता की है। आज ऐसे समय में पढ़े हुए अवशिष्टों ने से महात्मपूर्ण धातुयों प्राप्त की जा सकती है। इसके लिये खान सञ्चालन में कार्यस्थल कार्यालय जैसे कि IBM, MECL, GSI की एक Task Force बनाई जा सकती है।

खातिरदारी जैसी चीज़ में मिठास जरूर है, पर उसका ढकोसला
करने में न तो मिठास है और न स्वाद। -शरतचन्द्र

जस्ता अयस्क मण्डारों के लाभकारी दोहन हेतु न्यूनतम ग्रेड

का भैलोच समीक्षा (उप समिति अधिकारी)
श्री शुभील कुमार राम (महापक्ष समिति अधिकारी)

प्रस्तावना:

खनिज क्षेत्र के बदलते परिषेक में जहाँ खनिजों का आवंटन नीतियाँ ढास किया जा रहा है, वही भारतीय खान ब्यूरो, खनिजों के लाभकारी दोहन हेतु न्यूनतम घेड निर्धारण करके, निलमी प्रक्रिया को सफल बनाने में अपनी धूमिका निभा सकता है। हालांकि प्रत्येक खनिज मण्डार के दोहन में लगने वाली लागत उस खनिज मण्डार के आकार, परिमाण, गुण, धूमिगत गहराई, घटानों की गजबूती पर निर्भर करती है तथा खनन उपरान्त मिलने वाला लाभ, लागत के साथ-साथ विकी मूल्य पर भी निर्भर करता है, परन्तु वर्तमान में खनिजों को दोहन करने वाली खदानों के उत्पादन तथा लागत के औंकड़ों ढास न्यूनतम ग्रेड की गणना की जा सकती है।

इस लेख में न्यूनतम घेड की गणना करने के लिए कुछ वैशमीटर लिये गये हैं, जैसे कि जस्ता धातु के उत्पादन से होने वाले लाभ की गणना के लिये सर्वप्रथम एक नियत समय लिया गया है, जो कि वर्ष 2014–15 है। इसके साथ-साथ धातुकर्म के उत्पादन में लगने वाली लागत उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे समूर्ध उत्पादन लागत में से खनन एवं सान्दीकरण के लागत को घटाकर प्राप्त किया गया है।

लाभकारी दोहन हेतु न्यूनतम ग्रेड

खनिज उत्पादन के लाभकारी दोहन हेतु न्यूनतम ग्रेड वह ग्रेड है, जिससे अधिक ग्रेड वाले अयस्क का दोहन लाभकारी रहेगा। दूसरे शब्दों में वह ग्रेड जिससे कम ग्रेड पर खनन करने पर हानि की स्थिति होगी। न्यूनतम घेड के निर्धारण के लिए अयस्क उत्पादन लागत, सान्दीकरण लागत, धातुकर्म (smelting) लागत, धातु उत्पादन, विकी दर और खनिज की विकी ढास आय के औंकड़ों को एकत्र कर उनका विश्लेषण किया गया है।

खानों ढासा अयस्क उत्पादन

वर्तमान में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड कम्पनी, अठ खदानों का सांचालन कर जस्ता व सीसा अयस्क के साथ-साथ मिलने वाली धौंधी का भी उत्पादन कर रही है। इनमें से चार खदानों का समूह "जावर" नामक क्षेत्र में स्थित है, जो कि उदयपुर जिले में है। इन चार खदानों (गोविया, बलारिया, जावरमाला, बरोइ) को संयुक्त रूप से जावर समूह की खदानें भी कहा जाता है। अन्य चार खदानें, सिन्देसर खुदूर, राजमुरा-दरीबा (राजसमन्द जिला), रामपुर-आगुवा (भीलवाड़ा जिला) और कायड़ (अजगर जिला) में स्थित हैं। कायड़ खदान को छोड़कर सभी जस्ता तथा सीसा खदानों के साथ खनिज प्रसंस्करण संयंत्र संलग्न हैं।

खानों के आधार पर प्रत्येक खान से अयरक का उत्पादन एवं ये तारणी—1 में दी गई है। यह ऑकड़े वार्षिक विवरणी (Annual Returns) 2014–15 से लिए गए हैं।

सारणी 1 : खानों से अयरक का उत्पादन एवं ये (वर्ष 2014–15)

क्र. सं.	खान का नाम	अयरक उत्पादन		
		मात्रा (टन में)	ग्रेड	
			Zn (%)	Pb (%)
1.	जावर खान समूह	10,77,142	2.82	1.68
2.	सिन्देसर खुद	19,10,055	3.61	1.93
3.	राजपुरा—दरीबा	9,73,284	5.31	1.34
4.	रामपुर—आगुचा	54,57,320	12.91	1.73
5.	कायड़	3,72,000	8.64	1.13
कुल		93,83,801		

स्रोत : वार्षिक विवरणी (Annual Returns) 2014–15

उपरोक्त लारणी 1 में वर्ष 2014–15 में कुल जस्ता सीसा अयरक उत्पादन 93,83,801 टन हुआ जिसमें अधिकतम जस्ते की ग्रेड रामपुर आगुचा खदान एवं सबसे कम ग्रेड जावर खान समूह की है। सबसे अधिक अयरक उत्पादन रामपुरा—आगुचा खान से किया गया है, जो कि कुल उत्पादन का 58 प्रतिशत है।

सान्द्रण उत्पादन

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी जावर, सिन्देसर खुद, राजपुरा दरीबा और रामपुर—आगुचा संयंत्र में सान्द्रण का उत्पादन करती है। वर्ष 2014–15 में कुल 91,44,963 टन अयरक का सान्द्रिकरण करके 16,97,180 टन जस्ता—सीसा सान्द्रण का उत्पादन किया गया है, जो सारणी—2 में दर्शाया गया है।

कायड़ खदान छारा जो भी जस्ता अयरक का ढोहन किया जाता है उसका शुद्धिकरण रामपुर—आगुचा खदान स्थित अयरक प्रसंस्करण संयंत्र में किया जाता है। इस बजाह से कायड़ खदान से प्राप्त अयरक का सान्द्रण उत्पादन रामपुर—आगुचा में दर्शाया गया है।

उत्पादन लागत

वर्ष 2014–15 में प्रत्येक खान द्वारा अयरक एवं सान्दण का उत्पादन किया गया। उसकी उत्पादन लागत वार्षिक विवरणी (Annual Returns) 2014–15 से लेकर सभी खदानों की संयुक्त खनन व सान्दण लागत की गणना की गई है जो सारणी-3 में दर्शाई गई है।

सारणी – 2 : अयरक के खनन एवं शुद्धिकरण से वर्ष 2014–15 में सान्दण उत्पादन

क्र. सं.	खान/ संयंत्र	बयस्क का सान्दणकरण (टन)	सान्दण उत्पादन							कुल सान्दण (टन)
			जस्ता सान्दण (टन)	Zn (%)	शिशा सान्दण (टन)	Ph (%)	धोक सान्दण (टन)	Zn (%)	Pb (%)	
1.	जाहर समृद्धि	10,77,142	—	—	—	—	74,186	36.97	21.94	74,186
2.	सिन्धेसर सुर्द	19,13,751	1,20,057	51.29	60,922	52.67	—	—	—	1,80,979
3.	राजपुरा- परीधा	5,73,018	43,359	50.04	10,647	41.26	8,876	37.28	10.11	63,862
4.	रामपुर — आगुड़ा	55,81,972	12,79,420	51.31	98,693	59.46	—	—	—	13,78,113
	कुल	91,44,963	14,42,836	—	1,70,262	—	84,062	—	—	16,97,150

स्रोत: वार्षिक विवरणी (Annual Returns) 2014–15

सारणी 3: उत्पादन लागत एवं सान्दर्भ में धातु की गाँड़ा

क्र. सं.	संयंत्र/ खान	कुल सान्दर्भ उत्पादन	सान्दर्भ में धातु की गाँड़ा			उत्पादन लागत (खनन + सान्दर्भ)		कुल खनन एवं सान्दर्भ लागत (करोड़ रु.)
			Pb (टन)	Zn (टन)	कुल धातु (टन)	प्रति टन जपर्सन (रु/टन)	प्रति टन सान्दर्भ (रु/टन)	
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)	7	8	9 = 8 X 3
1.	जावर समृद्धि	74,186	16,276	27,427	43,703	3,390	49,221	365.15
2.	सिन्धेसर खुद	1,80,979	32,088	61,577	93,665	2,726	28,768	520.64
3.	पाण्डुरा — दरीबा	63,882	5,391	25,379	30,770	4,031	36,178	231.11
4.	रामगुरु —आगुला	13,78,113	58,683	6,56,470	7,15,153	4,667	18,899	2604.44
5.	कायड़	—	—	—	—	3124	—	116.21
	कुल	16,97,160	1,12,438	7,70,653	8,83,291			कुल लागत 3,837.55 करोड़ रुपये

स्रोत: वार्षिक विवरणी (Annual Returns) 2014–15.

सारणी 3 की गणना अनुसार सभी खानों/संयंत्रों की खनन एवं सान्दर्भ बनाने में लगने वाली कुल लागत 3,837.55 करोड़ रुपये है। सान्दर्भ उत्पादन लागत जिसमें रोयल्टी, अवमूल्यन इत्यादि खर्च जोड़े गये हैं जैसा कि सभी खदानों के वार्षिक विवरणी में दिया गया है।

इस लेख में सीसा और चौदी तथा उनके प्रेड का आकलन नहीं किया गया है। परन्तु ये सभी धातुओं एक साथ पाई जाती है। इस कारण से जस्ते की लागत निकालने के लिये बाकी धातुओं का आकलन भी किया गया है।

धातुकर्म (smelting) लागत की परिवर्तन :-

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की सभी खदानों एवं अयरक शुक्रीकरण करने में, वर्ष 2014–15 में लगने वाली कुल लागत 3,837.55 करोड़ रुपये है। सान्द्रित अयरक (सान्द्रण) से धातु उत्पादन हेतु सान्द्रण को धातुकर्म (smelting plant) संयंत्रों में भेजा जाता है। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड उर्तमान में तीन धातुकर्म संयंत्रों द्वारा धातु उत्पादन करता है। ये संयंत्र देवारी, दरीबा एवं चन्देरिया नामक जगह पर स्थित हैं। जो पि कमश उदयपुर, सजसामन्द एवं चित्तीडगढ़ जिले में हैं।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report) 2014–15 में सभी खदानों और संयंत्रों के संचालन में संयुक्त रूप से लगने वाली कुल लागत का व्यूह दिया गया है, जिसमें परिवहन लागत भी सम्मिलित है। वार्षिक प्रतिवेदन 2014–15 अनुसार हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की कुल लागत 8,036.51 करोड़ रुपये हैं।

सारणी – 4 : वर्ष 2014–15 में धातुकर्म लागत प्रति टन

कुल लागत	कुल खनन एवं सान्द्रण लागत	कुल धातुकर्म एवं इत्यादि लागत	कुल उत्पादित धातु	धातुकर्म एवं इत्यादि लागत प्रति टन
करोड़ रुपये	करोड़ रुपये	करोड़ रुपये	टन	रुपये/टन
1	2	3 (1 – 2)	4	5
8,036.51	3,837.55	4,198.96	8,83,291	47,538

स्रोत : हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report)

2014–15

यह मान लिया जाए कि वर्ष 2014–15 में जितना सान्द्र का उत्पादन हुआ है, सभी सान्द्र को धातुकर्म करने के उपयोग में लिया गया होगा। कुल लागत में से खनन एवं सान्द्रण लागत को छटा दिया जाए तो कुल धातुकर्म (smelting) तथा अन्य लागत 4,198.96 करोड़ रुपये आती है, जिसे सारणी – 4 में दर्शाया गया है।

सारणी 4 के अनुसार 4,198.96 करोड़ रूपये हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड की धातु उत्पादन लागत (खनन व सान्दर्भ लागत छोड़कर) है। सारणी-3 में दर्शाए गए ऑकड़ों अनुसार सभी खदानों/संयंत्रों द्वारा उत्पादित सान्दर्भ में कुल धातु 8,83,291 टन है। यदि यह मान लिया जाए कि सान्दर्भ में धातु की कुल मात्रा धातुकर्म द्वारा प्राप्त कर ली जाती है अर्थात् सभी खदानों से प्राप्त सान्दर्भ का धातुकर्म करने पर हो 8,83,291 टन धातु प्राप्त होती है, जिसमें सीसा 1,12,438 टन और जस्ता 7,70,853 टन है। धातुकर्म में लगने वाली लागत है कि इस प्रकार गणना करना इसलिये जरूरी है क्योंकि कंपनी द्वारा प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन या विवरणी में यह सीधे तीर पर नहीं दी गई है। कंवल धातुकर्म में लगने वाली कुल लागत 4,198.96 करोड़ रूपये में कुल धातु उत्पादन 8,83,291 टन का भाग देने पर प्रति टन धातुकर्म लागत ग्राहक होती है जिसकी गणना निम्न प्रकार है।

$$\begin{aligned}
 \text{धातुकर्म लागत प्रति टन} &= \frac{\text{कुल धातु-कर्म लागत}}{\text{कुल धातु उत्पादन}} \\
 &= \frac{4198.96 \text{ करोड़ रूपये}}{8,83,291 \text{ टन}} \\
 &= 47,538 \text{ रूपये/प्रति टन}
 \end{aligned}$$

उपरोक्त गणना के अनुसार धातुकर्म प्रति टन की लागत 47,538 रूपये आती है अर्थात् वर्तमान में उपलब्ध सान्दर्भ तथा धातुकर्म संयंत्रों द्वारा एक टन धातु उत्पादित करने के लिए 47,538 रूपये की लागत लगती है।

जस्ता, सीसा एवं चौंदी धातु का विक्रय मुख्य/ विकी दर

हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन 2014–15 अनुसार, सारणी 5 में दिए गए जस्ता, सीसा तथा चौंदी की बिक्री हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड ने की तथा बिक्री करने पर जस्ता, सीसा तथा चौंदी से आय प्राप्त हुई है। प्रत्येक धातु के लिए उसकी विक्रय मात्रा में धातु से प्राप्त आय का भाग देने पर धातु की बिक्री दर प्राप्त होगी।

संख्या ५ १० अक्टूबर २०१४ की विक्री आय (₹ में)				
क्रम सं.	धातु	विक्रय मात्रा (टन में)	कुल आय (करोड़ रुपये)	विक्रय दर विक्री दर (रुपये/टन)
1.	2.	3.	4.	5 = 4 ÷ 3
1.	जल्ला (Zn)	735783	12005.97	1,63,173
2.	चीता (Pb)	128752	1976.73	153530
3.	चांदी (Ag)	327	1286.7	3,9348.624

स्रोत : हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report) 2014-15

उपरोक्त सारणी में गणना अनुसार वर्ष 2014-15 में जस्ता, सीता तथा चौंदी का मूल्य कमशः 1,63,173 रुपये, 153,530 रुपये 3,93,48,624 रुपये प्रति टन प्राप्त होता है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के सभी खदानों से प्राप्त अयस्क से धातु प्राप्ति तक की प्रक्रिया में लगने वाली लागत व प्राप्त धातु की विक्री करने पर प्राप्त आय का आकलन करके हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान स्थिति में सभी खदानों द्वारा खनन करना लाभकारी है। अब यह जानना भी आवश्यक है कि लाभ कायम रखकर उत्पादन करने के लिये धातु की न्यूनतम ग्रेड कितनी होनी चाहिए।

जस्ता धातु के ग्रेड का आकलन

अभी तक के आकलन से पता चलता है कि अयस्क में अधिक ग्रेड पाये जाने से अधिक लाभ होता है और कम ग्रेड होने पर कम लाभ होगा। अयस्क की न्यूनतम ग्रेड की गणना दो प्रकार से कर सकते हैं एक तो वह कि प्रत्येक खदान से प्राप्त अयस्क से होने वाले लाभ को उसी खदान से प्राप्त धातु के विक्रय मूल्य में से पटाने पर उत्पादन लागत प्राप्त होगी, जिसके आधार पर जस्ते की न्यूनतम ग्रेड की गणना कर सकते हैं, परन्तु यह एक सही तरीका नहीं होगा क्योंकि जैसे-जैसे खनन करने के लिये खनिज भण्डार की गहराई बढ़ती जायेगी, उत्पादन लागत भी बढ़ती जायेगी अतः यह एक काल्पनिक तरीका होगा। दूसरे तरीके में न्यूनतम ग्रेड को जानने के लिये आज की विक्री दर को ही लागत मानकर आगे आने वाली न्यूनतम ग्रेड का आकलन करें और लाभ शून्य मानकर बलें।

विना लाभ-हानि की स्थिति में लागत किसी भी व्यवस्था में आय में से व्यय को पटाने पर जो बचत है, उसे लाभ कहते हैं। अधार लिमिट रुप्र से : आय - व्यय = लाभ

उपरोक्ता शूत्र ने यदि लाभ शून्य हो जाए अर्थात् न लाभ व न हानि की स्थिति होने पर आय का मान व्यय के मान के बराबर होगा।

विना लाभ व हानि की स्थिति में :-

व्यय = आय ——————(i)

जस्ता उत्पादन में कुल व्यय लागत प्रति इकाई खनन एवं सान्दर्भ में लागत और धातुकर्म प्रति इकाई लागत का योग करने पर प्राप्त होगी। इसे निम्न शूत्र द्वारा वर्णया जा सकता है।

कुल व्यय = खनन एवं सान्दर्भ में लागत + धातुकर्म में लागत ——————(ii)

तथा कुल आय प्रति टन जस्ता सारणी 5 के अनुसार 1,63,173 रुपये प्रति टन है।
कुल व्यय ताकि कुल आय का मान समीकरण (i) में रखने पर

खनन एवं सान्दर्भ में लागत प्रति टन + धातुकर्म में लागत प्रति टन = 1,63,173 रु/टन

खनन एवं सान्दर्भ में लागत = 1,63,173 - धातुकर्म में लागत प्रति टन

खनन एवं सान्दर्भ में लागत = 1,63,173 - 47,538

= 1,15,635 रुपये प्रति टन धातु(iii)

उपरोक्त गणना अनुसार विना लाभ विना हानि की स्थिति में एक धातु की खनन एवं सान्दर्भ में लागत 1,15,635 रुपये प्रति टन आती है।

न्यूनाम घ्रेड

हालांकि एक टन धातु की खनन एवं सान्दर्भ लागत उस अयस्क की घ्रेड (धातु की मात्रा) पर निर्भर करती है। यदि अयस्क में धातु की घ्रेड अधिक है तो प्रति टन धातु की खनन एवं सान्दर्भ लागत कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि अयस्क में धातु की मात्रा कम होगी तो खनन एवं सान्दर्भ लागत प्रति टन धातु बढ़ जाएगी। अतः खनन एवं सान्दर्भ लागत प्रति टन धातु को प्रति टन अयस्क उत्पादन में निम्न प्रकार से रूपान्तरित करके लिखा जा सकता है, जिसमें मान लिया गया है कि धातु की घ्रेड $x\%$ है तथा खनन एवं सान्दर्भ में धातु का प्राप्ति प्रतिशत 90 है जो कि अनुभव के आधार पर लिया गया है तब -

खनन एवं सान्द्रण लागत प्रति टन धातु उत्पादन = खनन एवं सान्द्रण लागत प्रति टन
अयस्क उत्पादन $\div (x \% \text{ घेड } X 90 \% \text{ (धातु प्राप्ति प्रतिशत)})$

युक्ति $x \% = x \div 100, 90 \% = 90 \div 100$ इसलिए उपरोक्त सूत्र को निम्न प्रकार से
लिख सकते हैं।

खनन एवं सान्द्रण लागत प्रतिटन धातु उत्पादन = खनन एवं सान्द्रण लागत प्रतिटन
अयस्क उत्पादन $\div (x \div 100) X (90 \div 100)$

उपरोक्त सूत्र में x का मान निकाला जा सकता है।

$$x = \frac{\text{लागत (प्रति टन अयस्क उत्पादन)} 100 X 100}{\text{लागत (प्रति टन धातु उत्पादन)} X 90} \quad (iv)$$

समीकरण (iv) में समीकरण (iii) का मान रखने पर

$$x = \frac{\text{लागत (प्रति टन अयस्क उत्पादन)} X 100 X 100}{1,15,635 X 90} \quad (v)$$

सारणी - 3 में हिन्दुस्तान लिंक लिमिटेड की सभी खदानों का प्रति टन अयस्क उत्पादन लागत दी गई है, जिसमें रामपुर - आगुचा की उत्पादन लागत सबसे अधिक है जो कि 4,667 रुपये हैं एवं सबसे कम लागत सिन्देसर खुर्द खदान कि है जो 2,726 रुपये है। युक्ति रामपुर-आगुचा खदान खुली खदान से भूमिगत खदान में बदल रही है अतः उसकी लागत अधिक है। उपरोक्त समीकरण (v) में यदि रामपुर - आगुचा का मानला लेकर गणना करें तो घेड का मान 4.5 प्रतिशत आता है, वही सिन्देसर खुर्द की लागत लेकर गणना करते हैं तो घेड 2.6 प्रतिशत आता है।

उपरोक्त गणना में सर्वाधिक उत्पादन लागत एवं निम्न उत्पादन लागत ली गई है। यदि हम दोनों की औसत लागत 3696.5 रुपये लेकर गणना करें तो यह न्यूनतम घेड 3.55 प्रतिशत आती है।

घेड का मान बिना लाभ एवं बिना हानि की स्थिति का है। यदि इससे अधिक घेड हो गी तो खदान द्वारा उत्पादन लाभ की स्थिति में होगा। और यह तब है जब खान से जस्ते का ही उत्पादन हो रहा हो। अगर इसके साथ दूसरी धातु का उत्पादन हो रहा हो तब यह लाभदायक ही होगा।

सारांश :

हालांकि पूर्ण अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि 2.6 प्रतिशत धातु ग्रेड पर भी खदान से अयस्क दोहन लाभकारी है, लेकिन 3.55 प्रतिशत ग्रेड से अधिक ग्रेड होने पर जस्ता अयस्क भण्डार का दोहन निश्चित ही लाभदायक होगा। उपरोक्त गणना केवल जस्ता धातु द्वारा प्राप्त आय और अयस्क में धातु प्राप्ति प्रतिशत के आधार पर की गई है। यदि जस्ता धातु लिकी दर बढ़ती है तो न्यूनतम ग्रेड और कम होने पर भी जस्ता अयस्क भण्डार का दोहन लाभदायक होगा।

प्रायः जस्ता अपरक के साथ सीसा अयस्क एवं चौंदी अयस्क भी पाए जाते हैं। यदि भण्डार की न्यूनतम धातु ग्रेड लगभग 3.6 प्रतिशत है और वह एकाधिक धातु अयस्क भण्डार है तो भी उस भण्डार के दोहन से लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर इसके साथ-साथ दूसरे धातु का उत्पादन हो रहा हो तो तब यह न्यूनतम ग्रेड और कम हो जायेगी।

भारत में कई खनिज भण्डार एकाधिक धातु वाले हैं जिनमें जस्ता, सीसा, चौंदी समिलित हैं। ऐसे ग्रंथि आवॉटेट खनिज भण्डारों को लाभदायक खदानों में रूपान्तरित कर देश में धातु का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है जिससे देश के सकल घरेलू उत्पादन (GDP) को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

स्रोत :-

- 1) नॉनिया खान, वार्षिक विवरणी (Annual Return) 2014-15
- 2) बलारिया खान, वार्षिक विवरणी (Annual Return) 2014-15
- 3) बरोड़ खान, वार्षिक विवरणी (Annual Return) 2014-15
- 4) जावर गाला खान, वार्षिक विवरणी (Annual Return) 2014-15
- 5) राजपुरा - बरीका खान, वार्षिक विवरणी (Annual Return) 2014-15
- 6) रामपुर - आगुआ खान, वार्षिक विवरणी (Annual Return) 2014-15
- 7) सिन्देशर खुर्द खान, वार्षिक विवरणी (Annual Return) 2014-15
- 8) कायड़ खान, वार्षिक विवरणी (Annual Return) 2014-15
- 9) हिन्दुस्तान लिंक लिमिटेड वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Return) 2014-15
- 10) भारतीय खनिज वार्षिक पुस्तक (IMYB) 2014

धोषणा

उपरोक्त लेख में वर्णित विवार तथा गणना का स्वरूप पूर्णता लेखकों के है। इसका भारतीय खान व्यूटो से कोई संरोक्तार नहीं है।

दुखियारों को हमदर्दी के आंसू भी कम प्यारे नहीं होते। -प्रेमचंद

भारत का छोमाइट बंडार एवं उसका आकलन

बी डी उल्लु येक, अधिकृत अधिकारी, प्रशासी अधिकृती
डी ईलेट दुमार चर्मी, उप-अधिकृत अधिकारी

कोमाइट - यह कोमियम धातु का एकमात्र उत्पादक है। यह भूरे-काले रंग का लीह-दर्गीय धातिक खनिज है। छोमाइट का उपयोग अंततः इस्पात के उत्पादन एवं चार्ज कोम के द्वारा होता है। इस्पात का उपयोग प्रत्यक्ष रूप में देश के आधिक विकास को दर्शाता है। भारत में छोमाइट के संसाधन 322 मिलियन टन हैं जिसमें 107 मिलियन टन रिजर्व एवं 215 मिलियन टन शेष संसाधनों के हैं, जो कि अधिकांश उड़ीसा के सुकिन्दा क्षेत्र में पाया जाता है। इसके ऐवज में छोमाइट का उत्पादन करीब 2.5 मिलियन टन से ज्यादा है। भारत छोमाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। वह अपनी आंतरिक जरूरत को पूर्ण करने के बाद इसका निर्यात भी करता है। भारत में करीब 94 प्रतिशत छोमाइट का उपयोग फेराकोम लथ चार्ज क्लोप में होता है तथा बाकी छोमाइट रिफ्रेक्टरी केमिकल, फाउंडरी इत्यादि में किया जाता है।

इस लेख में भारत में छोमाइट के भण्डार के बारे में जानकारी दी गई है। यह भी निश्चित है कि निकट भविष्य में भारत में छोमाइट की खपत में बढ़ोत्तरी होगी। साथ ही साथ छोमाइट का उत्पादन एवं निर्यात भी बढ़ेगा। इस बजह से आज की परिस्थिति को ध्यान में रखकर आने वाले वर्षों में छोमाइट की पूर्ति कर आकलन किया है।

परिचय/प्रस्तावना

भारत में अंग्रेजों के आने से पहले खानों और खनिजों पर राजाओं का एकाधिकार था। इस देश में पहली बार खनन पट्टों का आवंटन अंग्रेजों ने 13 दिसंबर 1894 को घोषणा (Resolution) करने के बश्वात प्रारंभ किया। इस घोषणा के बाद खनन पट्टों का आवंटन आम लोगों में होने लगा। अंग्रेजों से भारत के स्वतंत्रता मिलने के बाद खनिज संसाधनों के नीतिगत विकास एवं संरक्षण के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा मार्च, 1948 में भारतीय खान ब्यूरो की स्थापना की गई। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 स्वतंत्र भारत का खान और खनिज क्षेत्र के लिये पहला कानून बना। समय के साथ कुछ बदलाव के बाद खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 ने खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 का स्थान ले लिया जो आज भी प्रासंगिक एवं लागू है। इसने सन 2015 में संशोधन कर खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 (एम एम आर डी संशोधन) अधिनियम, 2015 लागू किया। इस कानून के लागू होने के पश्चात खनन पट्टों का आवंटन अब राज्य सरकारों द्वारा नीलामी से किया जायेगा।

नीलामी की प्रक्रिया (एम एम आर वी संसाधन) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बनाये गये खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में दिये गये नियमों के लाहत किया जाने चाला है। इस नियम में नीलामी के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना है कि कम से कम उस थोड़े में इंगित खनिज संसाधन (332) थ्रेणी तक का पता लग चुका है। यह थ्रेणी साधारण गवेषण (जी2) तक का अध्ययन ही चुका है, ऐसा दर्शाता है। यह परिभाषाएं और कोड मुख्यतः तंतुकृत राष्ट्रीय वर्गीकरण (यू एन एफ सी) कर्जन - 1997 और खनिज भंडारण अंतरराष्ट्रीय मूच्छ मानक (सी आर आई आर एस सी ओ) टेम्पलेट समिति से लिया गया है। यह खनिज (खनिज पदार्थों का साक्ष्य नियम), 2015 में परिभाषित किया गया है।

यू एन एफ सी पद्धति

भारत में यू एन एफ सी पद्धति के लागू होने से भी पहले खनिज संसाधनों का आकलन करके उसे सूचीबद्ध तरीके से तैयार किया जाता रहा है। उसका वायिल राष्ट्रीय खनिज इन्वेंटरी, भारतीय खान घूरों को दिया गया है। देश में उपलब्ध खनिज संसाधनों के आकलन और नवीनीकरण का कार्य प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात किया जाता है। देश में पहली बार 1-4-2000 की इन्वेंटरी 70 खनिज संपदा की थी, उसका रूपांतर यू एन एफ सी पद्धति द्वारा 2003 में किया गया। उसके उपरान्त यह सारे देश में लागू कर दिया गया।

यू एन एफ सी पद्धति में खनिज संपदा को तीन आयामों द्वारा वर्गीकृत कर अक्षों द्वारा जिसे कोड कहते हैं, दर्शाया गया है। यह एक बहुआयामी खनिज वर्गीकरण पद्धति है। इसमें प्रथम बार विश्व स्तर पर तीन अक्षों के कोड द्वारा खनिज निवय व संसाधनों के नाम व परिभाषा में एक रूपता लाने का प्रयास किया गया है। वे तीन आयाम हैं - आर्थिक (Economic), साध्यता (Feasibility) और भूवैज्ञानिक (Geological); ये तीन धूरियां हैं जिससे उस भूखंड का जिसमें खनिज पाये गये हैं, का वास्तविक स्तर और आर्थिक दृष्टि से महत्व का फता चलता है।

उदारीकरण व वैश्वीकरण के वर्तमान युग में यह वर्गीकरण भारतीय खनिज व खनन-शेत्र के विकास, उत्थान और भूवैज्ञानिक दृष्टि से गवेषण योजनाओं ने नियेष के लिये उचित निर्णय लेने में सहायक होगा। यू एन एफ सी पद्धति से खनिज संसाधनों में वर्गीकरण की पारदर्शिता को देखते हुए खनिजों के दोहन और खनिज आधारित उद्योगों के लिये वित्तीय संतुल्यानों द्वारा क्षण भी दिया जा सकता है। तीन आयामों का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया जा रहा है।

भूवैज्ञानिक (Geological) अध्ययन

किसी खनिज निषेप के लिये गवेषण के चार चरण यथा टोही सर्वेक्षण (जी4), प्रारंभिक गवेषण (जी3), सामान्य गवेषण (जी2), और विस्तृत गवेषण (जी1), होते हैं। गवेषण के चौर भूवैज्ञानिक अध्ययासन के स्तर यो प्रवर्द्धित करते हुए क्रमशः चार संसाधन थ्रेणीयों तथा पूर्वेक्षण खनिज संसाधन, अनुगमनित खनिज संसाधन, इंगित खनिज संसाधन और मापित खनिज संसाधन का दृष्टिगत करते हैं।

टोही सर्वेशण (Reconnaissance Survey) (जी4) प्रारंभिक भूवैज्ञानिक अध्ययनों, क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक मानदिक्षण, हवाई तथा परोक्ष विद्युतों, प्रारंभिक शेत्र निरीक्षण व भूवैज्ञानिक छलाखल और अहिवेजन के परिणामों पर प्रारंभिक रूप से आधारित संबंधित खनिज मात्रा वाले क्षेत्रों की संपुष्टि करता है। इसका उद्देश्य निषेप की संपुष्टि के लिये आगामी अन्वेषण के बोग्य घनिजकृत क्षेत्रों को पहचानना है। मात्राओं का प्राक्कलन केवल तभी किया जाना चाहिये यदि पर्याप्त ढारा उपलब्ध हो और जब वैसे ही भूवैज्ञानिक लक्षण के ज्ञात निषेपों का समय अनुमान संभव हो और तब केवल विस्तार की स्थिति के अंदर हो।

प्रारंभिक गवेषण (Preliminary Exploration) (जी3) संवर्धित खनिज मात्रा के प्रोत्साहित करने वाले संकीर्ण क्षेत्रों में खनिज निषेप के लिये खोज करने की सुव्यवसित प्रक्रिया है। प्रयुक्त पद्धतियां दृश्यांश पहचान, भूवैज्ञानिक मानदिक्षण और परोक्ष विद्युत जैसे भूभौतिकीय और भूरासायनिक अध्ययन हैं। निषेप के पहचानने के लिये नमूना लेने डेतु सीमित चौड़ाई वाले स्थान पर लिटिंग/ट्रैचिंग/ड्रिलिंग कार्य किया गया जो आगामी गवेषण के लिये लक्ष्य होगा। मात्राओं का प्राक्कलन भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय, भूरासायनिक और लक्नीकी अन्वेषण परिणामों के निर्वचन के आधार पर अनुमानित किया गया है।

साधारण गवेषण (General Exploration) (जी2) में एक अभिज्ञात निषेप का शुरुआती सीमांकन शामिल है। प्रयुक्त विधाओं में खनिज की मात्रा और उसकी गुणवत्ता के मूल्यांकन (प्रयोगशाला स्तर पर खनिज विज्ञान संबंधी परीक्षण सहित, यदि आवश्यक हो) के लिये नमूना लेने के लिये व्यापक मानदिक्षण, लिटिंग/ट्रैचिंग/ड्रिलिंग और अन्वेषण की परोक्ष विद्युतों पर आधारित सीमित अंतर्वेजन सम्भवित है। इसका उद्देश्य निषेप मुख्य भूवैज्ञानिक संरचनाओं की खोज करना, देश को साठी दिशा प्रदान करना और आकार, बनावट, संरचना तथा ब्रेड का शुरुआती प्राक्कलन उपलब्ध कराना है।

विस्तृत गवेषण (Detailed Exploration) (जी1) में नमूने लेने के माध्यम से जैसे दृश्यांश, गड्ढों, छाई, वेधन विद्युतों, शाफ्टों और गुरुंगों आदि से प्राप्त ज्ञात निषेप के विस्तृत तीन विमीय सीमांकन शामिल हैं। नमूने लेने वाले ग्रिड स्थलों जैसे आकार, बनावट, संरचना, ब्रेड और निषेप के अन्य संबंधित लक्षणों के बहुत ही करीब हैं जिनसे उनकी शुल्कता भी सही जानकारी ज्ञात हुई है। अधिकारिक नमूने लेने के साथ-साथ प्रक्रम जांच करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

साध्यता (Feasibility) अध्ययन

भूवैज्ञानिक अध्ययन (A Geological Study) (एफ3) आर्थिक महल का एक आरंभिक मूल्यांकन है। यह ब्रेड, मोटाई, गहराई और तुलनात्मक खनन कार्यों से प्राक्कलित तागत के लिये महत्वपूर्ण कट अल्फ मूल्यों द्वारा प्राप्त होता है। भूवैज्ञानिक अध्ययन का प्रयोजन खनिजीकरण को पहचानना, खनिज निषेप की निरंतर उपस्थिति, मात्रा और गुण को ज्ञात करना तथा इसमें निवेश के अवसर को परिभाषित करना है।

तथापि, आर्थिक महत्व की श्रेणियों को एक आर्थिक महत्व के मूल्यांकन के लिये आवश्यक विवरण के अभाव के कारण भूवैज्ञानिक अध्ययन से सामान्यताया परिभाषित नहीं किया जा सकता है। प्राक्कृतिक संसाधन मात्राओं से यह ज्ञात हो सकता है कि निखेप मूलभूत आर्थिक महत्व अर्थात् आर्थिक से सम्बन्धित रूप से आर्थिक महत्व का है।

व्यवहार्यतापूर्व अध्ययन (A Pre-Feasibility Study) (एफ2) खनिज परियोजना के आर्थिक महत्व के लिये विकल्पों की शृंखला का एक अध्ययन है जो एक ऐसे चरण तक विकारीत हो नया है जहाँ भूमिगत खनन या गड्ढा संरचना की स्थिति में, खुले गड्ढे की स्थिति में अधिमान्य खनन विधि ज्ञात की गई है और खनिज प्रक्रिया की एक प्रभावी विधि निर्धारित की गई है। इसमें परिवर्धन घटकों की उचित अवधारणाओं पर आधारित वित्तीय विश्लेषण तथा किसी अन्य संबंधित घटकों का मूल्यांकन शामिल है जो निर्धारित करने के लिये पर्याप्त है, यदि खनिज संसाधन के सभी या भाग को सूचना के समय खनिज बंडारण के लिए परिवर्तित किया जाए। एक व्यवहार्यतापूर्व अध्ययन का विश्वास स्तर व्यवहार्यता अध्ययन की तुलना में कम है।

व्यवहार्यता अध्ययन (A Feasibility Study) (एफ1) एक खनिज परियोजना के लिए चयननित विश्वास विकल्प का एक विस्तृत आर्थिक अध्ययन है जिसमें किसी अन्य संबंधित प्रचालनीय कारकों सहित लागू परिवर्धन छारकों का उचित विस्तृत ज्ञाकलन और विस्तृत वित्तीय विश्लेषण शामिल है जो सूचना के समय प्रदर्शित करना अनिवार्य है कि निष्कर्षण उचित रूप से न्यायोचित (आर्थिक रूप से खनन योग्य) है। अध्ययन का विश्वास स्तर व्यवहार्यतापूर्व अध्ययन के विश्वास स्तर की तुलना में अधिक होगा।

आर्थिक (Economic) अध्ययन

मूलभूत रूप से आर्थिक (Intrinsically Economic) (ई3) भूवैज्ञानिक अध्ययन के साधनों द्वारा आकलित और श्रेणी गुणसंहित टन/ बोल्यूम में सूचित मात्रा मूलभूत रूप से आर्थिक महत्व की है। चूंकि भूवैज्ञानिक अध्ययन में केवल आर्थिक महत्व का आर्थिक मूल्यांकन शामिल है इसलिए आर्थिक और सम्भावित रूप से आर्थिक के मध्य कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। अतः इन संसाधन को आर्थिक से सम्भावित रूप से आर्थिक की श्रेणी में स्थित होना बताया गया है।

संभावित रूप से आर्थिक (Potentially Economic) (ई2) बढ़ती परिशुद्धता के क्रम में व्यवहार्यतापूर्व अध्ययन/व्यवहार्यता अध्ययन के साधनों द्वारा प्रदर्शित शेड/गुण संहित टन/प्रवाह में सूचित मात्रा जो ग्रीष्मोगिकीय, आर्थिक और पर्यावरणीय और अन्य संबंधित स्थितियों के तहत न्यायोचित निष्कर्षण नहीं है वास्तविक रूप से निर्धारण के समय मान ली गई है परंतु भविष्य में ऐसा शाकद ही संभव हो।

आर्थिक (Economic) (ई।) बढ़ती परिशुद्धता के कम में व्यवहार्यतापूर्व अवधान/व्यवहार्यता अवधान के साथनों द्वारा प्रदर्शित ग्रेड/गुण सहित दृष्टि/प्रवाह में सूचित मात्रा जो प्रौद्योगिकीय, आर्थिक और एर्टायरणीय और अन्य संबंधित स्थितियों के तहत न्यायोचित निष्कर्षण है, जो अवधारण के समय वास्तविक रूप से मान लिया गया है।

यू.एन.ए.सी.कोड उपांतरित कारक घटक उपांतरित कारक घटक (Modifying Factors) वे घटक हैं जो खनिज संसाधनों से खनिज भण्डारणों में परिवर्तित करने के लिये व्यवहार्यतापूर्व या व्यवहार्यता अवधान करते समय विचार विमर्श में प्रयुक्त किए जाते हैं। इनमें खनन प्रक्रिया, अंतिम उपयोग, कट आफ ग्रेड, ग्रेड होल्ड मूल्य, चालिक, अवसंरचना, आर्थिक, विषण्णन, विधिक, वर्यावरणीय, सामाजिक और शासकीय घटक शामिल हैं जो प्रतिवर्धित नहीं हैं।

यू.एन.ए.सी.कोड

खनिज संसाधन (Mineral Resource) ऐसे रूप, ग्रेड या गुण व मात्रा में भूपर्णी (earth's crust) पर या में आर्थिक महत्व की ढोस सामग्री का सांदर्भ अवधान उपरिक्षित है जो अवस्थामात्र आर्थिक निष्कर्ष के लिये उचित संभावनाएं हैं। नमूने सहित विशिष्ट भूवैज्ञानिक प्रमाण और जानकारी से खनिज संसाधन की अवस्थिति, मात्रा, ग्रेड या गुण, निरंतर उपरिक्षित और अन्य भूवैज्ञानिक लक्षणों की जाति किया गया है, उनका प्राक्कलन अथवा निर्वचन किया गया है। खनिज संसाधनों की बढ़ते भूवैज्ञानिक विश्वास के कम में पूर्वोक्त, अनुमानित, इग्निट और मापित संसाधन श्रेणियों में उपरिक्षित किया गया है।

पूर्वोक्त खनिज संसाधन (Reconnaissance Mineral Resource) (334) परोक्ष प्रमाण पर प्रारंभिक रूप से आधारित प्राक्कलन है और टोही संकेतण के द्वारा सुनित डाया और सूखना संग्रह है। उपलब्ध आंकड़ों की मात्रा खनिज संसाधन के किसी उचित प्राक्कलन करने के लिये सामान्यतः पर्याप्त नहीं है।

अनुमानित खनिज संसाधन (Inferred Mineral Resource) (333) खनिज संसाधन का वह भाग है जिसके लिये सीमित भूवैज्ञानिक प्रमाण और प्रारंभिक गवेषण के वरण के माध्यम से प्राप्त नमूनों के आधार पर मात्रा और ग्रेड अथवा गुण का प्राक्कलन किया जाता है। इग्निट खनिज संसाधन के प्रयोग की तुलना में अनुमानित संसाधन का विश्वास स्तर कम है और इसे खनिज भंडारण के लिये परिवर्तित नहीं किया जायेगा। अनुमानित खनिज संसाधन के बहुमत को गवेषण जारी रखकर इग्निट खनिज संसाधनों से बढ़ाया जा सकेगा।

इग्निट खनिज संसाधन (Indicated Mineral Resource) (332) खनिज संसाधन का वह भाग है जिसके लिये मात्रा, ग्रेड या गुण, घनत्व, आकार और भौतिक लक्षणों को निषेप के लिये आर्थिक महत्व के मूल्यांकन और खान योजना की मदद के लिये पर्याप्त विवरण में संशोधित घटकों के अनुप्रयोग के लिये काफी विश्वास के साथ प्राक्कलन किया जाता है। भूवैज्ञानिक प्रमाण समुचित विवरण और विश्वसनीय गवेषण, नमूनों और परीक्षण से प्राप्त हुआ है और यह आवलोकन के शिंदुओं के मध्य भूवैज्ञानिक और ग्रेड या गुण की निरंतरता को जानने के लिये पर्याप्त है। मापित खनिज संसाधन के प्रयोग की तुलना में

इंगित खनिज संसाधन का विश्वास स्तर कम है और इसे संभावित खनिज भण्डारण के लिये परिवर्तित किया जा सकता है।

मापित खनिज संसाधन (Measured Mineral Resource) (331) खनिज संसाधन का यह भाग है जिसके लिये मात्रा, ग्रेड या गुण, घनत्व, आकार और भौतिक लक्षणों को निश्चय के लिये आर्थिक महत्व के अंतिम मूल्यांकन और विस्तृत खान योजना की मदद के लिये संशोधित घटकों के अनुप्रयोग के लिये काफी विश्वास के साथ प्रावक्तव्य किया जाता है। भूवैज्ञानिक प्रमाण विस्तृत विवरण और विश्वसनीय गवेषण, नमूनों और परीक्षण से प्राप्त हुआ है। यह अवलोकन के बिंदुओं के मध्य भूवैज्ञानिक और ग्रेड या गुण की निरंतरता को जानने के लिये पर्याप्त है। इंगित खनिज संसाधन या अनुमानित खनिज संसाधन किसी एक के प्रयोग की तुलना में मापित खनिज संसाधन का विश्वास स्तर अधिक है। इसे सिद्ध खनिज/भण्डारण या संभावित खनिज भण्डारण के लिये परिवर्तित किया जा सकता है।

खनिज भण्डारण (Mineral Reserve) (Measurable Mineral Reserve) आर्थिक रूप से एक मापित और/या इंगित खनिज संसाधन का खननयुक्त भाग है। इसमें दस्ति के लिये डायल्यूटिंग मटेरियल और एलार्टसेस शामिल हैं जो सामग्री को खनित/निकलते समय घटाते हैं और व्यवहार्यतापूर्व या व्यवहार्यत के स्तर पर पथा उचित अव्ययनों द्वारा परिभाषित किया गया है जिसमें संशोधित घटकों का अनुप्रयोग सम्मिलित है।

संभाव्य खनिज भण्डारण (Probable Mineral Reserve) (121 व 122) आर्थिक दृष्टि से इंगित और कुछ परिस्थितियों में मापित खनिज संसाधन का खननयुक्त भाग है। संभावित खनिज भण्डारण के प्रयोग में संशोधित घटकों में विश्वास स्तर सिद्ध खनिज भण्डारण के प्रयोग की तुलना में कम है।

सिद्ध खनिज भण्डारण (Proved Mineral Reserve) (111) आर्थिक रूप से मापित खनिज संसाधन का खननयुक्त भाग है। सिद्ध खनिज भण्डारण संशोधित घटकों में विश्वास के उच्च स्तर को दर्शाता है।

व्यवहार्यता खनिज संसाधन (Feasibility Mineral Resource) (211) एक 'व्यवहार्यता खनिज संसाधन' मापित खनिज संसाधन का यह भाग है जो आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्यता स्तर पर अव्ययनों द्वारा यथा परिभाषित खननयुक्त नहीं है। यह सामग्री प्रौद्योगिकीय, आर्थिक और पर्यावरणीय और/या अन्य संबंधित स्थितियों में परिवर्तनों की शर्त सहित संभवतः आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के रूप में पठानी गई है।

व्यवहार्यतापूर्व खनिज संसाधन (Pre-Feasibility Mineral Resource) (221 व 222) एक 'व्यवहार्यतापूर्व खनिज संसाधन' एक इंगित और कुछ परिस्थितियों में मापित खनिज संसाधन का यह भाग है जो व्यवहार्यता पूर्व स्तर पर अव्ययनों से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं पाया गया है। यह सामग्री प्रौद्योगिकीय, आर्थिक और पर्यावरणीय और/या अन्य संबंधित स्थितियों में परिवर्तनों की शर्त सहित संभवतः आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के रूप में पहचानी गई है।

कोमाइट भण्डार का आकलन

नैशनल मिनरल इन्वेन्टरी के अनुसार भारत में कोमाइट का भण्डार व्यापक मात्रा में बौजूद 8 राज्यों में पाया जाता है। कोमाइट मुख्यतः आंध्र प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा एवं तामिलनाडु में पाया जाता है। इन सभी राज्यों में से उड़ीसा में उच्च गुणवत्ता एवं अधिक मात्रा में कोमाइट पाया जाता है। ओडिशा में कोमाइट का उत्पादन अब सभी राज्यों से अधिक है। भारत में पाये जाने वाले भण्डार का यह 96 प्रतिशत कोमाइट इस राज्य में पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कोमाइट का भण्डार उड़ीसा के सुकिन्दा बेंग में पाया जाता है। यह राष्ट्र के कुल भण्डार का 88 प्रतिशत है।

भारत ने 1.4.2013 के नैशनल मिनरल इन्वेन्टरी के अनुसार कोमाइट का कुल संसाधन 322 मिलियन टन है जिसमें से 107 मिलियन टन संरक्षित (रिजर्व) एवं 215 मिलियन टन शेष संसाधनों के हैं। इस 107 मिलियन टन रिजर्व में से 106 मिलियन टन से ज्यादा सिर्फ उड़ीसा राज्य में पाये जाते हैं। कुल संसाधनों का राज्यवार ग्रेडवाईज विवरण अनुलग्नक 1 तथा डिस्ट्रिक्ट-वाईज रिजर्व/रिसोर्सेस आणि कोमाइट अनुलग्नक 2 में दर्शाया गया है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार दिया गया है।

अनुलग्नक-1 तथा 2 के अनुसार भारत में पाए जाने वाले 322 मिलियन टन का भण्डार जो विभिन्न ग्रेडों में पाया जाता है, उसका वर्गीकरण इस प्रकार है -

(चूनिट : मिलियन टन में)

ग्रेड	रिजर्व	प्रतिशत	शेष संसाधन	प्रतिशत	शेष	प्रतिशत
चार्ज कोम एवं केरो कोम	44	14	112	34	156	48
रिफिन्टरी	8	2.5	4	1.5	12	4
बेनोफिलियेल	27	8	42	13	69	21
अ-वर्गीकृत	28	9	57	18	85	27
शेष	107	33	215	67	302	100

किनार राउंडेड आंक

दर्शाये गए भण्डार में 156 मिलियन टन चार्ज कोम एवं केरो कोम ग्रेड है जिसमें से 44 मिलियन टन रिजर्व एवं 112 मिलियन टन शेष संसाधन है जो पूरे भण्डार का 48 प्रतिशत है। तथा 85 मिलियन टन अ-वर्गीकृत ग्रेड है जिसमें से 28 मिलियन टन रिजर्व एवं 57 मिलियन टन शेष संसाधन है जो पूरे भण्डार का 27 प्रतिशत है।

अनुलग्नक-2 के अनुसार भारत में पाए जाने वाले कोमाइट में ओडिशा राज्य सबसे अच्छा है। इसमें 106 मिलियन टन से ज्यादा रिजर्व एवं 202 मिलियन टन रिसोर्स रिसोर्स से पाया जाता है। यह चार जिलों में छःयश: बालासौर, डेक्कानरा, जागपूर एवं केंद्रीयार में पाया जाता है।

भारत में पाए जाने वाले कोमाइट के कुल संसाधनों का राज्यवार ग्रेडवाईज विवरण अनुलग्नक 3 में दर्शाया गया है। उपलब्ध ऑक्टों के आधार पर इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार दिया गया है -

क्रम संख्या	कोमाइट भण्डार के प्रकार	भारत		ओडिशा	
		भण्डार ('000 टन)	प्रतिशत	भण्डार ('000 टन)	प्रतिशत
1.	रिजर्व (111, 121 तथा 122)	107221	33	106396	33
2.	शेष संसाधन (211 से 332 लक्ख)	139231	44	137750	43
3.	शेष संसाधन (333 से 334)	75298	23	64233	20
4.	योग शेष संसाधन (2+3)	214530	67	201985	63
5.	योग	321751	100	308381	96

किनार राउंडेड औफ

इससे प्रमाणित होता है कि कोमाइट के प्रमाणित भण्डार मात्र 33 प्रतिशत हैं। अतः विस्तृत गवेषण की आवश्यकता है जिससे शेष संराधन को रिजर्व भण्डार में बदला जा सके। शेष संसाधनों का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि 44 प्रतिशत संसाधनों को रिजर्व भण्डार में बदला जा सकता है।

अनुलग्नक-3 के अनुसार भारत में 107 मिलियन टन रिजर्व के अलावा 139 मिलियन टन रिसोर्स भी मौजूद है जिसका गवेषण विस्तृत या उसके आसपास तक कर लिया गया है। इस क्रमांक से यह रिसोर्स अगले कुछ सालों में उत्पादन हेतु उपलब्ध हो जायेगे। इसके अलावा देश में 53 मिलियन टन इनफॉर्मेशन एवं 22 मिलियन टन रिकन्वेंस रिसोर्स भी हैं पर यह अभी खननयोग्य साक्षित होने वाली है। इनका गवेषण विस्तृत या उसके आसपास होना चाही है। इस क्रमांक से यह आज की परिस्थिति में खनन के लिये उपलब्ध होना मुश्किल है। इस भण्डार का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। जब इस देश के उपभोक्ताओं तथा खननकर्ताओं को यह भण्डार गवेषण के साथ आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद साक्षित हो।

कोमाइट की भविष्य में उपलब्धता

कोमाइट का भण्डार – इस लेख में दर्शाया जा चुका है कि भविष्य में (आज के रिजर्व 107 मिलियन टन एवं रिसोर्सेस 139 मिलियन टन) 246 मिलियन टन उपलब्ध रहेंगे। भारत में याए जाने वाले हन भण्डारों को सूचिबद्ध नैशनल मिनरल इन्वेटरी द्वारा 1.4.2013 में तैयार किया है। इस बजह से यह माना जा सकता है कि देश में कोमाइट में होने वाले गवेषण एवं रिजर्व एस्टीमेशन को बर्णीकृत करके 1.4.2013 तक का डाटा सम्प्रसित कर लिया है।

भविष्य में कोमाइट की उपलब्धता को वर्षों में निकालने के लिये जिसे खनिज की 'जीवन अवधि' कह सकते हैं, उसके भण्डार एवं उत्पादन का डाटा होना जरूरी है। साल 2015 में कालावधि निकालने के लिये 1.4.2013 के उपलब्ध भण्डार से उत्पादन जो दो साल में हुआ है, को घटाकर उसमें उत्पादन जो दो साल का औसत होगा, को आगे देकर भण्डार की उपलब्धता को वर्षों में प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन खनिजों का भूवैज्ञानिक अध्ययन एवं रिजर्व एस्टीमेशन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। पर इसमें दो साल में हुए रिजर्व एस्टीमेशन को जोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि वह उपलब्ध नहीं है। इस कारण इस तरीके से आकलन नहीं किया गया है।

यह सर्वव्यापी है कि किसी भी खनिज का भण्डार चलित है। वह हर वर्ष बदलता रहता है। पर इसके विपरीत उत्पादन का आकलन देश में होने वाली स्थपत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। इस बजह से यह मान सकते हैं कि जितना दो साल में कोमाइट का उत्पादन हुआ, उतनी ही भण्डार में बढ़त हुई।

इसे आधार मान कर यह कहा जा सकता है कि देश में कोमाइट का भण्डार 246 मिलियन टन उपलब्ध है तथा कोमाइट का उत्पादन दो साल का औसत निकाला जाये जो 2.52 मिलियन टन आया, ऐसा माना जा सकता है। उसके बाद उपलब्ध भण्डार को उत्पादन (औसत) से भाग देंगे तो 98 वर्ष आयेगा। अतः तब तक देश में कोमाइट उपलब्ध रहेगा।

निष्ठा:

उपरोक्त चर्चा से यह जात होता है कि देश में ओमाइट का उपलब्ध भण्डार 246 फिलियन टन है। एवं वाकी के 75 फिलियन टन का विस्तृत गवेषण करके सत्यापित रिजर्व में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ यह ही जात हुआ है कि आज के भण्डार एवं उत्पादन के हिसाब से 98 वर्षों तक ओमाइट देश की जरूरतों को पूरा कर सकेगा।

टिप्पणी:

व्यक्त विचार लेखक के स्वयं के हैं। यह आवश्यक नहीं कि ऐसे ही संगठन के भी हों जिसमें लेखक कार्य कर रहे हों। आलेख ने प्रस्तुत तकनीकी शब्दों के हिंदी रूपांतर में शोषित होने पर मूल अंग्रेजी शब्दों को ध्यान में रखते हुए व्याख्या करे।



अपनी आंखों को सितारों पर टिकाने से पहले अपने पैर
जमीन में गड़ा लो।— डियोडॉर रूज़बेल्ट

राष्ट्रीय खनिज सूची का महत्व एवं विश्लेषण

चन्द्रशेखर तिवारी
सुनील कुमार शर्मा

- खनिज अर्थशास्त्री, खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर
- समायक खनिज अर्थशास्त्री, खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

सारांशः—

यह लेख राष्ट्रीय खनिज सूची के महत्व को दर्शाता है तथा साथ ही इसमें पौँच वर्षों में खनिज सूची के अद्यतनीकरण के आँकड़ों का विश्लेषण भी किया गया है। बदलते परिदृश्य में खनिज भण्डारों का आवंटन नीलामी प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा एवं 50 वर्षों की खनन पद्धता अवधि समाप्त होने पर खनिज भण्डार को पुनः नीलामी की जाएगी। इससे राष्ट्रीय खनिज सूची का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है।

प्रस्तावना :-

किरी भी देश में खनिज संसाधनों की उपलब्धता, आर्थिक विकास का आधार मानी जाती है, क्योंकि ये कई सून उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में और विकास के लिए मुख्य संसाधनों के रूप में प्रयोग लिए जाते हैं। परन्तु खनिज वे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन हैं, जो कि सीमित और अनवाईनीकरणीय (nonrenewable) होते हैं। अतः खनिजों का उपयोग संरक्षण विधि द्वारा करने के साथ-साथ गवेषण द्वारा खनिज भण्डारों की निरनार खोज करके खनिज संसाधनों में बढ़ोत्तरी करना और उन्हें सूचीबद्ध करना भी उतना ही आवश्यक है। भारत में खनिजों के दौहन का इतिहास हड्ड्या सम्भवता के पूर्व का है वर्तमान में, भारत में 86 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है जिसमें इंधन, धात्विक, अधात्विक, परमाणु और गोण खनिज सम्मिलित हैं।

राष्ट्रीय खनिज सूची (National Mineral Inventory)

राष्ट्र के बहुमुखी विकास के लिए निरनार खनिज संसाधनों की उपलब्धता अति-आवश्यक है, जिससे उद्योगों को सशक्त बनाने के साथ-साथ उद्योगों की मांग की सत्ता आपूर्ति की जा सकती है। विछले सात दशकों में भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण, खनिज गवेषण निगम लिमिटेड, विभिन्न राज्यों के खान व भूविज्ञान विभाग, सरकारी उपकरणों एवं निजी खान तथा गवेषण काम्पनियों के सार्थक प्रयासों से विभिन्न खनिजों के गवेषण में तेजी आई है और कई खनिज भण्डारों की खोज में भी सफलता मिली है। गवेषण प्रक्रिया को फलीभूत करने के लिए राष्ट्रीय खनिज संसाधनों की सुव्यवस्थित सूची बनाना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। इससे देश में विभिन्न खनिजों की उपलब्धता, अनिम उपयोग के

आधार पर वर्गीकरण, उद्योगों के लिए आपूर्ति, UNFC के आधार पर वर्गीकरण, नीति निर्धारण इत्यादि पहलुओं का विश्लेषण किया जा सके। राष्ट्रीय खनिज संसाधनों की सुव्यवसिथत राष्ट्रीय खनिजवार, जिलावार सूची को राष्ट्रीय खनिज सूची (*National Mineral Inventory*) कहा जाता है। राष्ट्रीय खनिज सूची 01/04/2010 तक से 70 खनिजों का और 01/04/2013 में 25 खनिजों का समावेश कर मध्यवर्ती अद्यतनीकरण किया गया है।

राष्ट्रीय खनिज सूची का अद्यतनीकरण:-

राष्ट्रीय खनिज सूची, खनिज भण्डारों के विभिन्न पठलुओं पर व्यापक दस्तावेज प्रदान करती है। इस व्यापक दस्तावेज का अद्यतनीकरण प्रत्येक पौँच वर्ष में किया जाता है। प्रत्येक खनिज भण्डार/ब्लॉक के विभिन्न पहलुओं जैसे – स्थान, मूलभूत सुविधाएं, भूविज्ञान (क्षेत्रीय एवं स्थानीय), गवेषणा व्याख्या, भौतिकी-स्थायन विश्लेषण, अनुमानित रिजर्व/रिसोर्सेज, अनुमान विधि, अन्तिम उपयोग श्रेणी इत्यादि के ऑकड़े एवं सूचनाओं को विभिन्न स्तरों जैसे खान पट्टा धारकों, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं, गवेषणा कार्यालयों से एवं खानों की खनन योजनाओं द्वारा अद्यतनीकरण प्रयत्र के गाव्यग से एकत्रित किए जाते हैं। प्राप्त प्रत्येक खनिज भण्डार/ब्लॉक की सूचनाएं एवं ऑकड़ों की समीक्षा करके उनको कम्युटशन्झर डाटा बेस में अद्यतनीकरण या सम्मिलित किया जाता है। अन्त में प्रत्येक प्रकार के खनिजों के रिजर्व/रिसोर्सेज का अद्यतनीकरण से पूर्ण के रिजर्व/रिसोर्सेज के साथ तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाता है। प्रत्येक प्रकार के खनिज के संसाधनों के तुलनात्मक विवरण के साथ खनिजवार, शेषीवार, सञ्चयवार, जिलावार राष्ट्रीय खनिज सूची के ऑकड़ों व सूचनाओं को प्रकाशित किया जाता है।

अन्तमान में 71 प्रकार के खनिजों के लिए लगाग 20,000 खनिज भण्डारों (जिनमें आवश्यक व अनआवश्यक दोनों सम्मिलित हैं) के रिजर्व/रिसोर्सेज 01/04/2015 तक के ऑकड़े व सूचनाओं के अद्यतनीकरण का कार्य सुचाल लें से किया जा रहा है। यह कार्य वर्ष 2017 तक पूर्ण करके राष्ट्रीय खनिज सूची 01/04/2015 का प्रकाशन किया जाएगा।

राष्ट्रीय खनिज सूची का महत्व:-

राष्ट्रीय खनिज सूची का अद्यतनीकरण करना अथवा उसकी रचना करना देशहित में एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसका महत्व एवं लाभ निम्न बिन्दुवार उल्लेखित है:-

(1) देश में खनिज संसाधनों की उपलब्धता का परिदृश्य, राष्ट्रीय खनिज सूची द्वारा चिह्नित किया जा सकता है। इससे खान उद्योगों, खनिजों का उपयोग करने वाले उद्योगों एवं अर्थशास्त्रियों को खनिजों की मांग-आपूर्ति का विश्लेषण करने में सहायता मिलती है।

(2) राष्ट्रीय खनिज सूची की सहायता से राष्ट्रीय खनिज नीति निर्धारण करने में सहायता गिलती है। तर्वर्प्रथम भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 बनाई गई, जिसमें देश के आर्थिक विकास के लिये खनिज क्षेत्र में उदारीकरण को अपनाया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय खनिज नीति 2008, अरितत्व में आई, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की भूमिकाएँ बदली गई। निजी कंपनियों द्वारा खनिज क्षेत्र में नियेश के लिये बढ़ावा दिया गया। इन दोनों नीतियों में खनिजों राष्ट्रीय सूची पर काफी बल दिया गया है।

(3) राष्ट्रीय खनिज सूची के आधार पर भविष्य में गवेषण की कार्य योजना बनाई जा सकती है। वे खनिज जिनके संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं, उनके गवेषण पर विशेष बल दिया जा सकता है।

(4) राष्ट्रीय खनिज सूची के आधार पर विभिन्न खनिजों के आयात-निर्यात नीति का निर्धारण किया जा सकता है। वे खनिज जिनके संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, उनके लिए आयात शुल्क बढ़ाया जा सकता है एवं वे खनिज जिनके संसाधन अल्प मात्रा में हैं, उनके आयात शुल्क को घटाया जा सकता है, साथ ही निर्यात शुल्क को भी बढ़ाया गया प्रतिबन्धित किया जा सकता है।

(5) राष्ट्रीय खनिज सूची का विश्व-स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन करके विभिन्न खनिजों के लिए विश्व में भारत का स्थान एवं विश्व के कुल संसाधनों में भारत के योगदान को निकाला जा सकता है।

(6) राष्ट्रीय खनिज सूची के विश्लेषण द्वारा अनुसंधान एवं शोध की कार्य योजना बनाई जा सकती है। यदि किसी खनिज संसाधन की धैड कम है, तो उसके खनिज प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनुसंधान की कार्य योजना बनाई जा सकती है। इसी प्रकार यदि कोई खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो उस खनिज के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु शोध की कार्य योजना बनाई जा सकती है।

(7) राष्ट्रीय खनिज सूची के विश्लेषण के आधार पर जिन खनिजों के संसाधन कम हैं, उनके विकल्प दूसरे खनिजों, जिनके संसाधन पर्याप्त मात्रा में हैं, के रूप में खोजे जा सकते हैं।

(8) राष्ट्रीय खनिज सूची द्वारा आधारभूत ढौंचे के विकास की योजना बनाने में और सकल धरेलू उत्पाद की दर में तृदिंदि करने की योजना बनाने में सहायता गिलती है।

(9) राष्ट्रीय खनिज सूची की सूचनाओं के फलस्वरूप भूमि उपयोग का त्वरण तथ किया जा सकता है। क्योंकि हम भूमि के उपयोग का त्वरण बदल सकते हैं परंतु खनिजों की भूगर्भ की स्थिति को नहीं बदला जा सकता है।

(10) राष्ट्रीय खनिज सूची के आधार पर औद्योगिक विकास को गति मिलती है। साथ ही नये उद्योगों की स्थापना की योजना भी बनाई जा सकती है।

(11) राष्ट्रीय खनिज सूची का विभिन्न देशों के खनिज संसाधनों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करके विदेशों से हिप्पलीय व्यापार समझौता करार करने में सहायता मिलती है।

बदलते परिदृश्य में राष्ट्रीय खनिज सूची की बढ़ती मूमिका :-

संशोधित खान व खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 2015 के 27 मार्च 2015 से लागू होने से, 31 खनिजों को 10 फरवरी 2015 को केंद्र सरकार द्वारा गौण खनिज घोषित करने से और नवंबर 2014 में भारतीय खान व्यूरो के नये चार्टर कार्यों का कियान्वयन करने से, राष्ट्रीय खनिज सूची की मूमिका और भी अधिक बढ़ गई है। इस प्रकार बदलते परिदृश्य में राष्ट्रीय खनिज सूची दस्तावेज द्वारा केंद्र सरकार, संघ राजकार एवं खनिज व खान उद्योग निम्न प्रकार से लाभान्वित होंगे।

(1) संशोधित अधिनियम के अनुसार खनिजों का आवंटन नीलामी प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा तथा आवंटित खनिज भंडारों की 50 वर्ष की अवधि पूरी होने पर तत्त्व भंडार की पुनः नीलामी की जायेगी। राष्ट्रीय खनिज सूची के अनआवंटित खनिज भंडारों को नीलामी प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। प्रत्येक आवंटित खनिज भंडार की पट्टा अवधि समाप्त होने पर पुनः रिजर्व/रिसर्वेज के अंकड़ों से नीलामी के लिये भंडार के आधार पर मूल्य का आकलन किया जा सकता है।

(2) राष्ट्रीय अधिनियम में राष्ट्रीय खनिज गवेषण न्यास (National Mineral Exploration Trust) की स्थापना एवं कार्य निष्पादन का प्रावधान रखा गया है। राष्ट्रीय खनिज सूची के विश्लेषण के आधार पर न्यास के लिये भविष्य में कार्यों की रूपरेखा बनाई जा सकती है। जिसमें गवेषण में किन खनिजों पर अधिक जोर देना है, जैसे ठोस निष्य लिये जा सकते हैं।

(3) केंद्र सरकार द्वारा 31 खनिजों को गौण खनिज घोषित करने के उपरान्त उन खनिजों से संबंधित ऑकलों, सूचनाओं, वार्षिक विवरणी इत्यादि की रिपोर्ट खनन उद्योगों द्वारा राज्यों के खान एवं भूविज्ञान विभागों को दी जायेगी। अतः इन गौण खनिजों के लिये राष्ट्रीय खनिज सूची तैयार करना एक चुनौती होगा। जिसके लिये एक विशिष्ट ऑफिसल डाटा बेस प्रणाली द्वारा जिला स्तर पर, प्राथमिक स्रोत पर, राज्यों के खान व भूविज्ञान विभाग के अधिकारियों द्वारा खनिज भंडारों एवं खनन यट्टों के ऑकलों एवं सूचनाओं को इस डाटा बेस में सम्मिलित करके राष्ट्रीय खनिज सूची को और भी उत्कृष्ट बनाया जा सकता है।

राष्ट्रीय खनिज सूची का विश्लेषण :-

खनिज-वाद राष्ट्रीय खनिज संसाधनों के अंकहरे वर्ष 1-4-2000 से वर्ष 1-4-2013 तक सारणी-1 में दिये गये हैं। साथ ही प्रत्येक खनिज के संसाधनों में अद्यतनीकरण उपरान्त संसाधनों में वृद्धि को भी दर्शाया गया है।

सारणी-1: राष्ट्रीय खनिज सूची 01.04.2000, 01.04.2005, 01.04.2010 एवं

01.04.2013 तक के कुल खनिज संसाधन

क्र. सं.	खनिज	इकाई	कुल संसाधन			
			01.04.2000 रुपये	01.04.2005 रुपये	01.04.2010 रुपये	01.04.2013 रुपये
1	एक्युलाइट (Andalusite)	000' रुपये	18450	18450	18450	-
2	एन्टीमन्डी (Antimony)	रुपये	-	-	-	-
3	ओस्मियम (Osmium)	रुपये	10588	10588	10588	10588
4	मेटल (Metal)	रुपये	174	174	174	174
5	एपिटाइट (Apophyllite)	रुपये	24592722	26864708	24228746	22661140
6	एशेस्टोस (Asbestos)	रुपये	18456347	21736361	22166603	-
7	बॉलिक्लॉयड (BallClay)	रुपये	69273322	79291196	83393504	-
8	बॉरिटाइट (Barytes)	रुपये	80059148	74203347	72233874	-
9	बॉक्साइट (Bauxite)	000' रुपये	2925550	3289817	3479620	3739031
10	बेनटोनाइट (Bentonite)	रुपये	526655000	530573407	368367346	-
11	बोराइट (Borax)	रुपये	74204	74204	74204	-
12	बोल्काइट (Calcite)	रुपये	13998000	22573967	20945448	-
13	चावला चूर्चा (China Clay)	000' रुपये	2302426	2595661	2705208	-
14	च्रोमाइट (Chromite)	000' रुपये	178720	213063	203347	321751
15	कोबल्ट ओरेन्स (Cobalt Ore)	ग्रामिण रुपये	44.91	44.91	44.91	44.91
16	चूप ओरेन्स (Copper Ore)	रुपये	-	-	-	-
17	जेपल (Ore)	000' रुपये	1338186	1394427	1558458	1511018
18	जाम (Metal)	000' रुपये	10484.6	11417.72	12286.67	12218.53
19	जाफिका (Chalk)	000' रुपये	-	-	6917	-
20	जॉर्डारम (Corundum)	रुपये	32931.9	83795	740792	267813
21	डायमंड (Diamond)	रुपये	4380336	4581913	31921750	31861107
22	डायपोर (Diaspor)	रुपये	2576128	5337393	5984818	-
23	डायटोमाइट (Diatomite)	000' रुपये	2883	2885	2885	-
24	डोलोमाइट (Dolomite)	000' रुपये	7084209	7533108	7730537	8084572
25	डूम्बिट (Dunite)	000' रुपये	160236	167929	185368	-
26	फेल्डपार (Feldspar)	रुपये	70142188	90781663	132335431	-
27	जॉन फूरिट (Furelay)	000' रुपये	695027	704763	717519	-
28	ज्वूराइट (Fluorite)	रुपये	12775934	20165669	18213994	18187541
29	फूलर आर्थ (Fuller's Earth)	रुपये	256652000	256652079	256652079	-
30	गेमेट (Garnet)	रुपये	51736155	57655633	56962834	-
31	गोल्ड (Gold)	रुपये	-	-	-	-
32	ग्राम्सर (ग्राम्सर) ओर (Primary) ओर (Primary) Metal	रुपये	184478587	190289237	491694912	494804026
33	ग्राम्सर लेसर ओर (Placer) Metal	रुपये	186.93	490.81	659.84	640.39
34	ग्राम्सर लेसर ओर (Placer) Metal	रुपये	26121000	26121000	26121000	26121000
35	ग्राम्सर लेसर ओर (Placer) Metal	रुपये	5.86	5.86	5.86	5.86
36	ग्रेनाइट (Granite)	000' रुपये	37674611	37426001	46230100	-
37	ग्रेफ्टाइट (Graphite)	रुपये	159267192	168774939	174849645	188673471
38	ग्लिस्पम (Gypsum)	000' रुपये	1245258	1236876	1286498	-
39	ज़िल्डम (Zillidam)	000' रुपये	12905788	14630387	17882098	20575707

	Iron Ore (Hematite)					
32	तीव्र अपाक (Kyanite)	000' टन	10682207	10619481	10644060	10747355
33	क्यानाइट (Kyanite)	टन	102490610	102613222	103245620	-
34	लेटराइट (Laterite)	000' टन	-	-	470833	558675
35	सिंगा एंड ज़िन (Lead & Zinc)					
	अपाक (Ore)	000' टन	485115	522580	685594	709043
	सिंगा मॉल (Lead Metal)	000' टन	5968.87	7207.25	11549.39	12001.8
	ज़िन मॉल (Zinc Metal)	000' टन	18782.78	24259.68	36661.9	35856.1
	सिंगा एंड ज़िन मॉल (Lead & Zinc Metal)	000' टन	34.2	118.45	118.45	140.82
36	लाईट क्लोर (Limestone)	000' टन	170459000	175344901	184935112	-
37	मिन्गेश्ट (Magnesite)	000' टन	368657	337882	335172	328111
38	मैग्नेशियम अपाक (Manganese Ore)	000' टन	295063	378569	429980	475384
39	मार्बल (Marble)	000' टन	1791309	1792638	1931463	-
40	मार्ल (Marl)	टन			151681020	-
41	मिका (Mica)	किलोडिम	59890050	593855419	532236979	-
42	मोल्युब्देनम (Molybdenum)					
	अपाक (Ore)	टन	16296732	19286732	19286732	19371698
	Cotained MoS2	टन	10547	12640	12639	12668.37
43	निकेल (Nickel)	मिलियन टन	188.71	188.71	189	188.71
44	ओरे (Ochre)	टन	58279801	93441294	144261265	-
45	परलाइट (Perlite)	000' टन	2578	1889	2406	-
46	प्रोट्रिन साफ्ट एंड चार्ट (PGM)	टन	14.2	14.2	15.7	-
47	पोटश (Potash)	मिलियन टन	21815	21815	21815	-
48	प्रिथिट (Pyrite)	000' टन	1674401	1674401	1674401	-
49	प्रायोफ्लाइट (Pyrophyllite)	टन	18193648	33694936	56082901	-
50	क्वार्ट्स एंड शिलिक्स चार्ट (Quartz & Silica Sand)	000' टन	2909562	3238211	3499031	-
51	क्वार्ट्जाइट (Quartzite)	000' टन	1082876	1144957	1251247	-
52	रोक फॉस्फेट (Rock Phosphate)	टन	288957136	305308576	296284351	314511549
53	रोक नायक (Rock Salt)	000' टन	3537	13530	16026	-
54	रूबी (Ruby)	किलोडिम	469	5270.74	5349	-
55	साप्फायर (Sapphire)	किलोडिम	450	450	450	-
56	शेल (Shale)	000' टन			15911	-
57	सिलिमाइट (Sillimanite)	टन	63495546	74339869	66987437	-
58	सिल्वर (Silver)					
	अपाक (Ore)	टन	198167558	244633467	466984959	519569959
	मॉल (Metal)	टन	6082.29	10212.62	27628.25	29788.35
59	स्लाइट (Slate)	000' टन			2369	-
60	सल्फर Sulphur (Native)	000' टन	210	210	210	-
61	Talc / Steatite / Soapstone	000' टन	269317	312335	269023	-
62	टिन (Tin)					
	अपाक (Ore)	टन	87215262	86552310	83726197	83726166
	मॉल (Metal)	टन	102224.55	101237.1	102274.84	102274.84
63	टाइटिनियम मॉलिटिक्स (Titanium Minerals)	टन	376433681	388388366	393995917	-
	इलेमाइट (Ilmenite)	टन	339662311	329341683	335589072	-
	रुटेल (Rutile)	टन	12917353	13806249	13597528	-
	ल्यूकोकोसिन (Leucoxene)	टन	106923	1013310	1044160	-
	एनामेस (Anatase)	टन	3345000	3345000	3345000	-

	त्रह्योमेक्सिट मैनेटाइट (Tremolite Magnetite)	उन	20402094	40682094	40620157	-
64	टंगस्टन (Tungsten)					-
	अक्षर (Ore)	उन	87307091	87387464	87387464	87387464
	(Cotained WO3)	उन	141736	142094.35	142094.35	142094.35
65	वैनेडियम (Vanadium)					
	अप्रक्त (Ore)	उन	14440592	2487888	24718888	24633855
	Contained V2O5	उन	63476.5	65390.27	64887.17	64594
66	वर्मिकुलाइट (Vermiculite)	उन	2621808	2438261	2507010	-
67	वॉल्स्टोनाइट (Wollastonite)	उन	12424380	10241623	16569873	-
68	जिम्बन (Zircon)	उन	1788965	4275660	3133953	-

सारणी—1 में खनिज संसाधनों का विश्लेषण विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है।

- 1 खनिजों की उपलब्धता के आधार पर।
- 2 खनिजों के राज्य-वार प्रमुख के आधार पर।
- 3 गवेषण द्वारा प्रिष्ठले एक दशक ने खनिज संसाधनों में हुई वृद्धि के आधार पर।

(1) खनिजों की उपलब्धता के आधार पर

देश में खनिजों की वर्तमान नागर अनुसार उपलब्ध संसाधनों की उपलब्धता को निकालकर खनिजों को चार वर्गों में निम्न प्रकार बँटा जा सकता है।

- (i) प्रचुर मात्रा वाले खनिज — ये खनिज जिनकी उपलब्धता 100 वर्षों से अधिक है।
- (ii) पर्याप्त मात्रा वाले खनिज — ये खनिज जिनकी उपलब्धता 50 वर्षों से अधिक परन्तु 100 वर्षों से कम है।
- (iii) कम मात्रा वाले खनिज — ये खनिज जिनकी उपलब्धता 20 वर्षों से अधिक परन्तु 50 वर्षों ते कम है।
- (iv) अल्प मात्रा वाले खनिज — ये खनिज जिनकी उपलब्धता 20 वर्षों से कम है।

इस आधार पर किया गया विश्लेषण निम्न सारणी 2 में दिया गया है।

सारणी 2: खनिजों की उपलब्धता के आधार यह विश्लेषण

प्रधान मात्रा	पर्याप्त मात्रा	कम मात्रा	अलग मात्रा
बारिट Barytes	मुख्यतः दूषित Ball/Clay	एबेसिट Asbestos	एण्डूलुसाइट Andalusite
बॉक्साइट Bauxite	कैल्काइट Calcite	ताम्र अण्डक Copper Ore/Metal	आंटीमन्य अयस्क Antimony Ore/Metal
बेनटॉनाइट Bentonite	दायप्सोर Diaspor	कर्नाइड Corundum	एपेटाइट Apatite
चिना ग्रूट Chian Clay	ग्रैफ्ट Graphite	फ्लूओराइट Fluorite	बोराक्स Borax
च्रोमाइट Chromite	लैंड एंड लॉट अयस्क Lead & Zinc Ore	कायनाइट Kyanite	कोहाइट Cobalt Ore
देकोमाइट Dolomite	ज़िन मेटल Zinc Metal	रीसा पात्र मात्रा Lead Metal content	डिमा Diamond
दूसूइट Dusite	वैनिकॉलिट Venicalite	रॉक फॉस्फेट Rock Phosphate	डायोटोनाइट Diasomite
फेल्डसैप्ट Feldspar	वोल्टाइनाइट Wollastonite		स्वर्ण अयस्क / धातु Gold Ore/Metal
फाईर ब्रैशिल Fireclay			मोलिब्डेनम अयस्क Molybdenum Ore
फूलर्स एर्थ Fuller's Earth			निक्केल Nickel
ग्रेनाइट Granite			पर्लाइट Perlite
गर्नेट Garnet			प्लॉटिनम धातु सन्हु Platinum Group of Metals (PGM)
ग्यप्सम Gypsum			पोटाश Potash
होर अयस्क (हेमिटाइट) Iron Ore (Hematite)			चांदी अयस्क / धातु Silver Ore/Metal
होर अयस्क (मैग्नेटाइट) Iron Ore (Magnetite)			सूलक्षण Sulphur (Native)
लेटेराइट Laterite			टिन अयस्क / धातु Tin Ore/Metal
मूना पल्चर Limestone			टंगस्टन अयस्क Tungsten Ore
मैग्नेशाइट Magnesite			वैनोडियम अयस्क Vanadium Ore
मॉगनेज अयस्क Manganese Ore			
मार्बल Marble			
माइक्रो Mica			
ओक्रे Ochre			
पायराइट Pyrite			
पायोफिलाइट Pyrophyllite			
क्वार्ट्स एंड सिलिका धातु Quartz & Silica Sand			
क्वार्ट्साइट Quartzite			
सिलिमाइट Sillimanite			
Talc / Steatite / Soapstone			
इल्मेनाइट Ilmenite			
रुटिल Rutile			
झिर्कन Zircon			

उपरोक्त सारणी 2 के आकलन से ज्ञात होता है कि भारत में कई खनिज प्रबुर तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

(2) खनिजों के राष्ट्रवार प्रभुत्व के आधार पर

देश में खनिज संसाधन विभिन्न राज्यों में विस्तृत हैं। किस राज्य की खनिज संसाधनों में मुख्यतया कितनी भागीदारी है, इसका विश्लेषण निम्न सारणी – 3 में किया गया है।

सारणी 3 – राज्यों का विभिन्न खनिजों पर प्रभुत्व

क्र. सं.	खनिज	राज्यों ने उनकी उपलब्धता का प्रतिशत (वर्षा 1.4.2010/2013)
1	Andalusite	उत्तर प्रदेश (78%), झारखण्ड (22%)
2	Antimony Ore	हिमाचल प्रदेश (100%)
3	Apatite	पश्चिम बंगाल (54%), झारखण्ड (32%), मेघालय (6%)
4	Asbestos	राजस्थान (61%), कर्नाटक (32%)
5	Ball Clay	आंध्र प्रदेश (62%), राजस्थान (38%)
6	Barytes	आंध्र प्रदेश (94%), राजस्थान (4%)
7	Bauxite	उडीसा (53%), आंध्र प्रदेश (16%), गुजरात (8%), झारखण्ड (5%)
8	Bentonite	राजस्थान (75%), गुजरात (24%)
9	Borax	जम्मू कश्मीर (100%)
10	Calcite	राजस्थान (50%), आंध्र प्रदेश (42%)
11	China Clay	केरल (24%), राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल (16% प्रत्येक), उडीसा एवं कर्नाटक (10% प्रत्येक), झारखण्ड (7%)
12	Chromite	उडीसा (96%), मणिपुर (2%)
13	Cobalt Ore	उडीसा (69%), झारखण्ड (20%), नागालैंड (11%)
14	Copper Ore	राजस्थान (53%), झारखण्ड (20%), मध्य प्रदेश (19%)
15	Chalk	गुजरात (100%)
16	Corundum	कर्नाटक (65%), आंध्र प्रदेश (29%), राजस्थान (4%)
17	Diamond	गढ़ प्रदेश (90%), आंध्र प्रदेश (6%), छत्तीसगढ़ (4%)
18	Diaspore	मध्य प्रदेश (63%), उत्तर प्रदेश (37%)
19	Diatomite	राजस्थान (72%), गुजरात (28%)
20	Dolomite	मध्य प्रदेश (28%), आंध्र प्रदेश (13%), छत्तीसगढ़ (11%), उडीसा (10%), कर्नाटक (8%), राजस्थान (7%), गुजरात (7%)
21	Dunite	तामिलनाडु (63%), कर्नाटक (17%) झारखण्ड (9%), उडीसा (9.1%)
22	Feldspar	राजस्थान (67%), आंध्र प्रदेश (16%), तामिलनाडु (7%)
23	Fireclay	उडीसा (24%), मध्य प्रदेश (17%) तामिलनाडु (16%), गुजरात (8%), झारखण्ड (9%)
24	Fluorite	गुजरात (66%), राजस्थान (29%)
25	Fuller's Earth	राजस्थान (74%), आंध्र प्रदेश (10%), अरण्याचल प्रदेश (8%), असम (7%)
26	Garnet	तामिलनाडु (59%), आंध्र प्रदेश (34%), उडीसा (6%)
27	Gold Ore(Primary)	बिहार (45%), राजस्थान (24%), कर्नाटक (21%)

28	Granite (Dimension Stone)	कन्टार्टक व राजस्थान (20% प्रत्येक), काशीखंड (19%), गुजरात (18%), आंध्र प्रदेश (5%), मध्य प्रदेश (4%)
29	Graphite	अरण्याखल प्रदेश (39%), जम्मू कश्मीर (33%), उड़ीसा (10%), झारखण्ड (9%)
30	Gypsum	राजस्थान (82%), जम्मू कश्मीर (14%)
31	Iron Ore (Hearmatite)	उड़ीसा(35%), झारखण्ड (25%), छत्तीसगढ़(20%), कन्टार्टक (11%), गोव (5%)
32	Iron Ore (Magnetite)	कन्टार्टक (73%), आन्ध्र प्रदेश (13%), झारखण्ड (8.1%), राजस्थान (6%), तामिल-नाडु (5%), गोव (2%)
33	Kyanite	आंध्र प्रदेश (78%), कन्टार्टक (13%), काशीखंड (6%)
34	Limonite	मध्य प्रदेश (52%), राजस्थान (22%), गुजरात (7%), आंध्र प्रदेश (7%)
35	Lead & Zinc Ore	राजस्थान (89%), आंध्र प्रदेश (3%), मध्य प्रदेश (2%)
36	Limestone	कन्टार्टक (26%), आंध्र प्रदेश (20%), राजस्थान (12%), गुजरात (11%), मेघालय (10%), छत्तीसगढ़ (5%)
37	Magnesite	उत्तराखण्ड (71%), राजस्थान (16%), तामिल-नाडु (10%)
38	Manganese Ore	उड़ीसा(43%), कन्टार्टक(20%), मध्य प्रदेश (11%), महाराष्ट्र (8%), गोव (7%)
39	Marble	राजस्थान (64%), जम्मू कश्मीर (21%), गुजरात (6%)
40	Marl	गुजरात (100%)
41	Mica	आंध्र प्रदेश (42%), राजस्थान (21%), उड़ीसा (20%), महाराष्ट्र (15%)
42	Molybdenum Ore	तामिलनाडु (52%), मध्य प्रदेश (41%), कन्टार्टक (7%)
43	Nickel	उड़ीसा (92%)
44	Ochre	राजस्थान (81%) आंध्र प्रदेश (8%), मध्य प्रदेश (7%)
45	Perlite	गुजरात (100%)
46	Platinum Group of Metals (PGM)	उड़ीसा (90%), कन्टार्टक (10%)
47	Potash	राजस्थान (94%), मध्य प्रदेश (6%)
48	Pyrite	बिहार (94%), राजस्थान (5%)
49	Pyrophyllite	मध्य प्रदेश (56%), उड़ीसा (22%), उत्तर प्रदेश (10%)
50	Quartz & Silica Sand	हरियाणा (52%), राजस्थान (10%), तामिलनाडु (7%), आंध्र प्रदेश (6%), महाराष्ट्र (5%), झारखण्ड (4%)
51	Quartzite	हरियाणा (50%), बिहार (22%), पंजाब एवं महाराष्ट्र (7% प्रत्येक)
52	Rock Phosphate	आंध्रप्रदेश (34%), राजस्थान (31%), मध्य प्रदेश (18%), उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड (8% प्रत्येक)
53	Rock Salt	हिमाचल प्रदेश (100%)
54	Ruby	उड़ीसा (100%)
55	Sapphire	जम्मू कश्मीर (100%)
56	Shale	आंध्र प्रदेश (100%)
57	Sillimanite	तामिलनाडु (27%), उड़ीसा (20%), उत्तर प्रदेश (17%), आंध्र प्रदेश (14%), कर्नल (11%), जस्प (7%)
58	Silver Ore	राजस्थान (88%), झारखण्ड (5%), आंध्र प्रदेश (3%)
59	Slate	आंध्र प्रदेश (100%)
60	Sulphur (Native)	जम्मू कश्मीर (100%)
61	Talc / Steatite / Soapstone	राजस्थान (49%), उत्तराखण्ड (29%), महाराष्ट्र (6%), कर्नल (5%), आन्ध्र प्रदेश (4%)

62	Tin Ore	मुरियाणा (64%), उत्तीर्णगढ़ (36%)
63	Titanium Minerals	केरल (33%), तामिलनाडु (30%), आंध्र प्रदेश (19%), कर्नाटक (4%)
64	Tungsten Ore	कर्नाटक (42%), राजस्थान (27%), आंध्र प्रदेश (17%), गोपालगढ़ (9%)
65	Vanadium Ore	कर्नाटक (77%), राजस्थान (20%)
66	Vermiculite	तामिलनाडु (75%), जाव ब्रदेश (14%), कर्नाटक (8%)
67	Wollastonite	राजस्थान (88%), गुजरात (12%)
68	Zircon	केरल (86%), तामिलनाडु (7%), राजस्थान (5%)

सारणी – 3 से राज्यों के खनिज प्रभुत्व का आकलन किया जा सकता है। तदनुसार खनिजों की उपलब्धता के आधार पर राज्यों में खनन कार्यों को बढ़ाया जा सकता है।

(3) गवेषण द्वारा पिछले एक दशक में खनिज संसाधनों में वृद्धि के आधार पर

साधीय खनिज सूची 01/04/2000 में खनिज संसाधनों की तुलना साधीय खनिज सूची 01/04/2010 और 01/04/2013 से करने पर यह आकलन किया गया है कि किस खनिज के संसाधनों में वृद्धि कितनी हुई। वृद्धि के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है –

- 100 प्रतिशत अधिक वृद्धि वाले खनिज
- 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक वृद्धि वाले खनिज
- 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक वृद्धि वाले खनिज
- 1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक वृद्धि वाले खनिज
 - वे खनिज जिनमें कोई वृद्धि नहीं हुई
 - वे खनिज जिनके संसाधन घटे हैं।

उपरोक्त आधार पर विश्लेषण सारणी 4 में दिया गया है।

सारणी -4 पिछले एक दशक में खनिज संसाधनों में तृष्णि के आधार पर विश्लेषण

100% से अधिक तृष्णि	50% से 100% तक तृष्णि	25% से 50% तक तृष्णि	10 से 25% तक तृष्णि	1 से 10% तृष्णि	कोई बदलाव नहीं	घटने संसाधन
Corundum	Chromite	Bauxite	Asbestos	Bentanite	Antimony Ore	Apatite
Diamond	Feldspar	Calcite	Ball Clay	Fireclay	Andalusite	Barytes
Diaspure	Iron Ore (Hematite)	Fluorite	China Clay	Gypsum	Bons	Magnesite
Gold Ore(Primary)	Manganese Ore	Wollastonite	Copper Metal	Iron Ore (Magnetite)	Chalk	Perlite
Lead & Zinc Ore/metal	Zircon	*	Copper Ore	Kyanite	Cobalt Ore	Talc / Steatite / Soapstone
Mica			Dolomite	Limestone	Diatomite	Vermiculite
Ochre			Dunite	Marble	Fuller's Earth	
Pyrophyllitic			Garnet	Rock Phosphate	Laterite	
Rock Salt			Granite (Dimension Stone)	Sillimanite	Marl	
Ruby			Graphite	Tin Ore	Nickel	
Silver Ore			Molybdenum Ore	Titanium Minerals	Potash	
Silver Ore/Metal			Platinum Group of Metals (PGM)	Tungsten Ore	Pyrite	
		Quartz & Silica Sand		Vanadum Ore	Sapphires	
		Quartzite			Shale	
					Slate	
					Sulphur (Native)	

इस विश्लेषण से यह कहा जा सकता है कि किस खनिज से गवेषण सार्थक रहा।

निष्कर्ष

चाहूरीय खनिज सूची एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, जिससे राष्ट्रहित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। उपरोक्त विश्लेषण तीन प्रकार से किया गया। ऐसे ही कई आधार पर विश्लेषण किया जा सकता है जैसे – अनिम उपयोग के आधार पर, G1, G2 के आधार पर, ग्रेड के आधार पर इत्यादि। अतः विश्लेषण द्वारा हम कई महत्वपूर्ण पहलुओं का आकलन कर सकते हैं।

आगार

इस लेख को प्रस्तुत करते हुए लेखकगण श्री आर. के. सिन्हा, महानियंत्रक, मार्गीय खान व्यूरो को हार्दिक धन्यवाद देते हैं तथा भी धीरजवंत बेंड्रा, प्रभारी मुख्य खनिज अधिकारी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जिनके प्रोत्साहन एवं अनुगमि से हम यह लेख प्रस्तुत कर सके।

संदर्भ

1. तिवारी, चंद्रशेखर एवं कादरी, धी. ए. 'खनिज आसूकना एवं मार्गीय खनिज केव' स्नारिका: राजगाया तकनीकी समितार, खनिज प्रसंस्करण प्रभाग, मार्गीय खान व्यूरो, नागपुर, दिनांक 3 मार्च 2015
2. C.S.Tiwari, T. L. Markam and R. N. Hazra, "Industrial Minerals exploration in India vis-à-vis its resource potentiality", Minerals & Metals Review, March 1988
3. Indian Mineral Yearbook 2013, Indian Bureau of Mines
4. National Mineral Inventory as on 01.04.2000, Indian Bureau of Mines
5. National Mineral Inventory as on 01.04.2005, Indian Bureau of Mines
6. National Mineral Inventory as on 01.04.2010, Indian Bureau of Mines
7. National Mineral Inventory as on 01.04.2013, Indian Bureau of Mines



यदि आप इस बात की चिंता न करें कि आपके काम का श्रेय किसे मिलने वाला है तो आप आश्चर्यजनक कार्य कर सकते हैं—हीरी एस. ट्रॉमेन

लोह अयस्क एवं इस्पात की मांग एवं मूल्य से संबंधित मुद्दे

डॉ. पी. के. जैन
आधिकारी भूतिज्ञानी एवं
राजभाषा अधिकारी,
भारतीय खान व्यूरो
Email: dr.pkjain.ibm@nic.in

सार - संक्षेप

विश्व इस्पात संगठन (डब्ल्यू. एस. ए.) ने 2015 एवं 2016 में क्रमशः 0.5 प्रतिशत और 1.4 प्रतिशत के वैशिक इरपात उपभोग वृद्धि वी तुलना में भारतीय इस्पात की मांग में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि तथा 2016 में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुग्रान लगाया है। उन कारकों में निदर्शनात्मक परिवर्तन हुआ है जो लोह अयस्क के मूल्यों और इससे संबंधित वस्तुओं को प्रभावित करते हैं। लोह अयस्क का बाजार अब विश्व के बड़े खनिकों के पास हस्तांतरित हो गया है जो अत्यंत प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य ढाँचे के साथ करीब 70 प्रतिशत समुद्री नार्ग की वस्तुओं की आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं। वैशिक आधार पर कमी के बावजूद भारत उन कुछ देशों में है जिन्हाँने अपनी अर्थव्यवस्था में लचीलापन दर्शाया है। गिरते वैशिक मूल्यों के विपरीत, जिनका घरेलू बाजार में मांग पर किसी भी प्रकार का अव्यवहार कोई क्रमिक प्रभाव नहीं था, घरेलू बाजार में लोह अयस्क के मूल्यों में वैसा समान घटाव के अनुपत्तन का कोई चिन्ह नहीं है। उसरो भारतीय बाजार उन कड़ी सद्व्याप्तियों से दोषमुक्त नहीं होता है कि घरेलू लोह एवं इस्पात क्षेत्र को अनेक चुनौतियों का सामना करना है तथा उनसे उग्रता है। वैशिक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी करने के लिए इस क्षेत्र को प्रौद्योगिकी अपनाना है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान बनाने के लिए प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य ढाँचा को प्रभाव में लाना है। वर्तमान लेख में लोह अयस्क की मांग एवं मूल्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों, वैशिक तथा भारतीय परिवेश के मूल्यों पर इसके प्रभाव, शुल्क ढाँचे तथा विभिन्न कारकों को जिनका इन लोह अयस्क एवं इस्पात वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभाव एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव है, उजागर करने का प्रयोग है।

परिचय :-

विश्व इस्पात संगठन (डब्ल्यू.एस.ए) ने 2015 एवं 2016 में क्रमशः 0.5 प्रतिशत और 1.4 प्रतिशत के बैंकेक इस्पात उपभोग वृद्धि की तुलना में भारतीय इस्पात की मांग में 6.2 प्रतिशत एवं 7.3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है। डब्ल्यू.एस.ए. द्वारा प्रस्तुत 2014 में प्रति व्यक्ति परिष्कृत इस्पात उपभोग विश्व के लिए 217 कि.वा. एवं चीन के लिए 510 कि.वा. का अनुमान है जो इस सचाई को दर्शाता है कि इस्पात की मांग बढ़ते हुए प्रक्षेप - पथ में है तथा यह साफ़ है कि इस्पात झोड़ की वृद्धि का तथ्य संतुष्टि है।

भारतीय इस्पात उद्योग ने इस्पात हेतु बढ़ती मांग एवं पुलार्जीवित आर्थिकवस्था की ओर तेजी से बढ़ते हुए विकास की गति तेज कर दी है। इस्पात के स्पृहणीय वृद्धि (Enviable rise) से 2015 में भारत कच्चा इस्पात का तीसरा बड़ा उत्पादक बना है तथा हमारा देश विश्व में स्पॉर्ज लौह अथवा डी.आर.आई. का सबसे बड़ा उत्पादक होने का गति कर सकता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु इस्पात पर कार्य - दल की रिपोर्ट के अनुसार, अनेक कारक गौलूद हैं जो इस बात के सूचक हैं कि देश में प्रति व्यक्ति इस्पात उपभोग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अन्य धौजों के अलावा हनमें भी शामिल हैं, लगभग 1 अरब डॉलर आधारभूत ढाँचा निवेश, जो निर्माण की अनुगानित वृद्धि वर्तमान 8 प्रतिशत से 11 - 12 प्रतिशत है 400 मिलियन के वर्तमान स्तर से 2030 तक शहरी आवासी में 600 मिलियन की वृद्धि होगी तथा भारत निर्माण, प्रधानमंत्री याम सबक योजना, राजीव गांधी आवास योजना तथा अन्य विधाराधीन जैसी परियोजनाओं के चलते यामीण बाजार उत्तरोंगे तथा इस्पात की खापत करीब 10 कि.वा. प्रति व्यक्ति होगी। देश में कुल परिष्कृत इस्पात का प्रति व्यक्ति उपभोग 2009 - 10 में 51 कि.वा. या जो 2014- 15 में करीब 59 कि.वा. हुआ है। 2015 - 16 में भारत का इस्पात उपभोग 7 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है जो पिछले वर्ष की तुलना में 2 प्रतिशत ज्यादा है। इसका कारण आर्थिक गतिविधि में बढ़ातरी है।

देश की इस्पात उत्पादन क्षमता 2009 - 10 में करीब 75 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2014- 15 में करीब 90.5 मिलियन टन हुई है। राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 की शुरुआत के समय 2019 - 20 तक इस्पात उत्पादन 110 मिलियन टन तक पहुँचने का अनुमान है। तथापि, वर्तमान में जारी परियोजनाओं के मूल्यांकन के आधार पर शीनफील्ड एवं ड्राउलफील्ड दोनों में, 12 वीं पंचवर्षीय योजना हेतु इस्पात पर कार्यदल ने यह अनुमान लगाया है कि देश में घरेलू कच्चे इस्पात की क्षमता 2016 - 17 तक 140 मिलियन टन तक पहुँचने की

संभावना है तथा यदि सभी परियोजनाएँ सही समय पर शुरू होती हैं तो यह 149 बिलियन टन तक भी पहुँच सकती है।

वैश्विक परिवृश्यः -

स्टील उद्योग में धीन विश्व का सबसे बड़ा स्टील निर्माता है जो विश्व का करीब आधा उत्पादन करता है तथा यह समुद्री लौह अयस्क का सबसे बड़ा खरीदार भी है। भारतीय इस्पात क्षेत्र धीन और जापान के बाद तीसरा सबसे बड़ा है जो सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत योगदान करता है तथा जिसमें 6,00,000 से भी ज्यादा लोग नियोजित हैं।

आस्ट्रेलिया के उद्योग और विज्ञान विभाग द्वारा 30 सितम्बर, 2015 के अपने वैमासिक विवेचन में नाम निर्दिशित विश्व के सबौत्कृष्ट लौह अयस्क नियोजितक 'जस्ट - काल्ड - बॉटम - इन - राइट्स' ने वर्ष 2016 में संभावित गिरावट के पश्चात मूल्यों में 2020 तक नियोजितक वृद्धि की संभावना जतायी है। 2017 में लौह अयस्क का औसत मूल्य 60 डॉलर प्रति नियिक टन तक रहेगा तथा 2020 तक मांग में वृद्धि एवं आपूर्ति में कमी के अनुरूप प्रतिवर्ष 75 डॉलर तक वृद्धि की संभावना है। इसमें आगे यह संभावना व्यक्त की गई है कि इस वर्ष वस्तु मूल्य औसतन 53 डॉलर रहेगी तथा 2016 में 51 डॉलर तक सिमट जाएगी, जिसमें जून, 2015 से 2.8 प्रतिशत तक सिमटने का अनुमान है।

आस्ट्रेलिया सरकार की रिपोर्ट के अनुसार मूल्यों ने उछाल की संभावना है, क्योंकि उच्च लागत वाले उत्पादक बाजार से बाहर हो रहे हैं तथा विश्व इस्पात उत्पादन में तेजी से उछाल आ रहा है। मूल्यों में उछाल के पूर्व, अगले वर्ष 3 प्रतिशत गिरने की संभावना है, जिसके आपूर्ति ज्यादा हो रही है तथा जब धीन में इस्पात उत्पादन कम होगा तो मूल्य में उछाल की संभावना है। लौह अयस्क बाजार विश्व के बड़े खनिकों के पास घला गया है, जो अत्यंत प्रतिस्पद्धात्मक लागत मूल्य ढाँचा के साथ समुद्री रास्ते से आपूर्ति को करीब 70 प्रतिशत तक नियंत्रित करते हैं। यह बाजार गिरते मूल्यों की प्रवृत्ति को उलटते हुए ऊपरी दिशा में मूल्यों को अवश्य प्रभावित करेगा।

रूस और क्राजील इस्पात की मांग की अत्यंत कमी की समस्या से जु़ड़ रहे हैं। मध्य - पूर्व, अधिकांश युक्तेन में भू - राजनीतिक अस्थिरता भी लगातार नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। सकारात्मक घरेलू मांग एवं लागू किए गए राष्ट्रीयों में प्रगति के परिणाम स्वरूप भारत, मैक्सिको एवं रशियन (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों की संस्था) तथा भीना (मध्य पूर्व

एवं उत्तरी अमेरिका) के अन्य देशों में इस्पात की मांग में विपरीत परिस्थिति के बावजूद वृद्धि की गति बने रहने की सभावना है, जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आर्थिक मौलिक तत्त्व ठोस बना हुआ है। कर्सी उन्नयन एवं गिरते हुए ऊर्जा क्षेत्र के कारण 2015 में इस्पात की मांग में नकारात्मक वृद्धि की सभावना है। यूरोपीय संघ ने निम्नतर तेल मूल्यों, निम्न व्याज दर, एवं कमज़ोर यूरो के साथ - साथ पुनःप्राप्ति की गति में विरतार हो रहा है। जापान और कोरिया में विपरीत ढाँचागत बली द्वारा उनकी अर्थव्यवस्था पर आर के ढाँचागत बलों द्वारा उनकी अर्थव्यवस्था पर मार के कारण धीमी गति से नकारात्मक वृद्धि होने की सभावना है।

यह स्पष्ट है कि कुछ समय के लिए इस्पात उद्योग प्रमुख वृद्धि चक्र की अंतिम रीमा तक पहुंच चुका है, जो चीन के तीव्र आर्थिक विकास पर आधारित था। चीन की धीमी गति के साथ - साथ यह क्षेत्र अनेक विकासशील दोनों से कम निवेश, वित्तीय बाजार की अस्त - व्यवस्ता तथा भू - राजनीतिक टकरावों की समस्या का सम्बन्ध कर रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था में कमी आई है तथा निवेश एवं रियल इस्टेट सेक्टर में पुनः संतुलन उपायों का प्रभाव अनुमान के विपरीत ज्यादा गम्भीर हुआ है। चीन की इस्पात मांग 2015 एवं 2016 में क्रमशः 3.5 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत गिरने की सभावना है, जबकि 2013 में इसकी मांग घटी पर थी। इस अर्थव्यवस्था में उतार एवं परिणामतः वित्तीय बाजार की परिवर्तनशीलता के साथ बढ़ता हुआ खतरा भी सम्बद्ध है, जो चीन की समस्या को देखते हुए एक वैशिक समस्या भी बन गई है।

भारतीय परिवहन :-

गिरते वैशिक मूल्यों का घरेलू बाजार में लोह अयस्क के मूल्यों में समान गिरावट लाने की सभावना नहीं है। भारतीय बाजार की उपलब्धता एवं आंतरिक मांग ठहराव ने अत्यन्त उतार - घटाव के किसी भी कार्य कारण भाव को सम्भिलित करते हुए मूल्यों में उदारता लायी है। जब तक वैशिक मूल्य 35 डॉलर प्रति टन के नीचे गिरता है, वर्तमान विनियम दर एवं महत्वपूर्ण रूप से अतीरी संयंत्रों को आपूर्ति हेतु शामिल लॉजिस्टिक लागत मूल्य को देखते हुए लोह अयस्क का आयात व्यवहारिक नहीं हो सकता है। तथापि, अंशतः परिष्कृत इस्पात के मूल्यों की बतौमान प्रवृत्ति तथा अपने संबंधित पर्यावरण अनापत्ति (ई.सी.) सीमाओं को पूरा करते हुए व्यवसायिक खानों से बढ़ी हुई आपूर्ति को देखते हुए पूरी सभावना है कि लोह अयस्क के मूल्य साउथवार्ड्स की दिशा में प्रवृत्त होगे।

यद्यपि वैश्वक रूप से इस्पात क्षेत्र में वृद्धि का दौर छहर गया है तथा उद्योग धीमी गति का सामना करते हुए घाटे में हैं, उद्योग निकाय विश्व इस्पात संघ (उबल्यू एस. ए.) को उन्मीद है कि भारत इससे उबर जाएगा। इसपात विश्व में तीसरे सबसे बड़े उत्पादक भारत में 2015 एवं 2016 में क्रमशः 81.5 मिलियन टन एवं 87.6 मिलियन टन तक इस्पात उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है जो कि तर्व 2014 में 75.9 मिलियन टन था। स्वस्थ्य मांग - आपूर्ति स्थिति के संबंध में इस्पात क्षेत्र की हष्ट पुष्टता घरेलू मांग एवं नियंत्रण की जरूरत को अच्छे तरीके से पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

2012 - 13 से 2014 - 15 के दौरान लोह अगस्क का उत्पादन, उपभोग, आवास एवं नियंत्रण की सारणी में दिवा गया है जो भारत की मजबूत स्थिति को दर्शाता है :-

(मिलियन टन में)

माद	2012 - 13	2014-15 (अंतरिम)	2014-15 (अंतरिम)
उत्पादन	136.62	152.43	128.91
खान शीर्ष क्लोजिंग स्टॉक	119.87	123.97	128.06
संसूचित उपभोग	103.59	108.34	113.48
नियंत्रण	18.12	16.30	7.49
आयात	3.06	0.37	12.09

(P) अंतरिम, स्रोत - एम.सी.टी.भार, विवरणियाँ एवं डी.जी.सी.आई. और एस.कोलकाता।

भारतीय खान घ्यरो द्वारा दिनांक 01/04/2013 तक जारी राष्ट्रीय खनिज सूची में संसूचित 31.32 विलियन टन लोह अगस्क भंडार से परिपूर्ण भारत का समृद्ध संसाधन इसकी आत्मनिभरता की पूर्व सूधना देता है। इसपात उत्पादन घरेलू उपभोग की आवश्यकता को नियमित रूप से पूरा करने हेतु आवश्यक कच्चे माल के संसाधन की पर्याप्तता ने भारतीय इस्पात क्षेत्र को आवश्यक रूप से लचीला बना दिया है। पिछले तीन वर्षों के लिए पिंग आयरन, स्पॉन्ज आयरन एवं पूर्णतः परिष्कृत इस्पात की बिक्री हेतु उत्पादन पर डाटा नीये सारणी में दर्शाया गया है :-

(मिलियन टन में)

श्रेणी	2012 -13	2013-14 (अंतरिम)	2014-15
पिंग आयरन	6870	7,950	9,694
स्पॉज आयरन	1433	18.20	20.38
पूर्णतः परिष्कृत इस्पात (गिशातु + गैर गिशातु)	8168	87.67	91.46

12 वीं पंचवर्षीय योजना हेतु कार्यदल ने यह पाया है कि धरेलू इस्पात उद्योग को बढ़ाने हेतु सुनिश्चित लोह अयस्क कड़ियों को बढ़ाना दिए जाने की आवश्यकता है। आगे इसने यह शिफारिश की है कि वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन खान मंत्रालय एवं इस्पात मंत्रालय के संयुक्त प्रयास के माध्यम से प्रदान किए जाने की आवश्यकता होगी। स्थानकर इस्पात के उत्पादन हेतु काइन्स के सनुहन, गुटीकाकरण एवं प्रत्यक्ष उपग्रेड के लिए प्रौद्योगिकियों को चिन्हित किया जाना चाहिए तथा 2020 तक प्रति वर्ष 200 मिलियन टन के साढ़ीय लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इसे मिशन स्पॉइलर में लिया जाना चाहिए। जिम्मा श्रेणी लोह अयस्क की प्रयुक्ति से संबंधित प्रौद्योगिकी एवं पिंग आयरन, स्पॉज आयरन एवं गुटीकाकरण हेतु अन्य प्रौद्योगिकी की प्राप्ति को कार्यदल द्वारा अपनी रिपोर्ट में अधोरेखांकित किया गया है। इफट नेशलन रटील पॉलिसी, 2012 जिसे निर्माण विषय पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा पृष्ठांकित किया गया था, इद्दतापूर्वक कहती है कि विकास की युक्ति राष्ट्रीय मिशन में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के अनुसार होनी चाहिए, जो कि 2025 - 26 तक 300 मिलियन टन कच्चा इस्पात उत्पादन / आउटपुट है तथा यह उम्मीद है कि उगले दस वर्षों में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक बन जाएगा।

शुल्क छँचा

वर्तमान में, इस्पात हेतु आधारभूत उत्पाद शुल्क 12.5 प्रतिशत निर्धारित है तथा इस्पात वस्तुओं पर कोई भी नियोंत शुल्क नहीं है। धरेलू उद्योगों हेतु लोह अयस्क की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्योग से लोह अयस्क संराधनों के संरक्षण एवं नियोंत को हतोत्साहित करने हेतु नीतिगत उपायों की शुरुआत की गई है। इसके अतिरिक्त सरकार

ने सभी प्रकार के लोह अयस्क पर (निम्न श्रेणी अयस्कों को ओडकर जिसपर 10 प्रतिशत शुल्क है) 30 प्रतिशत का नियोत शुल्क लगाया है तथा आगे, लोह अयस्क पेलेट पर भी 5 प्रतिशत का नियोत शुल्क लगाया जाएगा। इन सभी उपार्थों का लक्ष्य वस्तुओं की तदर्थि निर्माण को नियंत्रित करना, दीर्घावधि लाभ हेतु संरक्षण को बढ़ाया देना तथा घरेलू इस्पात उद्योग में विकास को प्रोत्साहित करना है। सरकार ने 200 दिनों की आवधि के लिए 600 मि.मि. अथवा उसके ऊपर की छोड़ाई वाले गैर मिश्रातु एवं अन्य मिश्रातु के हाँट - रॉल्ड क्लैट उत्पादों के आयात पर 20 प्रतिशत सुरक्षित शुल्क आधिरोपित किया है। ज्यादा सस्ते आयातों की भरमार को रोकने के लिए भारत ने 2.5 प्रतिशत तक औषिकांश इस्पात आयातों पर आयात शुल्क बढ़ाया है तथा कार्बन स्टी ब्लैट उत्पादों पर 10 प्रतिशत तक आयात शुल्क कर दिया है। सरकार ने निम्न लागत इन बाउंड शिपमेंट से घरेलू उत्पाद कों के अभाव हेतु चीन सहित तीन देशों के बीच इस्पात उत्पादों के आयात पर 316 डॉलर प्रति टन तक एण्टी - डमिपंग शुल्क भी आधिरोपित किया है। 29 फरवरी, 2016 को केंद्र सरकार द्वारा घोषित बजट से लोह अयस्क (58 प्रतिशत के कम रोड) लम्प पर नियोत शुल्क 30 प्रतिशत से नगण्य और काइंस पर 10 प्रतिशत से नगण्य कर दिया है।

मूल्य

लोह अयस्क एवं इस्पात के मूल्यों को प्रभावित करने वालों विजिलन कारक निम्न प्रकार हैं:-

- उत्पादन लागत - निम्न स्तर उत्पादन लागत नियोत बाजार में प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बरकरार रखने में इस्पात उत्पादकों की मदद करता है।
- रॉयल्टी की दर।
- कर।
- नियोत शुल्क।
- आयात शुल्क - घरेलू उत्पादक हेतु सुरक्षित शुल्क।
- एण्टी - डमिपंग शुल्क।
- विनियम दर

मुद्रा उत्तार - घडाव

मुद्रा मूल्य - तृदि

- सुपचालन एवं माल भाडा दर - खनिजों के परिवहन हेतु सशीघ्रत समान सीलिंग दर के प्रबंधन से मूल्यों में तार्किकता आ सकती है। भारत का आतंरिक माल भाडा दर चीन की तुलना में दो से तीन गुना ज्यादा है। अधिकाश आणुविक इस्पात संयंत्र समुद्र के किनारे अवस्थित हैं, अतः बड़े गाड़ियों में अयस्क के परिवहन की लागत माल गाड़ियों अथवा डम्परों की अपेक्षा ज्यादा सरकी है।

- सांग वृद्धि

गृह खरीदारी पर रोक हटाने हेतु अनेक स्थानीय सरकारों द्वारा निर्णय।

ऑटो, निम्नोण एवं उपभोक्ता वस्तु उद्योगों सहित विभिन्न क्षेत्रों से सतत सांग में वृद्धि।

- इस्पात उपभोग।
- नियांत वृद्धि।
- आयात।

आयात में प्रबाह

- भूमि अधिग्रहण एवं परियोजना कार्यान्वयन में देरी।
- खनिज आवंटन की प्रणाली।
- केंद्रीय अधिकारिता समिति तोह अयस्क खनन केंप।
- अपर्याप्त गवेषण।
- कुशल जन - शक्ति की निम्न उपलब्धता।
- उच्च लागत एवं कम गुणतत्त्व वाली लौजिस्टीक सुविधाएं।
- पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने में अपर्याप्त प्रगति।
- धीमी गति का ऊजी क्षेत्र।

खनन लागत को कम करने हेतु ज्यादा सस्ता ऊजी मूल्य।

- वित्तीय बाजार की अस्त - व्यस्तता।
- मू - राजनीतिक टकराव।
- ही. एम. एफ. हेतु पे - आउट।

निष्कर्ष :-

भविष्य में चीन के इस्पात उत्पादन में बढ़ोत्तरी को देखते हुए विश्व इस्पात उपभोग में वृद्धि की जरूरत है, परंतु ऐसा प्रतीत नहीं होता है। यह अनुमान है कि 2016 - 2020 के दौरान आरतीय इस्पातों उत्पादन में 35 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 124 मिलियन टन हो जाएगा, जबकि इस्पात उपभोग 2020 तक 121 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा।

विश्व इस्पात डायनोमिक्स (डब्ल्यू.एस.डी.) की रिपोर्ट ने लागत रेखा के संबंध में कॉमनवेल्थ के स्वतंत्र राष्ट्रों को छोड़कर, अधिकांश देशों को भारत से आगे रखा है। फिर भी, यह कोव सर्सी आयात और उच्च इंवेंटरी स्तर के दबाव से पीड़ित है। घरेलू मांग की कमी और बाहर से प्राप्त निर्मा गुणवत्ता वाले इस्पात के भरमार के बजाए पिछले कुछ वर्षों से भारतीय इस्पात क्षेत्र में अच्छा नहीं थल रहा है। इस्पात के मूल्यों में कमी से स्टील कंपनियों के लाभ को खतरा हो गया है। घरेलू उत्पादकों के हित को सुरक्षित करने हेतु सरकार आयात गूँह्य (एन.आई.पी.) को जागू करने हेतु अधिसूचना जारी कर सकती है। ओडिशा, कर्नाटक और गोवा में बंद लौह अयस्क खानों को खोलने से प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य बाजार में खनिजों की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए आध्य होंगे जिससे आगे मूल्यों में गिरावट हो सकती है। यदि घरेलू इस्पात निर्माता घरेलू कच्चा माल प्राप्त करते हैं तो इससे लोह अयस्क का आयात भी कम होगा। विश्वेषक महसूस करते हैं कि इस्पात की मांग में कमी तथा रूपये का अवमूल्यन आयात को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आगे, रूपये के अवमूल्यन से लोह अयस्क का आयात ज्यादा महंगा होगा। यदि मांग में बढ़ोत्तरी की परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो इस्पात उद्योग में वृद्धि जारी रहेगी। सभी को बिजली प्रदान करने, रेलवे का आपुनिकीकरण, भवन एवं आधारभूत संरचना कोव में वृद्धि, प्रस्तावित 100 स्मार्ट शहर तथा देश को निर्माण गढ़, बनाने के उद्देश्य से 'नेक इंडिया' परियोजना का सरकार का लक्ष्य भविष्य में इस्पात उद्योग के लिए अनेक दरवाजे खोल देंगे। आपुनिकीकृत इस्पात संघर्ष, जोन फील्ड इस्पात संयंत्रो अवधारणा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के कच्चे इस्पात की क्षमता में वृद्धि के लिए आपुनिकीकरण और विस्तार के लिए परियोजनाएँ आदि महत्वपूर्ण कदम इस्पात उद्योग की रिप्पति में सुधार हेतु कारगर कदम होंगे।

एम.एम.डी.आर. अधिनियम, 1957 में नए संशोधन सरकार के द्वारा उठाया गया एक ताकिक कदम है, जो शीन फील्ड परियोजनाओं के विरुद्ध आंदोलन को हतोत्साहित करते हुए परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त पुनर्वास बैकेज प्रदान करता है तथा साथ ही, इस क्षेत्र में निवेश को भी आकर्षित करता है। अधिनियम में शक्ति प्रदाताओं को विनिर्दिष्ट विचार गया है जो कार्यान्वित करेगा। तथापि, घरेलू लौह एवं इस्पात क्षेत्र के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं, जिनसे उसमें उभरना है कमज़ोर मांग, लोह अयस्क की गिरती कीमत एवं ज्यादा आपूर्ति (खासकार ज्यादा आयात के कारण) के चलते इस्पात के मूल्यों में गिरावट जारी है। क्षमता उपभोग में ताकिकता लाने से इस प्रवृत्ति को उलटने में मदद मिलेगी। निम्न गुणवत्ता वाले अयस्क जिसमें सिलिका और फॉस्फोरस जैसे निश्चण उच्च मात्रा में हैं, इस्पात की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं तथा ब्लास्ट फर्जेस कार्य - निष्पादन में कमी ला सकते हैं।

आभार

लेखक श्री आर. के. सिन्हा, मुख्य खान नियंत्रक एवं प्रभारी महानियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो का इस लेख को राजभाषा तकनीकी सेमिनार में भेजने हेतु अनुगति प्रदान करने के लिये आभार मानता है।

विशेष टिप्पणी - लेख ने व्यक्त किये गये विचार लेखक के स्वयं के हैं। भारतीय खान ब्यूरो का मत इससे भिन्न हो सकता है।



मनुष्य की महानता उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से आँकी जाती है। — स्वामी विवेकानन्द

सुकिंदा क्रोमाइट - विहंगावलोकन

महेश्वर कुमार सोमानी,
लेक्चरीय खजन भूविज्ञानी,
जी.एम.एम.एन.सेल

ओडिशा के जाजपुर एवं छेकालाल ज़िलों में स्थित सुकिंदा अल्टामेफिक बैल्ट में भारत का लगभग 95% क्रोमाइट रिजर्व नीजूद है। यह सर्व औफ इंडिया के टोपी-शीट नं. 73 G/12/, 73 G/16 एवं 73 H/13 पर स्थित है। यह पहाड़ी उत्तर पूर्व - दक्षिण पश्चिम दिशा की एक घाटी में दाङ्तरी एवं महागिरी पर्वत शृंखला के बीच पूर्व में गाँव टोमका से पश्चिम में गाँव कटपगल तक लगभग 25 किमी लम्बी और 2.5 किमी चौड़ी है।

रीजनल जियोलॉजिकल सेट अप :

सुकिंदा घाटी में स्ट्रेटिगिक सवसेशन निम्नानुसार है : (स्रोत : भा. भू. स.)

रीसेट

प्रिकेन्ड्रीयन अल्टामेफिक्स

- सोइल, एल्यूवियन एवं लेटेराइट
- डोलेराइट डाढ़क
- बोनाइट एवं योनोफायर
- गेन्नो, डार्योराइट
- मेटा लावा डोलेराइट /
- पाचरोक्सीनाइट, ड्युनाइट - पेरिडोराइट

मग क्रोम आयस्क

कॉरलोनरेट, यिट एवं ओर्थोबितार्ट्जाइट
अंडरलेन बाड़ बैंडेड मैट्रेटाइट चर्ट, शेल एवं
फिलाइट मग अन्टरनेट सिन्चेस औफ लावा एट
बेस



चित्र: सुकिंदा घाटी का भूविज्ञानिक ग्राफिच

सुकिंदा घाटी का क्रोमाइट स्ट्रैटीफोर्म प्रकृति का है। यहाँ छ: लगभग समानान्तर क्रोमाइट बैंड हैं, जो कि 5 से 50 मी. गोटाइ भी हैं। इनको बैंड नं. 1 से 6 तक जान दिये गये हैं। इन बैंडस में सरपंथीन / पायरोक्सीजाइट की पार्टिंग है जो कि 160 से 600 मे तक खौड़ी है। उत्तरी फोल्ड लिंब की क्रोमाइट बैंडस का स्ट्राइक पूर्व-पश्चिम से पूर्व-दक्षिण-पूर्व - पश्चिम-उत्तर-पश्चिम एवं डिप 10° से 50° दक्षिण से द. द. प. की तरफ है जब कि दक्षिण फोल्ड लिंब में स्ट्राइक पू.उ.प. तथा डिप 45°-85°उ.प. से उ.उ.प. की तरफ है। दक्षिणी लिंब की बैंड नं. 6 दक्षिण की तरफ स्ट्रीप डिप दर्शाती है।

गवेषण : वर्ष 2010-11 तक सुकिंदा घाटी में 136 पिट, 34 ट्रैच एवं 2895 बोरहोल थे, जिसमें 239503.46 मी. ड्रिलिंग के साथ गवेषण किया गया है।

रिजर्व : दिनांक 01.04.2012 तक सुकिंदा घाटी में रिजर्व 67.18 मिलियन टन था। यह अभी के उत्पादन के अनुसार 29 वर्षों के लिये बचफी है। यहाँ 107.51 मिलियन टन रिसोर्सेज है जिसमें से 55.75 स्टेटुटरी बेरियर में कंसा हुआ है।

खनन : सुकिंदा घाटी में खनन कार्य 1960 में खुली खदान के रूप में मानवीकृत (मैनुअल) तरीके से 1.5×1.5 मी. की बैंच बनाकर प्रारम्भ हुआ। लेकिन जैसे जैसे पिटों की गहराई बढ़ती गई औवर बड़ीन हटाने का काम मशीनों द्वारा किया जाने लगा त्योंके यह सॉफ्ट है।

और ड्रिलिंग ब्लास्टिंग की जस्तत नहीं पड़ती है। क्रोमाइट की 'ओर' भी अुरभुरी एवं पाउडरी है। इनमें बैंड न.1 की चौड़ाई सबसे अधिक है। बैंड न.6 की 'ओर' कठोर एवं छोस है। वर्तमान में सिर्फ दो खानों पर ही अंडरव्हाउंड तरीके से खनन किया जा रहा है। (कटफाल एवं महागिरी) एवं 11 खानों में खुली खदान के रूप में कार्य किया जाता है।

अंडरव्हाउंड खनन : ओर दोशी तक पहुँचने के लिये शाफ्ट/डिल्लाइन का उपयोग होता है, जिनको आवश्यकतानुसार गहरा किया जाता है। मुख्य लेवल 30 मी. के अंतराल पर एवं सबलेवल 15 मी. के अंतराल पर बनाये जाते हैं। मुख्य लेवल पर फुट खाल में ड्राइव बनायी जाती है, जिसमें से कॉस-कट के जरिये ओर-ड्राइव तक पहुँच कर 'ओर' को स्टोप से निकाला जाता है। राऊ समतल ड्राइव 3 X 3 मी. एवं रेज / डिंज 2 X 2 मी. नाप के बनाए जाती हैं।

ओपन-कास्ट खनन : क्रोमाइट का खनन ओपन-कास्ट तरीके से छोटे पैमाले पर तथा सेनी मैकेनाइज्ड से पूर्णतया मैकेनाइज्ड तरीके से किया जाता है जिसमें बैच की ऊँचाई 6 से 8 मी. एवं घौँड़ाई 4 से 10 मी. रखी जाती है। ड्रेस पिट की गहराई 60 से 100 मी. तक पहुँचने पर ओवर बर्डन हटाने का काम आरी मशीनों से किया जाता है। 'ओर' निकालने का काम कुछ खानों पर मेनुअल तरीके से किया जाता है। मैकेनाइज्ड खानों में 'ओर' निकालने का काम भी आरी मशीनों से ही किया जाता है।

बेनिफिसिएशन : सुकिंदा घाटी में आठ खान गतिकों ने अपनी खानों पर बेनिफिसिएशन प्लाट लगाया है जो 20 से 100 TPH क्षमता के हैं। लेकिन लगभग सभी बेनिफिसिएशन प्लाट से निकलने वाले टेलिरस में क्रोमाइट की मात्रा (Cr_2O_3) उसका देहरीमान नूल्य (थेशोल्ड वेल्व्यू) 10% से भी ज्यादा है जो कि अधिकतम 16% Cr_2O_3 तक है। इसमें यदि सुधार विन्या जाये, जो कि संभव है, तो प्रतिवर्ष लगभग 44 करोड़ रुपये का क्रोमाइट 'ओर' सुकिंदा घाटी से बचाया जा सकता है, जो टेलिरस में जा रहा है।

क्रोमाइट खनन में समस्या :

1. खनन पट्टा क्षेत्रों के आकार की वजह से स्टेटरी बेरियर में काफी डलोक हो 'ओर' रही है।
2. ओवरबैडन डालने के लिये जगह की कमी एवं नन क्षेत्र के वजह से पाबंदी ।
3. 'ओर' ओवरबैडन अनुपात की अधिकता, पिट की गहराई बढ़ने के राय यह और भी अधिक होता जायेगा।
4. पर्यावरण प्रदूषण हेक्सावेलेट क्रोमियम - , डम्प से उड़ती हुई धूल के कारण (डस्ट) वायु प्रदूषण ।
5. बैनिफिसिएशन प्लाट से निकालने वाले टेलिंग्स में क्रोमाइट की मात्रा Cr_2O_3 { से भी ज्यादा है जो कि अधिकतम %10 (श्रेष्ठोल्ड वैल्च) उसका देहरीमान मूल्य %16 Cr_2O_3 तक है। इसमें यदि सुधार किया जाये, जो कि संभव है, तो प्रतिवर्ष लगभग 44 करोड़ रुपये का क्रोमाइट का सुरक्षित घाटी से बचाया जा सकता 'ओर' है, जो टेलिंग्स में जा रहा है।



पुस्तक प्रेमी सबसे धनवान व सुखी होता है, संपूर्ण रूप से त्रुटिहीन पुस्तक कभी पढ़ने लायक नहीं होती। - जॉर्ज बर्नार्ड शॉ

अनुलग्नक-1

रिजर्व/रिसोर्स आळ क्रोमाइट एज अंति 1-4-2013

(शाय ग्रेड/स्टेट्स)

(in 000' tonnes)

	Reserves					Remaining Resources								Re- serves (A+B)
	Probable			Total	Frac- tional- ity	Proba- bility			Mea- sured	Indi- cated	In- ferred	Reco- gnised	Total	Re- serves
	STD11 1	STD12 1	STD12 2	(A)	STD21 1	STD22 1	STD22 2	STD 331	STD33 2	STD33 3	STD33 4	(B)	(B)	(A+B)
All India : Total	58890	14045	36236	107221	28011	20171	36808	21249	32994	53376	2192	21453	32176	0
By Grades														
Refractory	4181	3483	610	8234	0	775	167	15	381	2861	0	4179	12413	
Change-Chrome	17977	1260	4985	23902	19937	9309	2900	10266	25883	9453	7	72575	10117	7
Low	26	27	0	52	0	0	0	0	0	0	0	3713	0	3713
Beneficiable	11671	4160	11381	27213	3647	5909	12748	3478	3784	11953	0	41497	66711	
Ferro-chrome	8967	3355	7589	19891	1097	1964	17080	7483	1296	4933	10	34652	54543	
Others	510	0	0	510	0	432	0	0	15	0	0	447	965	
Unclassified	15671	1780	12361	27712	3330	1922	3043	9	1778	20301	6	51741	70452	
Not known	0	0	0	0	0	1	1	0	16	161	546	725	725	
By States														
Andhra Pradesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0.0	0.4	0.4
Jharkhand	0	0	0	0	0	0	0	15	90	623	0	736	736	
Karnataka	328	408	12	740	270	242	95	0	20	301	0	929	1678	
Maharashtra	0	0	0	0	58	23	0	43	67	441	0	632	632	
Madhya Pradesh	3	21	52	76	0	0	0	0	529	6062	0	6581	6557	
Nagaland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200	0	3200	3200	
Odisha	56559	13815	36222	106397	27683	19907	36711	21184	32265	42313	2	0	1	2192
Tamil Nadu	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	278	0	262	262
Telangana	0	0	0	0	0	0	0	0	15	171	0	166	166	
रिजर्व स्टेट्स और														

अनुतमक-2

डिस्ट्रिक्ट-वाईज रिजर्व/रिसॉर्स आफ कोनाहट एज ऑन 1-4-2013

(UNIT: 1000 Tonnes)

STATE	DISTRICT	RESERVE	REMAINING RESOURCE	TOTAL
ALL INDIA	TOTAL	107221	214530	321751
ANDHRA PRADESH	TOTAL	0	0.4	0.4
	KRISHNA	0	0.4	0.4
JHARKHAND	TOTAL	0	736	735.53
	SINGHBHUM (EAST)	0	736	735.53
KARNATAKA	TOTAL	748	928	1676
	CHIKMAGALUR	0	138	138
	HASSAN	748	724	1472
	MYSORE	0	66	66
MAHARASHTRA	TOTAL	0	632	632
	BHANDARA	0	533	533
	CHANDRAPUR	0	11	11
	NAGPUR	0	56	56
	SINDHUDURG	0	33	33
MANIPUR	TOTAL	76	6581	6657
	CHANDEL	0	1178	1178
	UKIRUL	76	5403	5479
NAGALAND	TOTAL	0	3200	3200
	TUENSANG	0	3200	3200
ORISSA	TOTAL	106397	201985	308381
	BALASORE	0	3	3
	DHENKANAL	802	1724	2526
	JAJPUR	100236	183541	283777
	KEONJHAR	5359	16717	22075
TAMIL NADU	TOTAL	0	282	282
	COIMBATORE	0	37	37
	SALEM	0	246	246
TAMIL NADU	TOTAL	0	282	282
TELANGANA	TOTAL	0	186	186
	KHAMMAM	0	186	186
फिलार राउडेड ऑफ				

रिजर्व/रिसोर्स ज्ञान क्रमांक एवं दिन 1-4-2013
(बाय ग्रेड/स्टेट्स)

(in 000' tonnes)

	Reserves Total	Remaining Resources				Total Resources
		Other Remaining Resources	Inferred	Reconnaissance	Total	
	STD211 STD221 STD222 STD331 STD332	STD333	STD334			
1	2	3	4	5	6=(3+5)	7=(2+6)
All India : Total	107221	139231	53376	21922	214530	321751
By Grades						
Refractory	8234	1318	2861	0	4179	12413
Charge- Chrome	23802	68115	9453	7	77575	101177
Low	52	0	3713	0	3713	3765
Beneficiable	27213	29544	11953	0	41497	68711
Ferro- chrome	19691	29708	4933	10	34652	54543
Others	518	447	0	0	447	955
Unclassified	27712	10081	20301	21359	51741	79452
Not known	0	18	181	546	725	725
All India : Total	107221	139231	53376	21922	214530	321751
By Grades						
By States						
Andhra Pradesh	0	0	0.4	0.0	0.4	0.4
Jharkhand	0	113	823	0	736	736
Karnataka	748	627	301	0	928	1676
Maharashtra	0	191	441	0	632	632
Manipur	75	529	6052	0	6581	6657
Nagaland	0	0	3200	0	3200	3200
Odisha	108397	137750	42313	21922	201985	308381
Tamil Nadu	0	7	276	0	282	282
Telangana	0	15	171	0	186	186
किंवा राज्यों और						

खनन एवं खनिज सांखियकी प्रभाग की कार्यप्रणाली

एस.के. देशपांडे
उप-छनिज अर्थशास्त्री (सा)

खनन एवं खनिज सांखियकी प्रभाग खनिज क्षेत्र पर सांखियकी हेतु एक नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करता है। खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली (एमसीडीआर) 1988 के नियम 45 के तहत सभी खान मालिकों प्रबंधकों इत्यादि तथा खनिज आधारित व्यापारियों / निर्यातकों / स्टॉकिस्ट्स / अंतिम उपयोगकर्ताओं को भारतीय खान व्यूरो के साथ पंजीकरण कराना पड़ता है। इन सभी को उचित समय पर निर्धारित प्रपत्रों में भारतीय खान व्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालयों को विवरणियों प्रस्तुत करनी होती है।

इन विवरणियों में श्रमिक-नियोजन, उत्पादन, स्टाक, प्रेषण, बिक्री मूल्य, उपभुक्त पदार्थों के विस्तृत व्योरे इत्यादि पर डाटा समाहित होता है। उक्त विवरणियों में आणिक खनिज, ईंधन खनिज एवं गौण खनिजों का समावेश नहीं रहता है।

खनन क्षेत्र पर सांखियकी की व्याप्ति को बढ़ाने हेतु पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पर उत्पादन डाटा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंचलय से तथा कोयला एवं लिङ्गाइट पर उत्पादन का डाटा; कोयला, नियंत्रक कार्यालय से प्राप्त किया जाता है। विभिन्न खनिजों के नियोत / आयात पर डाटा वाणिजियक आसूचना एवं सांखियकी (डीजीसीआईएस) के महानिदेशक कार्यालय से प्राप्त की जाती है। इसके अलावा, यह प्रभाग मासिक प्रकाशनों के माध्यम से कुछ धातुओं के लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) मूल्यों तथा विभिन्न स्रोतों से कुछ अलौह धातुओं के घरेलू मूल्य एवं लघु खनिजों इत्यादि के उत्पादन डाटा संबंधण में कार्यरत है।

इस तरह सांविधिक एवं मैर सांविधिक स्रोतों के माध्यम से संबंधित खनन क्षेत्र के संबंधित डाटा का प्रक्रमण किया जाता है। इसे भारतीय खान व्यूरो के विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है। साथ ही निम्नलिखित सूचना / मर्दों को नियमित आधार पर जारी किया जाता है :

(क) ऐसे चयनित खनिजों की राज्यवार/ श्रेणीवार औसत बिक्री कीमत तथा कुछ धातुओं की लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमआई) कीमत ।

(ख) खनिज उत्पादन का मासिक सारांश तथा खनिज उत्पादन का अनुमानित मूल्य।

(ग) खनिज उत्पादन का मासिक सूचकांक (आणिवक खनिजों को छोड़कर), जो केन्द्रीय सांखियकी कार्यालय, सांखियकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले औद्योगिक उत्पादन के मासिक सूचकांक (IIP) का भाग है।

(घ) चयनित 19 खनिजों के श्रेणीवार खान-मुख मूल्य, मासिक थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की गणना हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

(ङ.) मासिक खनिज उत्पादन सांखियकी संबंधित राज्य सरकार एवं अन्य प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों को सावधिक रूप से प्रेषित की जाती है।

(च) केन्द्रीय सांखियकी कार्यालय द्वारा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की गणना करने के लिए मैं खनन क्षेत्र के से संबंधित सामग्री भी प्रभाग द्वारा प्रेषित की जाती है।

प्रकाशन :

(क) खनिज उत्पादन की मासिक सांखियकी (एमएसएमपी):

यह एक मासिक प्रकाशन है जिसमें खनिज उत्पादन के सूचकांक, खनिज उत्पादन ; राज्यवार खनिजवार उत्पादन ; राज्यों में खनिजवार उत्पादन और उत्पादन मूल्य; चयनित खनिजों की राज्यवार/ श्रेणीवार औसत बिक्री कीमत आदि की सांखियकी प्रकाशित की जाती है। साथ ही एल्युमिनियम, ताम , सीसा , जस्ता, निकेल , टिन धातुओं की लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमआई) कीमत और स्वर्ण एवं चांदी अन्य लंदन एक्सचेंज औसत बिक्री कीमत आदि की सांखियकी प्रकाशित की जाती है। साथ ही राज्यों द्वारा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में केप्टिव एवं गैर केप्टिव उपभोग के लिए लौह अयस्क के उत्पादन की सांखियकी प्रकाशित की जाती है। प्रकाशन के मार्च अंक में पिछले तीन वर्षों के लिए आयात-निर्यात हेतु वार्षिक डाटा पर कुछ अतिरिक्त सूचना भी समाहित होती है।

(ख) खनिजों की सांखियकीय प्रोफाइल

इस वार्षिक प्रकाशन में एमसीडीआर 1988 के सीमाक्षेत्र में विभिन्न खनिजों के संबंध में प्राप्ति योग्य खनिज भंडार, खनिज जीवन सूचकांक, पट्टाक्षेत्र, पट्टों की संख्या, क्षेत्रों, राज्यों , केप्टिव एवं गैर केप्टिव खानों तथा श्रेणियों द्वारा खनिज उत्पादन आदि पर खनिजवार मूलभूत सूचना प्रस्तुत की जाती है। इसमें श्रमिक-नियोजन, खनिज उपभोग, स्टाक, आयात एवं निर्यात (देशवार एवं घरेलू) तथा प्रमुख खानों इत्यादि से संबंधित समयबद्ध डाटा / सूचना भी समाहित रहती है।

(ग) भारतीय खनिज उद्योग एक झलक (IMIG) :

यह वार्षिक प्रकाशन एक रेडी रेकर है जिसमें खनिज उत्पादन के मूल्य, खनिज उत्पादन का सूचकांक, आयात एवं निर्यात, खनन पट्टे, महत्वपूर्ण खनिजों एवं धातुओं के आयात एवं निर्यात पर समयबद्ध डाटा समाहित रहते हैं। इसमें महत्वपूर्ण खनिजों आयात एवं निर्यात (भात्रा एवं मूल्य), संभावित उपभोग, खनिजों का उपभोग की सूचना भी शामिल रहती हैं।

(घ) भारतीय खनिज वार्षिक पुस्तक (आईएमवायबी)

यह प्रकाशन खनन एवं खनिज सांखियकी प्रभाग तथा खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग के सम्मिलित प्रयासों का परिणाम है। यह खनिज आधारित उद्योगों, खनिज उत्पादन, भंडार, विदेशी व्यापार इत्यादी पर विभिन्न सूचनाएँ दी गई हैं।

हाल ही में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'खनिज (नीलामी) नियम 2015' के तहत इस प्रभाग ने खनन पट्टों की नीलामी हेतु चुनापत्थर, टंगस्टन सान्द्र, गैलीयम, वैनेडियम पैटाक्साइड आदि की औसत बिक्री कीमतों को प्रकाशित करने का महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किया है।



चिकित्सा की तरह हवा में उड़ना और मछलियों की तरह यानी में तीरना सीखने के बाद अब हमें इन्सानों की तरह जमीन पर चलना सीखता है। - सरोपलनी राधाकृष्णन



संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति द्वारा
भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर, का राजभाषा निरीक्षण



खनिज प्रसंरकरण प्रभाग, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर, में राजभाषा तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन



हैदराबाद में परियोजना-“सुदूर नृष्टि” के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर रामारोह

“भारतीय खान ब्यूरो के कार्यों का चार्टर”

1. राष्ट्रीय खनिज सूचना लोक के रूप में देश में खनिजों के गवेषणा, पूर्वोंदान की शार्णी लूपना को एक लाटा भेदा में संप्रहण, तुलना तथा संगठित करना तथा इसके प्रकाशन एवं प्रशार के उपाय करना।
2. खनन केंद्र के त्वचध में राष्ट्रीय तकनीकी नियामक के रूप में कार्य करना तथा राज्य सरकारों (विनियमन का प्रथम स्तर) के भागदर्जन डेटु विनियमन, प्रौक्तिया तथा प्रणाली निर्वाचित करना।
3. केन्द्रीय रसायन तथा राज्य सर्वों पर नियामक और साध ठी विकास कार्य दोनों के लिये ही प्रणाली में क्षमता निर्माण करना।
4. केंद्र, राज्यों, खनिज उदयोग, शोध तथा शिक्षा संस्थानों तथा सभी स्टेकहोलरों के बीच समन्वय का संस्थान तंत्र स्थापित करना ताकि उदयोग के सामने आने वाली सभी मांगों एवं समस्याओं के सक्रिय उपाय विकसित किए जा सके।
5. उदयोग की व्यवहारिक ग्राहणिकताओं के सभी पहलुओं पर अनुसंधान संस्थानों तथा दूसरी ओर उपयोक्ता उदयोग के बीच सेतु का काम करना।
6. तकनीकी प्रशमणी सेवाएं प्रदान करना।
7. खनिज क्षेत्रों के विनियमन तथा विलास के हेत्र ने अंतरराष्ट्रीय सहयोगी परियोजनाओं में भाग लेना।
8. खनिज उदयोग संबंधी सभी नामलों पर सरकार को सलाह देना। और
9. भूप्रौद्योगिक, खनन, खनिज सम्बीकरण तथा पर्यावरण के हेत्र में विकास के लिए आवश्यक अन्य गतिविधियों शुल करना।